PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

नवम्बर 2019 | अंक-1

भारत में दूरसंचार क्षेत्र

पुनर्उद्धार की आवश्यकता

- रोगी अधिकार चार्टर : रोगियों की सुरक्षा एवं संरक्षण की गारण्टी
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड रिपोर्ट 2017 : एक अवलोकन
- नयी ऊँचाइयों को छूता भारत-सऊदी अरब संबंध
- संसद की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम
- ग्रीन बॉण्ड : जलवायु परिवर्तन से निपटने का बेहतर उपाय
- पूँजीवाद की अब तक की यात्रा : एक विश्लेषण

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®

most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS)

TARGET 2020

OFFLINE & ONLINE

Total 28 Tests

13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	10 Full Length GS Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	5 CSAT Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)

Key features of CAIPTS

- The CAIPTS will contain a total of 28 tests (Fullyapplied and based on UPSC Pattern) 28 Tests = 13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 10 Full Length GS Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 5 CSAT Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)
- Applied level tests will be based on standard references which will enhance the analytical ability of the aspirants.
- 8 full length and 2 Previous Year based papers will cover the entire syllabus and match the level of UPSC-CSE prelims examination. It will further enable the aspirants for their better evaluation of learning outcome.
- In addition to this, the unique feature of DHYEYA IAS CAIPTS, is, four full length tests based on UPSC CSE prelims question papers of past 25 years. These tests will drive the aspirants' motives to go through the previous years question papers which is one of the important aspects of CSE preparation. It will also assist them to understand the changing nature of the questions asked in the examination.

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009 | Call: 011-49274400, 9205274741

For more details visit: www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

'Perfect 7' में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु किसी भी प्रकर के सुझाव, टिप्पणी और विचार के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

9990772422

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

नवम्बर-2019 | अंक-1

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- भारत में दूरसंचार क्षेत्र : पुनर्उद्धार की आवश्यकता
- रोगी अधिकार चार्टर : रोगियों की सुरक्षा एवं संरक्षण की गारण्टी
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड रिपोर्ट 2017 : एक अवलोकन
- नयी ऊँचाइयों को छूता भारत-सऊदी अरब संबंध
- संसद की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम
- ग्रीन बॉण्ड : जलवायु परिवर्तन से निपटने का बेहतर उपाय
- पूँजीवाद की अब तक की यात्रा : एक विश्लेषण

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. भारत में दूरसंचार क्षेत्र : पुनर्उद्धार की आवश्यकता

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम करने के उपाय सुझाने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को 1.42 लाख करोड़ रुपए के पुराने बकायों का भुगतान करने का आदेश देने के कुछ दिन बाद ही सरकार ने यह निर्णय लिया है।

साथ ही ट्राई से भी कई उपायों पर विचार करने को कहा गया है। इनमें फ्री-कॉलिंग समाप्त करने और डेटा दरों में इजाफा करना शामिल है। इस समिति से टेलीकॉम कंपनियों के स्पेक्ट्रम भुगतान को कुछ समय के लिए टालने के साथ-साथ कंपनियों के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ) में योगदान के नियम पर भी पुनर्विचार करने को कहा गया है। इस समिति में वित्त सचिव, दूरसंचार सचिव और विधि सचिव समेत अन्य मंत्रालयों के सचिव शामिल किए जाएंगे।

परिचय

भारत में आज लगभग 80 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन है। यह काफी तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत में 4G नेटवर्क भी शुरू हो गया है और दूरसंचार क्षेत्र काफी तेजी से बढ़ रहा है। इतना कुछ पाने के लिए हमें कई वर्षों का इंतजार करना पड़ा।

अगर भारत के दूरसंचार क्षेत्र के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि भारत में पहले संचार ही बहुत मुश्किल से हो पाता था। भारत में संचार के लिए सबसे पहले टेलीफोन आया पर इसकी पहुँच सीमित लोगों तक ही थी। उसके बाद रेडियो फिर टेलीविजन आदि आये जिसे 1993 से पहले एक विलासिता पूर्ण वस्तु माना जाता था। औद्योगीकरण और वैश्वीकरण के बाद भारत में सब कुछ बदल गया है। अब लगभग हर किसी की पहुँच दूरसंचार के माध्यमों से सभी क्षेत्रों तक हो चुकी है। दूरसंचार भारत में एक अच्छे और विकसित भविष्य की नींव रख रहा है।

> **समायोजित सकल राजस्व** (AGR)**:** यह उपयोग और लाइसेंस शुल्क है जो दूरसंचार ऑपरेटरों से दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा वसूला जाता है। इसे स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंसिंग शुल्क में विभाजित किया जाता है जो क्रमश: 3-5% और 8% के बीच तय किया जाता है।
>
> **स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज:** यह वह शुल्क है जो मोबाइल एक्सेस सेवाएं प्रदान करने वाले लाइसेंसधारियों द्वारा अपने समायोजित सकल राजस्व (AGR) के प्रतिशत के रूप में भुगतान किया जाना आवश्यक है। उसी के लिए स्पेक्ट्रम स्लैब/दरें समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं।
>
> **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ):** यूएसओएफ सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों के लिए कुशल कीमतों पर गुणवत्ता युक्त आईसीटी सेवाओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच हो। वर्तमान में, यह 5% की दर से लिया जाता है, जबकि दूरसंचार सेवा प्रदाता इसे घटाकर 3% करने की मांग करते हैं।

हालांकि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए वर्तमान में कई तरह की समस्यायें उठ खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केन्द्र सरकार को इन सेवा प्रदाताओं से 92,000 करोड़ रुपये का समायोजित सकल राजस्व वसूलने की अनुमति दी है। ज्ञातव्य है कि जुलाई 2019 में केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि भारती एयरटेल, वोडाफोन और राज्यों की स्वामित्व वाली एमटीएनएल जैसी दूरसंचार कंपनियों के पास अब तक 92,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाइसेन्स शुल्क बकाया है।

हालांकि उद्योग निकाय (Coal) ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की है और सरकार से इस क्षेत्र में योगदान करने के लिए कहा है। कंपनियों का कहना है कि यह देखा जाना चाहिए कि लगभग 4 लाख करोड़ के कर्ज से घिरा यह उद्योग सरकार के फैसले से और कितना अधिक प्रभावित होगा। हालांकि पीठ ने यह स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर कोई और मुकदमा नहीं होगा तथा दूरसंचार कंपनियों पर बकाया राशि की गणना और भुगतान के लिए एक समय सीमा तय की जाएगी।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में भारत 1.20 बिलियन ग्राहक के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। दिसम्बर 2018 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 604.21 मिलियन थी। इस तरह इंटरनेट उपयोगकर्ता के मामले में भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत ऐप डाउनलोड की संख्या के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है। अभी भी इस मामले में चीन प्रथम स्थान पर है। यहीं नहीं 2018 की दूसरी और तीसरी तिमाही में गूगल प्ले डाउनलोड के लिए भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजार के रूप में उभरा है।

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) के सहयोग से ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोसिएशन (GSMA) द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार भारत की मोबइल अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जनवरी 2019 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों की तुलना में ऐप डाउनलोड के मामले में 165 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इसके बावजूद टेलीकॉम क्षेत्र वर्तमान में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। टेलीकॉम कंपनियों की उधारी 4 लाख करोड़ रुपये है, वहीं इसका राजस्व संग्रह सिफ 1.8 लाख करोड़ रुपया है तथा इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान में भारत में 8 पैसे प्रति जीबी के हिसाब से ग्राहकों से पैसा लिया जाता है, जो कि दुनिया में सबसे कम कीमत है। 2014-15 में प्रति माह प्रति

उपयोगकर्ता औसत राजस्व जहाँ 174 रुपये था वहीं 2018-19 में यह घटकर 113 रुपये हो गया।

चुनौतियाँ

वर्तमान में टेलीकॉम सेक्टर के सामने कई चुनौतियाँ हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

दूरसंचार क्षेत्र की वित्तीय स्थिति: वर्ष 2017-18 में दूरसंचार क्षेत्र के सकल राजस्व आय में 15% से 20% तक की गिरावट आई जो अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है। चूंकि बाजार में अभी कुछ खास कंपनियों का ही वर्चस्व है क्योंकि उसके उपभोक्ता सबसे अधिक हैं इसलिए इस क्षेत्र की छोटी-छोटी कंपनियाँ दिवालिया होती जा रही हैं क्योंकि उनका राजस्व घट रहा है।

कंपनियाँ अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को बचाने में विफल हो रही हैं तथा एक दूसरे से विलय कर रहीं हैं इसलिए भी उनकी वित्तीय हालत खराब होती जा रही हैं।

सीमित स्पेक्ट्रम उपलब्धता: भारत में दूरसंचार के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता यूरोपीय देशों की तुलना में 40% कम है जबकि चीन की तुलना में यह 50% कम है। इसके साथ ही सरकार ने अत्यधिक लागत पर स्पेक्ट्रम की नीलामी की जिससे मोबाइल ऑपरेटरों के लिए उचित कीमत पर सेवाएं प्रदान करना मुश्किल हो गया है। हालांकि कुछ कंपनियाँ इसके अपवाद भी हैं जो अपनी लागत पर सस्ती सेवाएं दे रही हैं जैसे- रिलायंस आदि।

उच्च प्रतिस्पर्द्धा और टैरिफ युद्ध: प्रतिस्पर्द्धा होना किसी भी बाजार के लिए अच्छी बात है लेकिन प्रतिस्पर्द्धा यदि इस कदर बढ़ जाये कि लाभ एकपक्षीय हो जाय तो यह बाजार और समाज दोनों के लिए घातक होता है। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार के क्षेत्र में ऐसी ही स्थिति देखी जा रही हैं। रिलायंस जियो के इस क्षेत्र में आने से प्रतिस्पर्द्धा इस कदर बढ़ी की, कई कंपिनयाँ दिवालिया हो गईं और कई को अपने बचाव के लिए सरकार के शरण में जाना पड़ा।

टैरिफ युद्ध भी इसी प्रतिस्पर्द्धा का एक हिस्सा है। शुरू में कंपनियों का टैरिफ चाहे वह वॉयस हो या नेट काफी महंगा था लेकिन बाजार प्रतिस्पर्द्धा के कारण टैरिफ का मूल्य काफी नीचे चला गया परिणामस्वरूप कंपनियाँ अपनी लागत नहीं निकाल पाईं और घाटे में चली गईं, जैसे कि- आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, एयरटेल आदि।

आधारभूत संरचना का अभाव: अर्द्ध-ग्रामीण व ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवा उपलब्ध कराने के एवज में काफी हानि उठानी पड़ती है क्योंकि वहां पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, जैसे- बिजली, टावर, सुरक्षा, नेटवर्क, सड़कें आदि। इनके अभाव में लागत-लाभ का अंतर बढ़ जाता है और कंपनियों को हानि होती है।

निश्चित लाइन (Fixed Line) का अभाव: भारत में अभी भी केबल को बिछाने तथा संचार को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए निश्चित लाइन का अभाव है अर्थात् विश्व के अन्य देश जिस प्रकार से धातु के तार या ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से केबल विस्तार करते हैं भारत अभी भी नहीं कर पा रहा है। भारत में लगभग 1.2 बिलियन कनेक्शन है लेकिन फिक्सड लाइन लगभग 18 मिलियन ही है।

विदित हो कि भारत में केवल 25 प्रतिशत टावर्स फाइबर नेटवर्क से जुड़े हैं जबकि विकसित राष्ट्रों में यह 70 प्रतिशत से अधिक है। भारत 5G की बात तो कर रहा है, लेकिन इसके लिए उच्च गति वाले आवश्यक टावरों की कमी है। इसके फाइबर सिस्टम का अत्यधिक विस्तार करना होगा।

लाइसेंस शुल्क: कभी-कभी राज्य सरकारें फाइबर तार आदि के बिछाने की अनुमति के लिए एक बड़ी राशि शुल्क के रूप में लेती है। राज्य सरकारें लाइसेंस शुल्क के रूप में समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत का लाइसेंस शुल्क जिसमें यूनिवर्सल सर्विस लेवी (यूएसएल) के रूप में 5 प्रतिशत लेती हैं, जो दुनिया में सर्वाधिक है।

दूरसंचार क्षेत्र को कैसे पुनर्जीवित किया जाए

उल्लेखनीय है कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी (NDCP), 2018 ने दूरसंचार को 'महत्वपूर्ण और आवश्यक बुनियादी ढाँचा' का दर्जा दिया है। इस नीति में फाइबर फर्स्ट इनिशिएटिव, राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना तथा अन्य योजनाओं को शामिल किया गया है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों के लिए इसका मतलब बहुत स्पष्ट नहीं है, जिस प्रकार से बिजली, पानी, सड़क बुनियादी सुविधाओं में आते हैं, वैसे ही अब दूरसंचार भी इसमें शामिल हो गया है। यद्यपि अन्य बुनियादी सुविधाओं के ऊपर राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार का स्वामित्व है जबकि दूरसंचार पर अधिकतर निजी कंपनियों का स्वामित्व है। यहीं कारण है कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए सरकार की नीतियाँ, निर्देश व समर्थन अलग-अलग हैं।

यदि इस क्षेत्र को बचाना है तो सरकार को अन्य सुविधाओं की तरह ही इस क्षेत्र के लिए भी नीतियाँ बनानी होगी, जैसे कि यदि दूरसंचार कंपनियों पर लगाया गया विभिन्न शुल्क कम कर दिया जाय तो कंपनियाँ अपने निवेश को अत्यधिक बढ़ा सकती हैं जिससे कि वे प्रतिस्पर्द्धा में बनी रहेगी और लागत-लाभ के अंतराल को कम कर पाएगी। उदाहरण के लिए एडजेस्टेड सकल राजस्व (AGR) जो कि सकल राजस्व का 3 प्रतिशत है।

विदित हो कि 2015 में ट्राई (TRAI) ने एजीआर (AGR) को घटाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया था। हालांकि सरकार द्वारा इसे 8% से घटाकर 5% कर दिया गया। यदि सरकार द्वारा इस शुल्क को और कम किया जाता है तो वित्तीय रूप से बीमार कंपनियों को राहत दिया जा सकता है।

इसके अलावा नियामकीय कंपनियों और सरकार दोनों को आगामी स्पेक्ट्रम निलामी के लिए वर्तमान कीमतों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में विद्यमान कीमतों के लिए कुछ ऑपरेटर ही जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने बाजार पर एकाधिकार और अपने फायदे के लिए उच्च बोली लगाई जिससे कि छोटे-छोटे ऑपरेटर बाजार से बाहर हो अतएव सरकार को इस प्रकार की स्थिति को निर्मित नहीं होने देना चाहिए।

घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार प्रदाताओं, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को पुनर्जीवित करने की योजना को मंत्रीमंडल ने मंजूरी दी है, जो एक बेहतर कदम है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ भी निजी कंपनियों की तरह लाभ उठा सकती हैं।

देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। चूंकि सरकार सेवाओं की गुणवत्ता एवं कीमतों के स्तर पर निजी कंपनियों के लिए एक दिशा-निर्देश जारी कर सकती है जिससे कि मानव संसाधन, पूंजीगत संपत्ति एवं कार्यों का इस्तेमाल सही तरीके से हो सके। इससे निजी कंपनियों को घाटे से उबारा जा सकता है।

चूंकि दूरसंचार क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है। इसके लिए कंपनी के आधारभूत संरचना को

विकसित करने के लिए कुछ पूंजी का लगभग 40% से 60% तक खर्च करना पड़ता है। यदि कंपनियाँ साझा कार्य के तहत एक दूसरे के आधारभूत संरचना का इस्तेमाल करती हैं तो काफी पूंजी को बचाया जा सकता है जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिल सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट फोन और निम्न टैरिफ की उपलब्धता से ग्रामीण इलाकों में टेलीविजन की पैठ बढ़ेगी।

सरकारी प्रयास

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के लिए मजबूत उपभोक्ता मांग के साथ-साथ भारत सरकार की उदार और सुधारवादी नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार ने दूरसंचार उपकरणों के लिए आसान बाजार पहुंच और एक उचित एवं सक्रिय नियामक ढांचा तैयार किया है, जिससे उपभोक्ता को सस्ती कीमतों पर दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी है। सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में संवर्द्धन के लिये निम्न महत्वपूर्ण उपाय किये गए हैं-

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018: नई दूरसंचार नीति को मौजूदा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति -2012 के स्थान पर तैयार किया गया है। यह भारत के डिजिटल संचार क्षेत्र की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया है। नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं: सभी के लिए ब्रॉडबैंड तथा डिजिटल संचार क्षेत्र में चार मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना।

प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस पर सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसने 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को 1 Gbps कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps कनेक्टिविटी कराने का लक्ष्य रखा है (अभी, देश में औसत ब्रॉडबैंड स्पीड 5-6 एमबीपीएस है)।

ऑपरेटर्स को पेमेंट्स बैंक लाइसेंस के लिए RBI से इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, जिससे प्रति ग्राहक धारण क्षमता में वर्द्धन होगा और वह एम-भुगतान सेवाओं को अधिकाधिक उपयोग कर सकेगा। इसी तरह नियामक द्वारा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (एमवीएनओ) की अवधारणा की शुरूआत से ऑपरेटरों के लिए नए अवसरों के खुलने की उम्मीद है।

दूरसंचार क्षेत्र में FDI कैप को 74% से 100% तक बढ़ाया गया है। इन 100% में से, 49% स्वचालित मार्ग से किया जाएगा और बाकी विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड अनुमोदन मार्ग के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा डार्क फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉयस मेल की पेशकश करने वाले बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के लिए भी 100% तक के एफडीआई की अनुमति है।

आगे की राह

दूरसंचार क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान देता है इसलिए न सिर्फ सरकार बल्कि ट्राई (TRAI) को भी आगे बढ़कर इसके हित में फैसला लेना होगा। कंपनियाँ भले ही गलाकाट प्रतिस्पर्धा करती हों लेकिन सरकार को भी आवश्यक हस्तक्षेप करना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को इस क्षेत्र को सेवा प्रदान करने के नजरिये से देखना चाहिए, न कि राजस्व संग्रह के रूप में। इसलिए स्पेक्ट्रम नीलामी के समय सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

दूरसंचार क्षेत्र में खासकर मोबाइल फोन से आर्थिक प्रभाव पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जब हम 2जी से 3जी की तरफ बढ़ते हैं तो जीडीपी में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर 0.15 प्रतिशत बढ़ जाती है। इसी तरह डेटा के उपयोग को दोगुना करने पर जीडीपी में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर 0.5% बढ़ जाती है। अतः इस क्षेत्र में उपयोगिता को देखते हुए सरकार तथा कंपनियाँ दोनों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि बाजार में बड़ी व छोटी दोनों कंपनियों का अस्तित्व बना रहे। ब्रॉडबैण्ड और इंटरनेट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम, प्रौद्योगिकी उपकरण और फाइबर ऑप्टिकल्स के लिए 5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। इसलिए दूरसंचार क्षेत्र के उचित निवेश की आवश्यकता है जिससे कि इस क्षेत्र के वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सके।

सड़क, पानी और बिजली जैसी आधारभूत संरचनाओं की तरह ही इस क्षेत्र की आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए। इसमें किसी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के बजाय साहचर्य के माहौल बनाया जाय जिससे कि बाजार के साथ-साथ समाज का भी विकास हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।
- बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

2. रोगी अधिकार चार्टर : रोगियों की सुरक्षा एवं संरक्षण की गारण्टी

चर्चा का कारण

हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली के राजघाट में जन स्वास्थ्य अभियान के तहत कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा 'मरीज सत्याग्रह' के लिये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बहुत से प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में अपने मरीजों के प्रति किये जा रहे पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिये दिल्ली मेडिकल काउंसिल में शिकायत भी की।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल में 'रोगी अधिकार चार्टर' को प्रस्तुत किया गया था, जिनको लागू करने की मांग इस प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही है।

परिचय

पिछले दो दशकों में भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यवसायीकरण ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और रोगियों के बीच विषमता को और बढ़ा दिया है। कई लोगों को कहना है कि चिकित्सा में नैतिक आचार संहिता होने के बावजूद रोगियों को 'चिकित्सा शक्ति' (Medical Power) के दुरुपयोग से पर्याप्त रूप में संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं कारणों को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रोगियों के अधिकार संबंधी चार्टर को प्रस्तावित किया। यह चार्टर वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय चार्टर से प्रेरित और राष्ट्रीय स्तर के प्रावधानों से निर्देशित, सभी प्रासंगिक प्रावधानों को एक ही दस्तावेज में समेकित करता है। भविष्य में उम्मीद भी है कि यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिये मार्गदर्शन का भी कार्य करेगा।

इस चार्टर का उद्देश्य जन जागरूकता का प्रसार करना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से रोगियों को क्या उम्मीद की जानी चाहिए। यह जागरूक

नागरिक के लिये स्वास्थ्य देखभाल के मानक को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी को बढ़ाएगा।

इस चार्टर के तहत रोगियों को 17 अधिकार दिये गए हैं, वे निम्न हैं-

- प्रत्येक रोगी को अपनी बीमारी के बारे में जानने का अधिकार है। इसके साथ ही मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी तथ्यात्मक जानकारी एवं उपचार संबंधी प्रमाण प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- रोगी को अपने रिकॉर्ड और रिपोर्ट रखने का अधिकार होगा। साथ ही रोगियों के संबंधी को अपने रोगी के अस्पताल से सेवा मुक्ति (Discharge) होने के बाद, सेवा मुक्ति विवरण तथा मृत्यु संबंधी विवरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- रोगी को स्वास्थ्य आपात की समस्या के दौरान चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह अस्पताल का कर्तव्य होगा कि आपात सुविधा प्रदान करने हेतु उचित चिकित्सक एवं स्टाफ की व्यवस्था करें।
- प्रत्येक रोगी को किसी भी जोखिमपूर्ण उपचार या परीक्षण करने से पहले संभावित सूचनाएँ पूर्व में देनी होगी तथा वह इनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रति देखभाल संबंधी सूचना को भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- प्रत्येक रोगी को अपनी निजता को बनाए रखने का अधिकार होगा और डॉक्टर को रोगी के रोग संबंधी जानकारी को गोपनीय रखना होगा ताकि उनकी गरिमा का हनन न हो।
- रोगी को अपने रोग के लिये द्वितीयक परामर्श लेने का अधिकार होगा।
- रोगी को अस्पताल द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिये निर्धारित मूल्य की जानकारी प्राप्त करने का तथा उसकी पारदर्शिता को जाँचने का अधिकार होगा।
- रोगी को किसी भी भेदभाव के बिना उपचार प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- रोगी को अस्पताल में सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त वातावरण प्राप्त करने का अधिकार होगा, जैसे- सफाई, स्वच्छ पानी, संक्रमण से नियंत्रित करने वाले उपाय आदि।
- रोगी को वैकल्पिक उपचार को चुनने का भी अधिकार होगा जो उस रोग के लिए उपलब्ध हो।
- रोगी को चिकित्सक द्वारा निर्धारित दवा या जाँच को किसी भी फार्मेसी या पंजीकृत मेडिकल स्टोर से लेने का अधिकार होगा।
- रोगी को लगातार स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पाने के लिये रेफरल या स्थानान्तरण का अधिकार होगा।
- नैदानिक परीक्षण में भाग लेने के लिये संपर्क करने वाले प्रत्येक व्यक्ति/रोगी को उचित सुरक्षा का अधिकार है। सभी नैदानिक परीक्षण केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा जारी किये गए प्रोटोकॉल और अच्छे नैदानिक अभ्यास दिशानिर्देशों के अनुपालन में किये जाएंगे।
- प्रत्येक रोगी जो बायोमेडिकल अनुसंधान में भागीदार के रूप में भाग ले रहा है, उसे सुरक्षा का अधिकार होगा।
- किसी रोगी को प्रक्रियागत विवादों के कारण; जैसे पेमेंट या चार्ज के आधार पर छुट्टी लेने से रोका नही जा सकता।
- रोगी को स्वयं के संदर्भ में प्रासंगिक तथ्यों को प्राप्त करने का अधिकार होगा जिससे वह स्वस्थ जीवन शैली जी सके।
- रोगी को उनके स्वास्थ्य देखभाल पर टिप्पणी या शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा।

भारत में रोगियों को दिए गये अधिकार

भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोगियों को विभिन्न प्रावधानों के तहत अधिकार दिये गए हैं जो बिखरे हुए दिखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम (व्यवसायिक नियमावली 2002), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002, औषधि एवं रसायन अधिनियम 1940, चिकित्सीय परीक्षण अधिनियम 2010 एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णयों के तहत रोगियों से संबंधित अधिकार को सुरक्षित रखा गया है।

फिलहाल भारत में रोगी को विभिन्न प्रावधानों के तहत अस्पताल में 9 अधिकार दिये गए हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- रोगी को पूरे सम्मान के साथ चिकित्सीय देख-भाल पाने का हक है।
- रोगी को क्या बीमारी है तथा उसका क्या इलाज किया जा रहा है और कौन-कौन सी दवाइयां दी जा रही हैं, यह जानने का अधिकार है।
- बीमारी से जुड़े सभी दस्तावेज लेने का अधिकार है।
- इलाज से जुड़ी किसी भी जानकारी को गोपनीय रखने का अधिकार है।
- आपातकाल में त्वरित इलाज पाने का अधिकार।
- कोई भी इलाज जो रोगी के स्वास्थ्य पर असर डालता हो उसे नकारने का अधिकार है।
- रोगी को मेडिकल दस्तावेज पाने का अधिकार है।
- अस्पताल के नियम और वहां पर दी जा रही सुविधाओं को पाने का अधिकार है।
- रोगी को बीमारी के समय अन्य परामर्श लेने का अधिकार है।

उल्लेखनीय है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2002 में एक आचार संहिता प्रकाशित की, जो मरीजों के कुछ अधिकारों के अलावा चिकित्सकों के कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबधित है। हालांकि भारत में यदि मरीजों को किसी तरह की अस्पताल के प्रबंधन से समस्या होती है या उनके अधिकारों का हनन होता है तो वे उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं, परन्तु यह एक संज्ञेय अपराध नहीं माना जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में रोगियों के लिये प्रावधान

सरकार द्वारा वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई है, जिसके तहत 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना है। इस नीति के तहत स्वास्थ्य को रोगी केन्द्रित दृष्टिकोण से देखे जाने की बात पर भी चर्चा की गई है, जो निम्न हैं-

- रोगी देखभाल, सेवाओं के मूल्य, लापरवाही, अनुचित व्यवहार से संबंधित विवाद तथा उसके समाधान के लिये चिकित्सा अधिकरण को स्थापित करने की सिफारिश की गई है।
- इसके अलावा प्रयोगशालाओं और इमेजिंग सेन्टरों तथा उभर रही विशेषज्ञ सेवाओं के लिये मानक नियामक ढाँचा स्थापित करने की सिफारिश भी की गई है।
- इस नीति में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा स्वास्थ्य देखभाल के मामले में उन्हें गुणवत्ता स्तर पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- इस नीति के तहत सभी हितधारकों की आवश्यकता को पूरा करने वाली कार्य दक्षता, पारदर्शिता और सुधार करने वाली एकीकृत सूचना प्रणाली को भी अपनाया जाएगा।

आवश्यकता क्यों

यह सर्वविदित है कि अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है

जो रोगियों के लिये काफी समस्या उत्पन्न करता है। राज्य या अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा मरीज को चिकित्सा संबंधी सीमित जानकारी दी जाती है। चिकित्सकों द्वारा उनको दिये गए अधिकार का दुरुपयोग करना, कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि चिकित्सक इसे अपना पैतृक अधिकार समझ बैठते हैं।

कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि डॉक्टर अपने अधिकारों को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी नुकसान होता है। केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सक अपने मरीजों को दवाओं को खरीदने के लिये बाहरी मेडिकल स्टोर जाने के लिये विवश कर देते हैं।

हालांकि चिकित्सा पाना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन रोगी को समय पर उचित चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाती है। कुछ विशेष मामले जिनमें HIV या मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को विशेष देख-रेख एवं उनको प्रोत्साहन की जरूरत होती है, परन्तु चिकित्सकों या अस्पताल स्टाफ द्वारा जरूरी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया जाता है। इन सभी कारणों से भारत में मरीजों को अधिकार देने की माँग उठ रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का विचार

वर्ष 1948 में जब मानव अधिकारों की 'सार्वभौम घोषणा पत्र' की चर्चा की गई थी तो उसके अन्तर्गत मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया, सभी मनुष्य को समानता का अधिकार भी दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो रोगी को भी गरिमापूर्ण एवं समानता के अधिकार के साथ जीवन जीने का अधिकार है।

हालाँकि अनेक देशों में वहां के कानून एवं संस्कृति के अनुसार अलग-अलग अधिकार दिये गए हैं। यूरोप एवं अमेरिका में कुछ विशेष प्रकार के अधिकार रोगियों को दिये गए हैं जिनमें रोगी के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उसे परामर्श देना तथा उस पर रोगी का स्वनिर्णय लेने के अधिकार संबंधी प्रावधान निर्धारित हैं। दूसरा, रोगी चिकित्सकों से विभिन्न जानकारी प्राप्त करता है तथा वह अपने लिये किस प्रकार की सुविधा लेना चाहेगा यह निर्णय लेने का अधिकार उसे दिया गया है। तीसरा, रोगी की चिकित्सा संबंधी जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखना तथा चिकित्सा संबंधी जोखिम के बारे में मरीज को सूचित किया जाना आदि अधिकार दिये गए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी एवं दृष्टिकोण का विकास होने के साथ कई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। जीनोमिक्स आधारित शोध और आनुवांशिक प्रौद्योगिकियाँ इन मुद्दों के संबंध में चिंताएं बढ़ा रही हैं। उदाहरण के लिये आनुवंशिक जानकारी की गोपनीयता को सुनिश्चित करना, क्योंकि कभी-कभी इसका रिश्तेदारों एवं समुदाय पर गलत प्रभाव पड़ता है। ये जानकारियां भेदभाव की भावना को भी बढ़ा देती हैं। इन जानकारी के लीक होने से व्यक्ति विशेष से किसी अनुसंधान के लिये प्रमाणित सहमति प्राप्त करना भी मुश्किल होता है, जिनका उपयोग जीनबैंक या फार्माकोजेनेटिक्स में होता है।

रोगियों एवं उनके अभिभावकों के कर्त्तव्य

यद्यपि इन अधिकारों के साथ-साथ रोगियों एवं उनके अभिभावकों द्वारा कुछ कर्त्तव्यों के पालन की भी अपेक्षा की जानी चाहिए-

- रोगी द्वारा स्वास्थ्य संबंधी प्रत्येक जानकारी डॉक्टर को दी जानी चाहिए ताकि वह रोग को सही तरीके से पहचान कर उसका निदान कर सकें।
- रोगी को चिकित्सा के दौरान किये जा रहे परीक्षण, जांच, डॉक्टर के परामर्श के साथ अपना पूरा सहयोग देना चाहिए।
- रोगी को अस्पताल द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- रोगी को चिकित्सक की गरिमा, अस्पताल के स्टाफ के सम्मान एवं उनकी व्यवसायिकता का ध्यान रखना चाहिए।
- रोगी को अपने द्वारा लिये गए चिकित्सीय निर्णय की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए साथ ही दिये गए चिकित्सा सुविधा से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

आगे की राह

रोगियों के अधिकार की रक्षा करना नीति निर्माताओं के लिये आवश्यक है, साथ ही साथ उन्हें इसके लिये जागरूक भी किया जाना चाहिए क्योंकि जो अशिक्षित हैं वे अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते जबकि शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा एवं मांग कर सकता है।

देश में मरीजों के हित को सुरक्षित रखने के लिये इस चार्टर को लागू किया जाना चाहिए तथा देश के प्रत्येक राज्य को क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 को मानना चाहिए। कुछ अन्य राज्य जो कि नर्सिंग होम एक्ट का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि मरीजों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये मानवाधिकार आयोग ने रोगियों के अधिकार की महत्ता को स्वीकार किया है। अतः मानवाधिकार के इस कार्य को ध्यान में रखते हुए रोगियों के हित में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस -अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

3. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड रिपोर्ट 2017 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने वर्ष 2017 के लिए अपनी वार्षिक 'अपराध' रिपोर्ट जारी की, जिसमें राज्य में अपराध के रूप में दर्ज मामलों में 30% की उछाल देखी गई। हालांकि इसमें भीड़ के कारण मौत के आँकड़े, प्रभावशाली लोगों द्वारा हत्या, खाप पंचायत द्वारा आदेशित हत्या और धार्मिक कारण के लिए हत्या को प्रकाशित नहीं किया गया। विदित हो कि इस बार राष्ट्र-विरोधी तत्व नामक एक नई श्रेणी जोड़ी गई है, जिसमें 'जिहादी आतंकवादियों, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर-पूर्व विद्रोहियों' का विवरण दिया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) का प्रकाशन आपराधिक आँकड़ों के संदर्भ में न केवल पुलिस अधिकारियों बल्कि अपराध विज्ञानी, शोधकर्त्ताओं, मीडिया और नीति निर्माताओं के लिये भी सहायक होते हैं। यहां हम NCRB द्वारा हाल ही में जारी

की गई रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं-

अपराध पंजीकरण दर और हत्याः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में, 2016 से अधिक मामलों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि 3.6% की रही।

रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के दौरान देश भर में कुल 28,653 हत्या के मामले दर्ज हुए, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 30,450 था। देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की पुलिस से मिले आंकड़ों से पता चला कि हत्याओं में सबसे ज्यादा कारण आपसी विवाद रहा।

देश के सभी राज्यों के मुकाबले 2017 में उत्तर प्रदेश और बिहार में हत्या की सबसे ज्यादा वारदातें हुईं। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु रहे।

राज्यों के अलावा केन्द्रशासित प्रदेशों में दिल्ली अव्वल है। लेकिन यहां 2016 के मुकाबले हत्याओं के मामले में कमी देखी गई है। 2016 में जहां हत्या के 528 मामले सामने आए थे, वहीं 2017 में यह आंकड़ा घटकर 487 हो गया। दिल्ली के बाद हत्या के सबसे ज्यादा मामले क्रमशः चंडीगढ़ और पुडुचेरी में देखने को मिले। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हत्याओं का आकलन प्रति 1 लाख की आबादी पर किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश अव्वल स्थान पर है। यहां एक लाख की आबादी पर 5.9 मामले सामने आए हैं।

वहीं दहेज संबंधी हत्या के मामलों में ओडिशा (291) के बाद पश्चिम बंगाल (274) का स्थान है। 2017 में दहेज के लिए हत्याओं का आंकड़ा 1,123 रहा। जहां तक राजनीतिक हत्याओं की बात है तो 2017 में कुल 98 हत्याएं हुईं, जिनमें सबसे ज्यादा झारखंड (42) और बिहार (12) में इस तरह की वारदातें हुईं।

महिला और बाल अपराधः भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा देश में लंबे समय से चली आ रही है। यह लैंगिक असमानताओं का ही परिणाम है कि महिलाओं के शारीरिक एवं यौन शोषण संबंधी मामले बढ़े हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सामान्य रूपों में घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और हत्या जैसे कार्य शामिल हैं। मौजूदा समय में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पहले की तुलना में अधिक देखा जा रहा है, दरअसल इसकी वजह है कि हिंसा की कई अभिव्यक्तियों को आज भी अपराध नहीं माना जाता है, वहीं भारतीय संस्कृति के भीतर लिंगवाद और पितृसत्ता की कई प्रणालियों को आज भी प्रश्रय प्राप्त है।

> **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो**
>
> राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान करके समर्थ बनाया जा सके। NCRB अपराध, दुर्घटना, आत्महत्या और जेल संबंधी डेटा के प्रामाणिक स्रोत के लिये नोडल एजेंसी है।
>
> NCRB 'भारत में अपराध', 'दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें और आत्महत्या', 'जेल सांख्यिकी' तथा फिंगर प्रिंट पर 4 वार्षिक प्रकाशन जारी करता है। विदित हो कि NCRB ने CCIS (Crime and Criminals Information System) वर्ष 1995 में, CIPA (Common Integrated Police Application) 2004 में और अंतिम रूप में CCTNS वर्ष 2009 में प्रारंभ किया।

गौरतलब है कि रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित करीब 27.9 प्रतिशत मामले पति या उसके परिजनों की क्रूरता के खिलाफ दर्ज किये गये थे। महिला की शालीनता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला करने के खिलाफ करीब 21.7 प्रतिशत आपराधिक मामले दर्ज हुए। इसी तरह महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराधों में करीब 20.5 प्रतिशत केस अपहरण के दर्ज किये गये। महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुल संख्या 3,59,849 हैं, जबकि उत्तर प्रदेश 56,011 मामलों के साथ शीर्ष पर है। महाराष्ट्र 31,979 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर तथा पश्चिम बंगाल 30,002 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है।

वहीं दूसरी तरफ बच्चों से सम्बन्धित अपराध के मामले भी बढ़ गए हैं। विदित हो कि भारत में साल 2016 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,06,958 केस दर्ज हुए जो साल 2017 में करीब 28 प्रतिशत बढ़कर 1,29,032 हो गये। इस मामले में, यूपी पहले स्थान पर है, जहां ऐसे मामले साल 2016 की अपेक्षा 19 प्रतिशत ज्यादा दर्ज हुए। यूपी में कुल 19,145 मामले दर्ज किये गये थे। जबकि एमपी में 19,038 मामले, महाराष्ट्र में 16,918 मामले, दिल्ली में 7852 और छत्तीसगढ़ में 6518 मामले दर्ज किये गये।

जाति आधारित अत्याचारः भारत में उच्च जातियों द्वारा ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी और एसटी) के खिलाफ अपराध पूर्वाग्रह और भेदभाव के एक चरम रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसकी उपस्थिति मौजूदा समय में भी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जाति आधारित अपराध दर्ज किए गए। इसके बाद बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश रहे। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति (एससी) के खिलाफ भी ज्यादातर राज्यों में 2017 में अपराध और उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। विदित हो कि देश में कुल 43203 केस दर्ज किए गए।

गौरतलब है कि जाति संबंधी अपराध को समाप्त करने के लिए, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर सभी नागरिकों के लिए समानता का आदर्श स्थापित किया गया है। साथ ही सरकार ने कई कानून भी बनाये हैं, जैसे- SC / ST अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 आदि। सरकार ने इन मामलों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष कानूनी अभियोजक जैसे विशेष कानूनी प्रावधान, प्रत्येक जिले में विशेष अदालतों की स्थापना, पीड़ितों और गवाहों के संरक्षण आदि की भी व्यवस्था की है बावजूद इसके मौजूदा आंकड़े चिंताजनक हैं।

दंगेः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में दंगों की संख्या भी बढ़ी है। विदित हो कि दंगों की कुल 58,880 घटनाओं में से, सांप्रदायिक और सांप्रदायिक दंगों (Communal Riots) में क्रमशः 723 और 183 घटनाएं हुईं हैं। वहीं जातिगत संघर्ष के कारण 805 दंगे हुए और राजनीतिक कारणों से 1909 दंगे हुए। इस मामले में बिहार से अधिकतम घटनाएं सामने आईं, उसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के नाम आते हैं।

आर्थिक अपराधः वैश्विक स्तर पर आर्थिक अपराध एक बड़ी समस्या बनी हुई है और भारत इसका अपवाद नहीं है। पिछले दस साल में भारत में क्रेडिट/डेबिट कार्ड और ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से इंटरनेट अपराधों के अलावा विश्वासघात जैसे आर्थिक अपराधों की संख्या दोगुनी हो गई है। विदित हो कि आर्थिक अपराध के मामलों में राजस्थान ने तेलंगाना को पछाड़ते हुए पहला नंबर हासिल कर लिया है जहां 2017 में 148972 मामले दर्ज किए गए हैं।

वहीं पिछले दशक में भारत में जो बड़े आर्थिक अपराध हुए, उनमें वर्ष 2009 में हुए सत्यम कंप्यूटर का 7,314 करोड़ रुपये की एकाउंटिंग धोखाधड़ी और 204 कोयला खदानों का आवंटन शामिल था, जिन्हें 2014 में सर्वोच्च अदालत ने रद्द कर दिया। वर्ष 2016 में रिको इंडिया के झूठे खातों के मामले में करीब 1,123 करोड़ रुपये का नुकसान आर्थिक घोटाले का ताजा उदाहरण है।

मोटे तौर पर इसके दो पहलू हैं पहला है आर्थिक अपराध और दूसरा है कानूनी प्रक्रिया। विजय माल्या, ललित मोदी और नीरव मोदी-ये कुछ ऐसे नाम हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की चर्चा करते ही जेहन में कौंध जाते हैं।

भारत से दूसरे देशों में धन के हस्तांतरण की कई विधियां हैं। मनी लॉन्ड्रिंग उन्हीं में से एक है। सरकार ने पिछले कार्यकाल में दो लाख से ज्यादा शेल कंपनियों को नोटिस जारी किया, जिनमें से कई फर्जी और नकली निकली हैं।

भारतीय कानून में आर्थिक अपराधों के लिए कई कठोर प्रवधान किया गया है। सरकार द्वारा हाल ही में नीरव मोदी- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले पर कार्रवाई करते हुए 21 अप्रैल को भगोड़े आर्थिक अपराधियों (FEO) अध्यादेश, 2018 को अपनी सहमति दी।

इसके अलावा, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज (सरफेसी) अधिनियम, 2002, बैंकों और वित्तीय संस्थानों अधिनियम, 1993 के कारण ऋणों की वसूली, और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, जैसे कानूनों की अवधारणा को भी मजबूती प्रदान की गई।

भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी है। सत्ता में बैठे लोग अकसर विवेकाधीन प्राधिकरणों का इस्तेमाल करने या नीतिगत खामियों का फायदा उठाने या कानूनों को कमजोर करने और निहित स्वार्थों के पक्ष में कानूनों का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। बदले में वे अकसर आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हैं। आंकड़ों के अनुसार, साल 2017 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और संबंधित धाराओं में कुल 4062 मामले दर्ज हुए। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किये गये। हालांकि सबसे ज्यादा वृद्धि कर्नाटक में हुई। वहीं सिक्किम अकेला ऐसा राज्य रहा जहां एक भी ऐसा केस दर्ज नहीं हुआ।

साइबर अपराध: वर्तमान समय में बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ, साइबर हमलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2015-17 के आंकड़े जारी किए। इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों की बात करें तो साल 2015-17 के बीच देशभर में 45,705 साइबर क्राइम हुए हैं। साल 2015 में देश में 11,331, 2016 में 12,187 और 2017 में 21,593 साइबर क्राइम दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो तीन सालों में साइबर क्राइम 1.7 फीसदी की दर से बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने साइबर क्राइम के आंकड़ों को राज्यवार भी जारी किया है जिसके मुताबिक 2015 में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश में हुए हैं जिनकी संख्या 2208 है। वहीं 2017 में यूपी में सबसे ज्यादा 4971 साइबर क्राइम हुए हैं। 2015-17 तक साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा यानी 5 फीसदी की वृद्धि कर्नाटक में दर्ज की गई है।

एनसीआरबी ने इस बार आंकड़ों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली फेक न्यूज को भी अपराध मानते हुए 2017 में 257 केस दर्ज किए हैं जिसमें मध्यप्रदेश 138 मामलों के साथ पहले नंबर पर है जबकि 32 मामलों के साथ यूपी दूसरे नंबर पर है। 18 केस दर्ज कर केरल तीसरे नंबर पर है। हैरानी की बात ये है कि फेक न्यूज फैलाकर सबसे ज्यादा माहौल जिस जम्मू-कश्मीर में खराब किया जाता था वहां पर फेक न्यूज के सिर्फ 4 मामले दर्ज किए गए।

विदित हो कि सरकार ने इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए कई साइबर सेल को स्थापित किया है। उदाहरण के लिए NIC-CERT- नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर-कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन आदि।

पर्यावरण अपराध: जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है तो स्वास्थ्य के प्रति वैधानिक चेतावनी के बावजूद पर्यावरणीय अपराधों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों की मानें तो 2016-17 के दौरान पर्यावरण से जुड़े अपराधों में आठ गुना बढ़ोतरी हुई है। हैरानी की बात यह है कि पर्यावरण से जुड़े अपराधों के करीब 70 फीसदी मामले सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों से संबंधित हैं। सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के तहत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना अपराध है।

हाल ही में जारी एनसीआरबी के आंकड़ों के अध्ययन के मुताबिक, 2016 में पुलिस ने 4,732 पर्यावरणीय अपराध के मामले दर्ज किए हैं, जो 2017 में बढ़कर 42,143 तक जा पहुंचा। इसमें से 29,659 मामले तंबाकू कानून के तहत दर्ज किए गए। वहीं, तुलनात्मक तौर पर देखें तो पुलिस ने वायु एवं जल प्रदूषण के सिर्फ 36 मामले ही दर्ज किए थे। वह भी तब, जब दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में से 14 अकेले भारत में ही हैं। स्मरणीय हो कि पुलिस ने पर्यावरणीय अपराधों के तहत दर्ज किए जाने वाले कुल मामलों के करीब 20 फीसदी (8,400) एक नई श्रेणी के तहत दर्ज किए थे। यह नई श्रेणी ध्वनि प्रदूषण की है। माना जाता है कि शोर के चलते जंगलों को बेतहाशा नुकसान पहुंचता है।

ज्ञातव्य है कि तमिलनाडु में पर्यावरणीय अपराध सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। कुल 29,659 मामलों में से करीब 70 फीसदी यानी 20,640 मामले तमिलनाडु में दर्ज किए गए। वहीं, 23 फीसदी के साथ इस मामले में केरल दूसरे स्थान (6,743) पर है। पुलिस ने 3,842 मामले भारतीय वन कानून, पर्यावरण संरक्षण कानून और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किए।

अन्य अपराध

NCRB की जारी रिपोर्ट के मुताबिक अपराधों की सबसे उत्सुक प्रत्याशित श्रेणियों में से एक, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 के तहत फर्जी खबर भी है। वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश ने झूठे संदेशों को प्रसारित करने के अधिकतम मामले दर्ज किए, इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल आते है। ऐसे राज्यों की सूची में झारखंड और हरियाणा भी शामिल हैं, जहां कथित तौर पर लोगों को बच्चे चोरी करने, पशु तस्करी आदि से संबंधित झूठी अफवाहों के प्रचलन के कारण मारा गया।

वहीं राष्ट्रवाद बनाम राजद्रोह से संबंधित मामले भी एनसीआरबी के अवलोकन में आए। उल्लेखनीय है कि 2017 में राजद्रोह के 51 मामले सामने आए, जिनमें 24 मामले राष्ट्रीय एकीकरण के लिए पूर्वाग्रह और दावे से संबंधित थे। हरियाणा (13) के बाद असम (19) से सबसे अधिक राजद्रोह के मामले सामने आए। वहीं जम्मू और कश्मीर में देशद्रोह का सिर्फ एक मामला ही दर्ज किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों, असम को छोड़कर, शून्य घटना ही दर्ज की गई।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत, 18 मामले दर्ज किए गए और 901 मामले गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए।

एंटी-नेशनल एलिमेंट्स की विभिन्न श्रेणियों द्वारा किए गए अपराधों की एक नई श्रेणी से पता चला कि अधिकतम अपराध लेफ्ट विंग

एक्सट्रीमिस्ट (LWE) ऑपरेटर्स (652) द्वारा किए गए थे, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट विद्रोहियों (421) और आतंकवादियों (जिहादी और अन्य) तत्वों) (371) द्वारा।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि NCRB की रिपोर्ट सांसदों, नीति निर्माताओं, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य विभिन्न हितधारकों के लिए काफी अधिक महत्व रखता है। हालिया रिपोर्ट के साथ एक खास बात यह भी है कि रिपोर्ट के दायरे और कवरेज में काफी सुधार हुआ है क्योंकि NCRB ने अपराध के उभरते रुझानों और पैटर्न को पकड़ने का प्रयास किया है।

देश में नए उभरते अपराधों की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह नीति निर्माताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अपराध की रोकथाम की रणनीतियों और भविष्य के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप और उपायों की योजना बनाने में सक्षम करता है। अपराध के आंकड़ों के लिए प्रमुख संदर्भ दस्तावेज होने के नाते, यह साक्ष्य आधारित नीति बनाने की सुविधा भी प्रदान करता है। जरूरत है कि सरकार ऐसे आंकड़ों पर अपनी नीतियों, निर्णयों और कार्यों को आधार बनाए ताकि चुनौतियों का समाधान सहजता के साथ किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

4. नयी ऊँचाइयों को छूता भारत-सऊदी अरब संबंध

चर्चा का करण

हाल ही में भारत और सऊदी अरब के मध्य उच्चस्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। विदित हो कि इस परिषद की अगुआई भारत के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान करेंगे और यह बैठक प्रत्येक दो साल के अंतराल पर होगी। इस परिषद के माध्यम से द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

परिचय

सऊदी अरब में संपन्न इस तीन दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम को 'दावोस इन द डेजर्ट' नाम दिया गया है। इसे भारत-सऊदी अरब के रिश्तों में एक नई मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। बीते तीन वर्षों में पीएम मोदी की यह दूसरी सऊदी अरब यात्रा थी। वर्ष 2016 में जब पीएम पहली बार सऊदी अरब गए थे तभी वहां के बादशाह ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था। इसके बाद वर्ष 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस भारत के दौरे पर आए थे। हाल ही में संपन्न बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न समझौते हुए जो निम्नलिखित हैं-

- रक्षा उद्योगों के सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।
- चिकित्सा उत्पादों के विनियमन पर समझौता ज्ञापन।
- मादक पदार्थों की तस्करी और दवा की मांग पर एमओयू।
- सऊदी अरामको और भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन।
- विदेशी सेवा संस्थानों के बीच समझौता।
- अटल इनोवेशन मिशन के लिए समझौता।
- स्टॉक एक्सचेंजों के बीच समझौता।
- हज संबंधित सहयोग पर समझौता।
- RuPay कार्ड पर समझौता।
- सुरक्षा सहयोग पर समझौता।
- द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता।

पृष्ठभूमि

1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने पश्चिम एशिया में सऊदी अरब के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। नवंबर 1955 में सऊदी अरब के राजा सऊद द्वारा भारत की यात्रा में, दोनों राष्ट्रों ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों के आधार पर अपने संबंधों को आकार देने पर सहमति व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि सोवियत-समर्थित डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता देने वाला भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई राष्ट्र था, जबकि सऊदी अरब अफगान मुजाहिदीन के प्रमुख समर्थकों में से एक था, जिसने पाकिस्तान से सोवियत और उनके अफगान सहयोगियों का मुकाबला किया था।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है सऊदी अरब

सऊदी अरब भारत के लिए कई मायनों में बेहद खास है जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- अपनी भू-स्थानिक स्थिति के मद्देनजर भारत के लिये सऊदी अरब काफी महत्व रखता है, जिसके साथ हमारे हजारों साल से पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। उल्लेखनीय है कि अपने-अपने भौगोलिक क्षेत्रों में शक्ति केंद्र के रूप में भारत और सऊदी अरब की भूमिकाओं का अर्थ यह है कि वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, गरीबी से लड़ने, शैक्षिक आदान-प्रदान और निवेश सहित कई अन्य हितों को साझा करते हैं।
- सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी है। 2017-18 के दौरान दोनों देशों के बीच 1.95 लाख करोड़ रुपए का सालाना कारोबार हुआ। सऊदी अरब भारत की कुल जरूरत का 17% कच्चा तेल और 32% एलपीजी मुहैया करा रहा है। दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय व्यापार 25 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। रत्नागिरि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना के लिये 44 बिलियन डॉलर के संयुक्त उद्यम द्वारा दोनों देश पारंपरिक खरीददार-विक्रेता संबंध के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं।
- सऊदी अरब के कारोबारी अनगिनत अवसरों के साथ वैश्विक बाजार में प्रवेश कर रहे हैं जिनसे भारत फायदा उठा सकता है। जब से भारत ने रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के लिए 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है, तब से सऊदी अरब भी भारत के सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहता है। इसके अतिरिक्त दोनों देश सैन्य सहयोग भी बढ़ाने के इच्छुक हैं।

- भारत का यह मानना है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के विजन-2030 के तहत हो रहे आर्थिक सुधार, भारत के 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया' जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के पूरक हो सकते हैं।
- खाड़ी देशों में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी के मद्देनजर भी सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध रखना भारत के हित में है। विदित हो कि सऊदी अरब में तीन मिलियन से अधिक भारतीय रहते हैं जिन्हें वह सालाना लगभग 10 बिलियन डॉलर का भुगतान करता है।
- सऊदी अरब में बसे प्रवासी भारतीय विदेश से धन प्रेषण के मामले में दूसरे स्थान पर आते हैं। साथ ही ये प्रवासी भारतीय इस क्षेत्र में भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक महत्त्वपूर्ण घटक भी हैं।
- पश्चिमी हिंद महासागर में आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में पश्चिम एशिया भी एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है। स्मरणीय हो कि भारत सरकार ने पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिये अच्छा काम किया है। UAE और सऊदी अरब दोनों ने बड़े निवेश किये हैं। भारत ने इस क्षेत्र में अपने आर्थिक प्रतिद्वंद्वियों ईरान, कतर और इजराइल के साथ संबंध बेहतर बनाए हैं।
- भारत और सऊदी अरब के बीच एक मजबूत स्वतंत्र रणनीतिक भागीदारी भी है जो दोनों देशों के संबंध को प्रगाढ़ बनाते हैं।

रिश्तों में प्रगाढ़ता के कारण

हाल ही में सऊदी अरब द्वारा भारत के साथ सम्बन्धों में आई प्रगाढ़ता के कई कारण हैं, जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- वर्तमान में आर्थिक विश्लेषकों द्वारा ऐसी संभावनाएँ की जा रही हैं कि सऊदी अरब का आर्थिक मॉडल खतरे में है। ऐसे में सऊदी अरब के लिए भारत काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि अगस्त में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के फैसले के महज एक हफ्ते के भीतर भारत ने सऊदी अरब में निवेश का ऐलान किया।
- वहीं हाल ही में सऊदी अरब में हुए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट जिसको 'दावोस इन द डेजर्ट' का नाम दिया गया, में भारत ने सऊदी अरब में 100 बिलियन डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है। विदित हो कि बीते पांच वर्षों में यह सऊदी अरब में होने वाला करीब दोगुना निवेश है।
- भारत की तरफ से यह निवेश तेल और गैस के क्षेत्र में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017-18 में दोनों देशों के बीच व्यापार 27.48 बिलियन डॉलर का था। यहां पर एक और बात बेहद खास हो जाता है कि भारत विश्व में तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीददार है। वहीं सऊदी अरब, इराक के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा तेल निर्यातक है। भारत अपनी जरूरत का करीब 83 फीसद तेल बाहर से ही खरीदता है। वर्ष 2018-19 में सऊदी अरब ने भारत को 40.33 मिलियन टन क्रूड ऑयल बेचा था।
- वहीं दूसरी तरफ आज पूरी दुनिया आर्थिक गिरावट से जूझ रही है। इसकी जद में सऊदी अरब भी है। वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट की वजह से सऊदी अरब परेशान है। वहीं अमेरिका सऊदी अरब से तेल का आयात भी नहीं कर रहा है क्योंकि उसको सऊदी के तेल की आवश्यकता नहीं है, परिणामस्वरूप सऊदी अरब को नए बाजार की तलाश है। सऊदी अरब को इससे निकलने में भारत सहायक साबित हो सकता है।
- सऊदी अरब की चिंता की वजह यमन में छिड़ी जंग भी है। इस वजह से उसका खर्च बढ़ गया है। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब अब महज तेल और गैस के व्यापार से बाहर निकलकर दूसरे क्षेत्रों में निवेश करना चाहता है। इसके लिए वह उन देशों पर निगाह लगाए हुए है जहां पर भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और भारत इन्हीं में शामिल हैं।
- इसके अलावा सऊदी अरब अब पर्यटन क्षेत्र में भी हाथ आजमाने में लगा हुआ है। भारत और सऊदी अरब की बात करते ही वहाँ पर काम कर रहे 15 लाख भारतीयों का जिक्र आना बेहद लाजिमी है। इन लोगों का वहाँ की अर्थव्यवस्था में अहम स्थान है। इस लिहाज से भी दोनों देश के बीच सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त सऊदी अरब के शासक भारत-ईरान के बढ़ते हुए संबंधों से भी काफी चिंतित हैं और वे नहीं चाहते कि भारत पूरी तरह से ईरान की नीतियों का समर्थन पश्चिम और मध्य एशिया में करे।
- रिश्तों में प्रगाढ़ता का एक दूसरा पहलू वर्तमान में सऊदी अरब-पाकिस्तान के रिश्तों में आयी दूरियाँ भी हैं, जिसके निकट भविष्य में खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही है। नतीजतन दोनों देश के बीच रिश्ते कुछ हद तक बदल गए हैं। यह बदलाव कई अन्य वजहों से भी आया है। इसमें सबसे पहली और बड़ी वजह तो यही है कि सऊदी अरब अब लगातार अपनी कट्टर मुस्लिम राष्ट्र की छवि से बाहर निकल रहा है। इसके लिए उसने अपने यहां की महिलाओं को कई तरह के अधिकार दिए हैं, जिसकी पूरी दुनिया ने स्वागत किया है। दूसरी वजह ये भी है कि सऊदी अरब के संबंध इस दौर में अमेरिका और भारत से काफी अच्छे हुए हैं। वहीं, पाकिस्तान से संबंधों में गिरावट आई है।
- इसके अलावा पाकिस्तान पर लटकी एफएटीएफ की तलवार की वजह से भी सऊदी अरब पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखना चाहता है। वहीं, पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ 39 देशों की इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन के कमांडर इन चीफ हैं। इसके बाद भी तेल कंपनी आरामको पर हमला होना उनकी नाकामी को दर्शाता है। ऐसे में अब सऊदी अरब के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह अधिक समय तक पाकिस्तान की भारत विरोधी नीतियों को समर्थन देता रहे। सऊदी अरब के लिए भारत विश्व की आठ बड़ी शक्तियों में से एक है, जिसके साथ वो अपने 'विजन 2030' के तहत रणनीतिक साझेदारी करना चाहता है।

भारत-सऊदी अरब संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ

भारत और सऊदी अरब के कई आपसी हित हैं। पाकिस्तान से सऊदी की नजदीकी, कश्मीर पर सऊदी का रुख, कट्टरपंथी ताकतों को उसका समर्थन जैसे मुद्दे भारत और सऊदी अरब के सम्बन्धों के समक्ष चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं जिसको निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- सऊदी अरब और भारत की व्यवस्था में अंतर देखने को मिलता है। भारत लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास रखता है। वहीं सऊदी अरब में राजतंत्र है। वहां एक कट्टरपंथी शासन की भी मौजूदगी है जो अप्रत्यक्ष तौर पर कट्टरपंथी ताकतों को प्रोत्साहित भी करती है।

- सऊदी अरब के पाकिस्तान से बहुत घनिष्ठ संबंध हैं और कूटनीतिक स्तर पर भी दोनों के बीच बेहद घनिष्ठता देखने को मिलती है। सऊदी अरब न केवल पाकिस्तान को बड़े आर्थिक संकटों से बचाने में सहायता करता रहा है, बल्कि लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता देकर पाकिस्तान की रक्षा आवश्यकताओं में भी मदद करता है।
- पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच धार्मिक संबंध भी काफी मजबूत रहे हैं। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में ईरान और फारस के प्रभाव को नियंत्रित करने का काम करता है और उसके चलते सऊदी अरब ने पाकिस्तान में हजारों मदरसे खोलने के लिए फंडिग किया है।
- पाकिस्तान मध्य पूर्व और खासतौर से खाड़ी देशों में चीन के हित को भी प्रोत्साहित करता है। इस समय पाकिस्तान और चीन मिलकर डिफेंस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। असल में चीन पाकिस्तान में एसेंबलप्लांट लगाएगा तथा सऊदी इनसे हथियार खरीदेगा और इससे इनका निवेश भी आएगा। इसलिए पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए काफी महत्व रखता है वहीं दूसरी तरफ वह भारत की चिंता को भी बढ़ा रहा है।
- कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब के रुख को लेकर भी भारत असहज है। दरअसल, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कश्मीर प्रस्ताव का सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देश हमेशा समर्थन करते रहे हैं।
- इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर भी भारत और सऊदी अरब के बीच मतभेद है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान के अलावा ऐसे अकेले दो देश थे, जिन्होंने तालिबान को सत्ता में आने पर मान्यता दी थी और उसकी मदद भी की थी। अभी भी उनके संबंध तालिबान से बने हुए हैं। वही भारत तालिबान को एक चरमपंथी संगठन मानता है और अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को समर्थन करता है।
- सऊदी अरब कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन भी करता है। वो वहावी द्वारा संचालित मदरसों को या रूढ़िवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता है। विदित हो कि भारत के अंदर बहुत बड़ी संख्या में वहावी विचारधारा वाले मुसलमान भी हैं। ऐसे में कहीं भारत में भी इस्लामिक चरमपंथ ना बढ़ जाएं इस बात से भारत चिंतित है।
- पाकिस्तान की तरह अगर इन मदरसों को बड़ी फंडिंग मिलती है तो ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकते हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में भारत और सऊदी अरब दोनों देश चरमपंथ के खिलाफ बोल रहे हैं। साल 2008 में हुए मुंबई हमले पर सऊदी अरब समेत खाड़ी के दूसरे देशों ने प्रतिक्रिया भी दी थी और माना था कि पाकिस्तान की धरती से चलाए जा रहे और पाकिस्तान प्रायोजित जिहादी समूहों से पूरे क्षेत्र को खतरा है।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में भारत और सऊदी अरब के बीच मधुर संबंधों का होना आवश्यक है। दरअसल पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत और सऊदी अरब के साझा हित हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में तालमेल बैठाने और भागीदारी को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम करना जरूरी हो जाता है। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- सऊदी अरब और पाकिस्तान के मजबूत रणनीतिक तथा आर्थिक गठजोड़ में आई हालिया दूरी के मद्देनजर भारत के लिये यह मानना नासमझी होगी कि वह सऊदी अरब को पाकिस्तान से दूर कर पाएगा।
- इसके बजाय भारत को सऊदी अरब के साथ आर्थिक संबंधों से होने वाले किसी भी अवसर का लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिये। वहीं राजनीतिक-रणनीतिक क्षेत्र में सऊदी अरब से बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिये।
- सऊदी अरब के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर आक्रामक भारतीय दृष्टिकोण अपनाते समय इजरायल और ईरान के साथ संबंधों को भी अवश्य ही ध्यान में रखना होगा।
- एक ठोस भारत-सऊदी आर्थिक सहभागिता का मार्ग प्रशस्त करने का एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि आर्थिक परियोजनाओं को उस 'रणनीतिक' परिकल्पना से अलग कर देना चाहिए जो भारत के लगभग हर द्विपक्षीय रिश्ते का अहम अंग होती है।
- रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक परियोजनाओं को कहीं ज्यादा अहम मानते हुए उनके लिए नीति स्पष्टता और बाजार समर्थक नजरिया अपनाने की भी जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

5. संसद की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली विश्वविद्यालय में श्री अरूण जेटली की स्मृति में आयोजित व्याख्यान में पुरातनपंथी राजनीति से हटकर विकासवादी रणनीति के लिये नवजनचेतना की आवश्यकता को बतलाया है तथा उन्होंने कहा कि 'प्रबुद्धजनमत' स्वास्थ्य लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है। इसके साथ ही उन्होंने जन शिक्षा के लिये मीडिया तथा राजनीतिक दलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बतलाया है। उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों को सतत जनसंपर्क के माध्यम से जनचेतना को बढ़ाने तथा जनचेतना को विधायी कार्यों में प्रतिबिंबित करने की तरफ संकेत किया।

परिचय

भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, धीरे-धीरे ब्रिटिश अधिनियमों के तहत जिन संवैधानिक प्रावधानों का विकास हो रहा था, लोग उसे अपना भी चुके थे। अतएव संविधान निर्माताओं ने भारत के वृहद भौगोलिक स्थिति, उसकी जटिलता एवं विविधता को देखते हुए लोकतंत्र को अपनाया जाना ही उचित समझा। इसके साथ ही शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। हालांकि वे यह समझते थे कि लोकतंत्र भी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है फिर भी इससे बेहतर विकल्प भारत के लिये नहीं था। वर्तमान में सामाजिक एवं राजनैतिक चुनौतियों को देखते हुए शासन प्रणाली में सुधार के साथ

लोकतांत्रिक मूल्यों को उत्कृष्ट किये जाने की ओर विचार-विमर्श चल रहा है।

उपराष्ट्रपति द्वारा दिये गए सुझाव के मुख्य बिन्दु

उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने संसद के कामकाज को सक्षम करने के लिये 15 सूत्रीय बिन्दु की व्याख्या की, जो निम्नलिखित हैं-

- किसी विधेयक के पारित होने से पहले और बाद में सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उसके प्रभावों का अध्ययन करना।
- संसदीय समितियों का कार्यकाल वर्तमान में एक साल से बढ़ाकर दीर्घकालीन करना।
- महिला आरक्षण विधेयक पर उचित प्रावधान करना, जिससे कि उनकी उपस्थिति को वर्तमान में 13% से अधिक किया जा सके।
- संसद और राज्य विधानमंडलों के लिये प्रति वर्ष न्यूनतम संख्या में बैठकें निर्धारित की जाए तथा उनका अनुपालन किया जाय।
- कानून निर्माताओं को सदन के नियमों का पालन करना चाहिए तथा राजनीतिक दलों को इस संबंध में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ताकि आचार संहिता को लागू किया जा सके।
- ऐसे नियम बनाए जाएं, जो कि सदस्यों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने पर, उन पर स्वत: ही लागू हो जाए।
- सदन में न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करने के लिये रोस्टर प्रणाली लागू करना।
- दल-बदल कानून का पुनरावलोकन किया जाना ताकि पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत समय में इसका निपटारा किया जा सके।
- दलों की व्हिप प्रणाली की भी समीक्षा हो जिससे सदस्यों को अपने दलों की नीति के विरुद्ध तर्कपूर्ण विरोध का अधिकार संरक्षित रहे तथा सरकार की स्थिरता भी अक्षुण रहे।
- संसद में नए प्रवेशकों को या बैक बेंचरों को भी बहस में भाग लेने के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित किये जाएं।
- विधायकों एवं चुनाव संबंधी मामलों के खिलाफ आपराधिक शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटारे के लिये न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए।
- गैर नैतिक आचरण के लिये विधायकों के खिलाफ समय पर कार्यवाई की जाए।
- सत्ता पक्ष को विपक्ष के विचारों के लिये रचनात्मक एवं जिम्मेदार होना चाहिए। दोनों पक्षों को निंदक एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिये संसदीय साधनों का सहारा लेते हुए बहस में भागीदारी करनी चाहिए।
- चुनाव को एक साथ कराए जाने पर आम सहमति बनाना ताकि चुनावों के कारण शासन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और धन शक्ति की समस्या का समाधान भी हो सके।
- एक नई राजनीतिक चेतना विकसित करना जिससे राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि से आए लोगों को राजनीति से दूर कर सके।

उक्त सुझावों पर चर्चा

भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा दिये गए सुझावों को भारतीय शासन के नजरिये से देखा जाए तो इससे सन्दर्भित कुछ मुद्दे विद्यमान हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या यह व्यवस्था शासकीय समस्याओं से निजात दिलाने में सक्षम होगी। इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका संविधान वृहद है। इस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिये संसदीय सरकार की दृढ़ता आववश्यक है। संसदीय सरकार को निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की सहमति प्राप्त होती है।

संसदीय समितियाँ

ध्यातव्य है कि वर्ष में तीन बार सदन के सत्र को बुलाया जाता है। ऐसे में संसद का कामकाज काफी बढ़ जाता है, संसदीय समितियों द्वारा विधेयक को पारित होने से पहले उसकी जांच की जाती है। तदुपरांत समिति का अध्यक्ष बिल को अपने सलाह के साथ मंत्रालय को भेजता है।

ऐसा देखा गया है कि 14वीं व 15वीं लोकसभा में 60% और 71% बिल पेश किये गए थे। परन्तु 16वीं लोकसभा में यह घटकर 27% तक रह गया, जो कि एक चिंता का विषय है। स्थायी समिति में सदस्यों की अनुपस्थिति, समिति के छोटे कार्यकाल के कारण विधेयकों की जाँच-पड़ताल न हो पाना, समिति में विशेषज्ञों की कमी के कारण विधेयक का गहन विश्लेषण न हो पाना आदि हैं। इस कारण कई विधेयक बिना संसदीय समिति की प्रक्रिया से गुजरे बगैर चर्चा के लिए रखे जाते हैं, जिनका दूरगामी परिणाम बेहतर नहीं निकलता। इसके फलस्वरूप देश को आगामी कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।

हालांकि कई बार यह भी देखा गया है कि संसदीय समिति की प्रक्रियागत विश्लेषण से विधेयक को पास करने में देरी होती है और यह समस्या तब अधिक विकट होती है जब सरकार अपनी अस्थाई स्थिति से गुजर रही होती है या किन्हीं कारणों से उस विधेयक का पास होना अधिक आवश्यक होता है।

यद्यपि देखा जाए तो संसदीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिये स्थायी समिति के कार्यकाल को बढ़ाने तथा उसके अंदरूनी प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व

वर्तमान में विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति मात्र 13% है, जो यह दर्शाता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। बावजूद इसके कि वे चाहे घरेलू स्तर पर हो या बाह्य स्तर पर, अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करती है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, परन्तु उनको संसद में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हैं। हालांकि कुछ कानून द्वारा जैसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को मान्यता दिया गया जिसमें महिलाओं की 1/3 भागीदारी सुनिश्चित की गई है, परन्तु यह पर्याप्त नही हैं। देश के कई बड़े राजनीतिक दल महिला आरक्षण पर विरोध जता चुके हैं।

यदि गौर किया जाए तो संसद में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिल पाने के पिछे कई कारक विद्यमान हैं उदाहरण के रूप में कई पार्टियाँ ऐसी सीटों पर महिलाओं को टिकट देती है, जो जीतने योग्य नहीं होती है, जहां उन पार्टियों की पकड़ काफी कमजोर होती है या फिर वह सीट पुरुषवादी मानसिकता के अधिक प्रभाव में होती है। राजनीति में पितृसत्तात्मक सोच, उनके पास पर्याप्त फंडिंग का न होना, राजनीति में बाहुबली का दबदबा भी महिला के प्रवेश के लिये एक चुनौती है, इन कारणों से संसद में उनका प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ रहा है, जो कि महिला आरक्षण को पारित करवाने में भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। अतएव महिला को उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले इसके लिये उपराष्ट्रपति द्वारा दिये गए सुझाव की प्रासंगिकता है।

संसदीय भूमिका

संसदीय भूमिका को मजबूत करने वाले सुझाव जैसे- संसद सदस्यों पर कड़ी कार्यवाही, न्यूनतम संख्या प्रणाली बनाना, दल-बदल कानून के तहत आए मामलों का निपटारा, सदन के नियमों का पालन करना, सदन में नए प्रवेशकों को चर्चा में शामिल करना आदि इस व्यवस्था को मजबूत करते हैं।

परन्तु इन व्यवस्थाओं को व्यवहारिक स्तर पर लागू करने में कुछ समस्या दिखलाई पड़ती हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि संसद में नए सदस्य जब प्रवेश करते हैं तो उनमें ऐसे लोग भी होते हैं जो शिक्षित नहीं होते, या फिर संसद

में उनको पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा बोलने का अवसर किन्हीं कारणों से नहीं दिया जाता। देखा जाए तो यह संसद के 'प्रतिनिधित्व की अवधारणा को' न्यायसंगत नहीं ठहराता।

लेकिन, ऐसा अनुशासन को बनाए रखने या अनुभव न होने के कारण या फिर समय की कमी को ध्यान में रखते हुए उनके दल के वरिष्ठ नेता द्वारा उन्हें मौका नहीं दिया जाता।

इसी प्रकार यह भी देखने को मिलता है कि जब सत्ता दल द्वारा संसद की प्रक्रियागत नियमों का पालन नहीं किया जाता तो विपक्ष द्वारा सदन में हंगामा किया जाना या संसदीय कार्यवाही से वाकआउट करना आदि गतिविधियाँ देखी जाती हैं, या फिर राजनैतिक कारणों से भी विपक्ष द्वारा संसदीय कार्यवाही में व्यवधान डाला जाता है। यह समस्या तब भी बनी हुई है जब संसद के अध्यक्ष को किसी सांसद द्वारा की गई अनुशासनहीनता पर ठोस कार्यवाही करने का अधिकार है, लेकिन अभी इस शक्ति का उपयोग करते हुए कम ही देखने को मिला है। चूंकि संसद का अध्यक्ष भी भूतपूर्व किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ रहता है तो वह भी व्यक्तिगत या राजनैतिक पूर्वाग्रह से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता अतएव संसदीय गरिमा को बनाए रखने एवं स्वस्थ चर्चा-परिचर्चा को बनाए रखने के लिये तथा नए सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिये जाने के लिये नियम होने चाहिए।

व्हिप प्रणाली

भारतीय संसदीय प्रणाली में राजनीतिक दलों को आन्तरिक अनुशासन बनाए रखने के लिये व्हिप की शक्ति दी गई है। राजनैतिक दल अपने सदस्यों की संसद में उपस्थिति बढ़ाने या विशेष मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में उनका समर्थन प्राप्त करने के लिये उत्तरदायी होते हैं तथा इसी कारण से दल का नेता व्हिप जारी करता है। व्हिप द्वारा जारी किये गए निर्देशों का पालन न करने पर उसे सदस्यता हेतु अयोग्य ठहराया जा सकता है, उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, या फिर उस पर दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

यदि देखा जाए तो यह प्रणाली संवैधानिक दर्शन के विरुद्ध है क्योंकि एक तो यह निर्वाचित प्रतिनिधि तथा उनके निर्वाचन के मध्य संबंध को कमजोर करता है, दूसरा यह लोकतंत्र की भावना को कमजोर करता है। यह भी देखा जाता है कि इससे विभिन्न मुद्दों पर 'बाध्य सर्वसम्मति' बनाती है। इसके अलावा दल के सदस्यों के निजी विचार को प्रस्तुत करने की क्षमता भी सीमित हो जाती है। इसके कारण विधि निर्माताओं को संवैधानिक मुद्दों पर दल के विचार से असहमत होने की अनुमति नहीं होती है। इसका एक प्रभाव यह भी है कि सांसद या विधायक केवल गणना तक ही सीमित रह जाते हैं। यह वाक् अभिव्यक्ति को कमजोर करता है। इसके अलावा राजनैतिक दल में हाईकमान की तानाशाही उनकी अनुचित कार्यवाहियों, खराब नीतियों का भी सांसद/ विधायक विरोध नहीं कर पाते हैं।

इन मुद्दों के होने के बावजूद भी व्हिप प्रणाली की आवश्यकता है क्योंकि राजनैतिक भ्रष्टाचार सांसदों/विधायकों में व्यक्तिगत लोभ, संसद सदस्यों में गंभीरता का अभाव आदि कई ऐसे कारण हैं जो किसी राजनैतिक दल में आन्तरिक अशान्ति के लिये पर्याप्त हैं या दल को तोड़ सकते हैं जिससे राजनैतिक भविष्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिये व्हिप प्रणाली की आवश्यकता एक सीमा तक जरूरी है।

एक चुनाव

उपराष्ट्रपति महोदय ने एक चुनाव कराने के मुद्दे पर भी अपना दृष्टिकोण रखा, हालांकि इस पर कई राजनैतिक दल अपना विरोध जता चुके हैं। वर्तमान में भारत में चुनाव पर किया जाने वाला खर्च काफी अधिक है, वर्ष 1984-85 में लोकसभा का सरकारी खर्च 100 करोड़ रुपया था, 2004 में यह 1000 करोड़ रुपये हो गया। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिपोर्ट में 2014 के आम चुनाव भाजपा द्वारा 700 करोड़ रुपये खर्च किये गए। चुनाव आयोग द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट के मुताबिक 22 राज्यों के चुनाव में भाजपा द्वारा 17.60 बिलियन खर्च किया गया।

इन आंकड़ों के अलावा निर्धारित नियमों के तहत एक उम्मीदवार बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने पर 70 लाख तथा छोटे राज्यों में 54 लाख रुपये खर्च कर सकता है। वहीं विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवार द्वारा खर्च की सीमा 28 लाख तथा छोटे राज्यों में 22 लाख है।

इस प्रकार यदि गौर करें तो लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को सम्पन्न कराने में सरकारी धन का व्यय काफी होता है। इसके अलावा प्रशासन की भी नियमित कार्य प्रणाली में अवरोध उत्पन्न होता है। राजनैतिक दल भी अपने मुख्य मुद्दों को पूरा करने की बजाय चुनावी खेल में लगे रहते हैं। जिनसे आम जनता की समस्या जस की तस बनी रहती है।

लेकिन इसे कराने के लिये संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। जिसके तहत अनुच्छेद-83 लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से पांच वर्ष का होगा, अनुच्छेद-85 राष्ट्रपति की लोकसभा भंग करने का अधिकार, अनुच्छेद-172 विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पांच वर्ष का होगा, अनुच्छेद-174 राज्यपाल का विधानसभा भंग करने का अधिकार, अनुच्छेद-356 संवैधानिक विफलता के जरिये राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार आदि शामिल हैं।

इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी (VPAT) को सुरक्षित रखना एवं मतदान कर्मियों की तैनाती एवं सुरक्षा तंत्र को संभालने में कठिनाई होगी। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि राजनैतिक भ्रष्टाचार एवं चुनाव में बेतहाशा खर्च तथा इनसे जुड़ी अन्य समस्याओं को हल करना, आज के लिये चिंतनीय विषय है।

सदन में गणपूर्ति

सदन में आवश्यक गणपूर्ति न होना, सदन की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। 17वीं लोकसभा चुनाव में 260 से ज्यादा सांसद चुनकर आए, परन्तु नए सांसदों का सदन में गैर मौजूद होना संसदीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, ऐसे में कोरमपूर्ति न होने पर अध्यक्ष या सभापति संसदीय कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, वे जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं या फिर जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व निर्वहन करने में ढ़िलाई बरत रहे हैं, अतएव इनकी उपस्थिति को अनिवार्य बनाना चाहिए।

आगे की राह

हालांकि शासन प्रणाली में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिये उपराष्ट्रपति द्वारा सुझाये गए बिन्दुओं पर सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ताकि शासन को साफ-सुथरा एवं उत्तरदायी एवं सक्षम बनाया जा सके और लोगों में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय को स्थापित किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

■

6. ग्रीन बॉण्ड : जलवायु परिवर्तन से निपटने का बेहतर उपाय

चर्चा का कारण

हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने घोषणा की है कि इसकी सहायक कंपनियों अडानी पुनर्नवीकरणीय एनर्जी लिमिटेड, वर्धा सोलर (महाराष्ट्र) और कोडंगल सोलर पार्थव प्राइवेट लिमिटेड ने 362.5 मिलियन डॉलर की राशि वाले 20 वर्षीय सीनियर सिक्योर ग्रीन बॉण्ड को जारी करने की मंजूरी दे दी है।

ग्रीन बॉण्ड क्या है

ग्रीन बॉण्ड मूल रूप से ग्रीन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, स्मॉल हाइड्रो ऊर्जा, अपशिष्ट ऊर्जा आदि जैसी हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का एक साधन है। यह सामान्य बॉण्ड से अलग है क्योंकि इस बॉण्ड से उठाए गए धन केवल हरित परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। ग्रीन बॉण्ड भी समान्य बॉण्ड की तरह होता है लेकिन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जारीकर्ता के द्वारा जुटाए गए धन को हरित परियोजना के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन बॉण्ड में जारीकर्ता सार्वजनिक रूप से यह कहता है कि वह पर्यावरणीय लाभ जैसे अक्षय ऊर्जा, कम कार्बन परिवहन आदि जैसी हरित परियोजनाओं, परिसंपत्तियों या व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूंजी की उगाही कर रहा है।

इसके अलावा ग्रीन बॉण्ड के अन्तर्गत साफ पानी, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, नदी/आवास पुनर्स्थापना, भूमि के अधिग्रहण या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की कमी से संबंधित परियोजनाएँ शामिल हैं। ग्रीन बॉण्ड आमतौर पर जारीकर्ता की अन्य ऋण दायित्वों के समान क्रेडिट रेटिंग लेते हैं। ग्रीन बॉण्ड बाजार अपेक्षाकृत नए परिसंपत्ति वर्ग है जो जलवायु परिवर्तन के समाधान में एक नया द्वार खोल सकते हैं।

महत्वपूर्ण क्यों है

1. COP-21 के अंतर्गत निर्धारित राष्ट्रीय योगदान के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में ग्रीन बॉण्ड बाजार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
2. वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 30 गिगावाट से 2022 में 175 गिगावाट तक ले जाने हेतु निधि की जरूरत को इसके माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
3. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु बाजार के माध्यम से आवंटित धन अपर्याप्त रहा है। वितीय संस्थाओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश किया जा सकता है। अतः उर्जा के नवीकरणीय क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत में ग्रीन बॉण्ड बाजार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उल्लेखनीय है कि प्रमुख जारीकर्ताओं जैसे यस बैंक, भारतीय आयात-निर्यात बैंक, सीएलपी पवन चक्की संयंत्र एवं आईडीबीआई द्वारा कुल 110 करोड़ डॉलर के ग्रीन बॉण्ड जारी करने के साथ ही भारत ने वर्ष 2015 में ग्रीन बॉण्ड बाजार में प्रवेश किया। मार्च 2015 में एक्जिम बैंक इंडिया ने 50 करोड़ डॉलर का पंचवर्षीय ग्रीन बॉण्ड जारी किया जो भारत का प्रथम ग्रीन बॉण्ड है।

प्राकृतिक-संसाधनों की कमी के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। विकासशील देशों में, विशेष रूप से, शहरीकरण की उच्च दर ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बढ़ा दिया है। इन मुद्दों को हल करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन के साथ-साथ शमन और अनुकूलन उपायों की फंडिंग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

भारत में स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और जल प्रबंधन जैसी हरित परियोजनाओं को वित्त देने की तत्काल आवश्यकता है। हाल के वर्षों में, भारत चेन्नई जैसे शहरी क्षेत्रों में पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है। भारतीय शहरों को अपनी जल-प्रबंधन रणनीति के हिस्से के रूप में सुरक्षित पीने के पानी की डिलीवरी के लिए एक लागत-कुशल प्रणाली की आवश्यकता है और इस तरह के सिस्टम के रखरखाव के आने वाले वर्षों में बड़े राजकोषीय निहितार्थ होंगे, जैसा कि भारत के शहरी केंद्रों के विनिर्माण और सेवा उद्योग अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, पानी की उपलब्धता (या इसकी कमी) का असर इन विकास केंद्रों के प्रदर्शन पर पड़ेगा। जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचा उद्योगों को बनाए रखने और आगे के विस्तार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा।

भारतीय परिवहन क्षेत्र भी जल्द ही एक पुनरुद्धार से गुजरने वाला है, क्योंकि हालिया बजट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर सरकार के इरादे को इंगित करता है। वाहनों के लिए आवश्यक आरएंडडी और बुनियादी ढांचा, चार्जिंग सुविधाएं और शहरी जल प्रबंधन को तेजी से विकास करने के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। इन सभी के लिए ग्रीन बांड एक व्यवहार्य और आकर्षक वित्तपोषण विकल्प प्रदान करते हैं।

बॉण्ड क्या है

बॉण्ड एक ऋण निवेश प्रमाण पत्र या उधार पत्र होता है जो किसी देश की सरकार या कॉर्पोरेट हाउस द्वारा निवेशकों के लिए जारी किये जाते है। सरकार या कंपनी पूंजी जुटाने के उद्देश्य से मार्किट से पैसा उधार लेने के लिए बॉण्ड जारी करती है। बॉण्ड जारीकर्ता निवेशकों से उधार लिए गए धन के बदले में निवेशकों को उधार पत्र के रूप में बॉण्ड जारी करते हैं। यानि बॉण्ड जारीकर्ता एक निश्चित ब्याज दर पर निर्धारित अवधि के लिए धनराशि उधार लेता है। सरल शब्दों में- जारीकर्ता परिपक्वता की निर्धारित तारीख पर निवेश की राशि को चुकाने का वायदा करता है और इसके लिए उधार ली गयी राशि पर निवेश को ब्याज का भुगतान करता है।

बॉण्ड की निर्धारित सीमा 1, 2, 5, 10 साल आदि हो सकती है। बॉण्ड का उपयोग कंपनियों, नगर पालिकाओं, राज्यों और संप्रभु सरकारों द्वारा पैसा जुटाने और विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।

भारत में ग्रीन बॉण्ड की आवश्यकता

भारत में ग्रीन बॉण्ड की आवश्यकता को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत समझा जा सकता है-

नवीकरणीय ऊर्जा: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को महत्वपूर्ण वित्तपोषण की आवश्यकता है, जो ग्रीन बॉण्ड के लिए सबसे बड़े अवसरों में से एक को प्रस्तुत करता है। नवीकरणीय ऊर्जा और शहरी स्थिरता के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगले 10 वर्षों के भीतर देश को यूएस $4.5 ट्रिलियन की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रीन बॉण्ड बड़े निवेश को आकर्षित कर सकता है।

हाल के वर्षों में, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है। हाल के केंद्रीय बजट ने ईवी के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी स्लैब को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया। ईवी की मांग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने ईवीएस की खरीद

के लिए दिये गए ऋण पर INR 1.5 लाख रुपये तक का ऋण सीमा के साथ एक कर कटौती की अनुमति दी है। थिंक टैंक, नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि केवल EV को क्रमशः 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2025 तक 150 सीसी से नीचे के तीन-पहिया और दोपहिया वाहनों की श्रेणी में बेचा जाना चाहिए। इन नीतिगत बदलावों के आलोक में, आने वाले वर्षों में बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने की माँग में वृद्धि होगी। कार निर्माता और चार्जिंग सुविधा प्रदाता रिटेल और कॉर्पोरेट बाजारों से पूंजी जुटाने के लिए ग्रीन बॉण्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस क्षेत्र के फाइनेंसर, परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियों का उपयोग उधार देने के लिए तथा अपनी बैलेंस शीट को कम करने के लिए कर सकते हैं और बड़े मूल उपकरण निर्माता अपनी साख के आधार पर ग्रीन बांड जारी कर सकते हैं।

आपदा प्रबंधन: आपदा प्रबंधन एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां ग्रीन बॉण्ड निवेश का उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से तटीय राज्यों उष्णकटिबंधीय तूफान और चक्रवातों से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, चक्रवात फाणी के बाद, यह अनुमान है कि ओडिशा राज्य को अपने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए कुल 14 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप महासागरों के गर्म होने की वजह से इस तरह के चरम मौसम की घटनाओं में तेजी आई है। इसलिए, पुनर्निर्माण की रणनीति में समान भविष्य की घटनाओं को संभालने के लिए अधिक तूफान-रोधी अवसंरचनाओं का निर्माण शामिल होना चाहिए।

कृषि: कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने और इन-सीटू रोजगार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 2015-16 के बाद से सकल मूल्य में 14.4 प्रतिशत की दर से लगातार घटा है। सेबी के दिशानिर्देशों के तहत, जैविक खेती, शून्य-बजट प्राकृतिक खेती और टिकाऊ सिंचाई पद्धतियां स्थायी भूमि उपयोग और टिकाऊ जल प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। कुछ पूंजी-सघन प्रौद्योगिकियां, जैसे कि ड्रिप सिंचाई और उर्वरक तथा अपशिष्ट फसल प्रबंधन आदि के लिये फास्ट ट्रैक फंड-जुटाने में ग्रीन बॉण्ड को जोड़ा जा सकता है।

वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट: देश में पानी की कमी की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए आवश्यक तात्कालिक उपायों के कारण उच्च पूंजी की आवश्यकताओं वाला एक अन्य क्षेत्र जल संरचना और प्रबंधन है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घरेलू और उद्यम दोनों स्तरों पर इस क्षेत्र में धन की आवश्यकता को मान्यता दी है। डब्ल्यूएएसएच (जल और स्वच्छता) को 'प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण' में शामिल किया गया है, और एसएचजी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के माध्यम से शौचालय निर्माण से जोड़ा गया है। इसलिए ग्रीन बॉण्ड के लिए एक फ्रेमवर्क को एकत्रीकरण और प्रतिभूतिकरण की रणनीति के साथ बनाया जा सकता है।

वानिकी: भारतीय वानिकी क्षेत्र को अभी तक फंड जुटाने के लिए पर्याप्त रूप से ग्रीन बॉण्ड के साथ जोड़ना बाकी है। ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से कॉर्पोरेट और सरकारी फंडिंग दोनों को वानिकी क्षेत्र में सुव्यवस्थित किया जा सकता है। एग्रोफोरेस्ट्री उद्योग योजनाबद्ध वानिकी के माध्यम से ग्रीन बॉण्ड से लाभान्वित हो सकता है और देश के कुल भूमि क्षेत्र के 33 प्रतिशत वन कवर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। मौजूदा वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए धन जुटाने के लिए ग्रीन बांड का उपयोग किया जा सकता है। यह विशेष रूप से जैव विविधता आरक्षित और राष्ट्रीय उद्यानों में प्रासंगिक होगा जहां पर्यटन सफल साबित हो रहा है। सरकार इस क्षेत्र में ग्रीन बॉण्ड जारी कर सकती है और राष्ट्रीय सीएसआर निधि या हरित वन निधि कोष जैसे सामान्य कोष के माध्यम से प्रतिभूति को सक्षम बना सकती है।

ग्रीन बॉण्ड और एसबीआई

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ग्रीन बॉण्ड की अपनी पहली सीरीज से करीब 4,700 करोड़ रुपये (75 करोड़ डॉलर) तक जुटाने का लक्ष्य रखा है। इससे देश में पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को लेकर बैंक की प्रतिबद्धता का पता चलता है। इस मुद्दे के लिए बैंक ने सात इनवेस्टमेंट बैंकर नियुक्त किए हैं। ग्रीन बॉण्ड से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं को कर्ज देने के लिए किया जाएगा। इन परियोजनाओं से किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलेगा।

सूत्रों के अनुसार, 'चूंकि यह एसबीआई की इस तरह की पहली बिक्री होगी, इसलिए बॉण्ड की अवधि छोटी रखी जाएगी। यह 3 से 7 साल के बीच हो सकती है।

दुनिया भर में ग्रीन बॉण्ड लोकप्रिय हो गए हैं। ऐसे बॉण्ड से मिले पैसे को उन परियोजनाओं के लिए अलग कर दिया जाता है, जिन्हें पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के विश्लेषण के मुताबिक, 2017 में ग्रीन बॉण्ड के जरिए रिकॉर्ड 155 अरब डॉलर की रकम जुटाई गई।

आगे की राह

भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन बॉण्ड को जारी करना एक सराहनीय कार्य है। सरकार इस क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रही है। चूंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर पड़ रहा है इसलिए सरकार स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक दोनों स्तरों पर प्रभावी कार्य करना चाह रही है जिससे कि इस समस्या से निपटा जा सके। ग्रीन बॉण्ड इसी के लिए किया गया एक बेहतर प्रयास है।

कई विकसित देश जो ग्रीन बॉण्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए तथा उनसे तकनीकी स्तर पर सहायता प्राप्त करनी चाहिए। यही नहीं भारत सरकार को कानून बनाकर ग्रीन बॉण्ड के इस्तेमाल को और बेहतर करना होगा। न सिर्फ एक्सिस और एसबीआई

जैसे बैंक बल्कि भारत के सभी सरकारी व गैर सरकारी बैंकों को ग्रीन बॉण्ड जारी करना चाहिए जिससे यह देश इच्छुक नागरिकों व संस्थाओं को प्राप्त हो सके।

भारत में ग्रीन बॉण्ड बाजार में अग्रणी बनने की क्षमता है हालाँकि इसके लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में आरबीआई की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। वह ग्रीन परियोजनाओं की पात्रता, रिपोर्टिंग के तरीकों और आय के प्रबंधन के बारे में दिशानिर्देश दे सकता है। इससे अस्पष्टता कम होगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे हरित क्षेत्र में निवेश की समग्र वृद्धि होगी और यह कार्य ग्रीन बॉण्ड इसके लिये अच्छा जरिया है।

चूंकि ग्रीन बॉण्ड मूल रूप से ग्रीन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, वेस्ट टू-ऊर्जा आदि जैसे हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का एक बेहतर साधन है। बशर्ते सरकार इस पर खुलकर ध्यान दे। हालांकि वर्तमान चुनौतियों और भारत सरकार की स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जवाबदेही ने एक आशा जगाई है कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व ग्रीन बॉण्ड को माध्यम बनाकर अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।
- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

7. पूँजीवाद की अब तक की यात्रा : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि लोगों में असंतोष के चलते पूँजीवाद की प्रासंगिकता पर गंभीर बहस शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि 2008 की वैश्विक मंदी के बाद आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था लोगों को बराबर अवसर उपलब्ध नहीं करा पाई है। वहीं भारत में एक बार फिर से मंदी के आसार नजर आ रहे हैं जो देश के लिए एक बड़ी चुनौती है।

पूंजीवाद क्या है

पूंजीवाद (Capitalism) सामान्यत: उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। इसे कभी-कभी 'व्यक्तिगत स्वामित्व' के पर्यायवाची के तौर पर भी प्रयुक्त किया जाता है। यद्यपि यहाँ 'व्यक्तिगत' का अर्थ किसी एक व्यक्ति से भी हो सकता है और व्यक्तियों के समूह से भी, सामान्य तौर पर आर्थिक प्रणाली और उत्पादन के तरीके के रूप में पूंजीवाद को निम्न बिन्दुओं द्वारा संक्षेप में समझा जा सकता है-

- आधुनिक पूंजीवाद की विशेषता धन के असीमित संचय में है। इस व्यवस्था में व्यक्ति अधिकतम लाभ तो लेता ही है, साथ में उसकी यह प्रबल इच्छा होती है कि धन का संचय भी अधिकतम रूप में करे।
- लाभ कमाने के लिए धन का निवेश किया जाता है।
- आधुनिक पूंजीवाद व्यवस्था में तकनीकी विकास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे-जैसे तकनीकी का विकास होता है वैसे-वैस उत्पादन में वृद्धि होती है और इस भांति पूंजीवादी व्यवस्था अधिक तार्किक बन जाती है।
- पूंजीवादी अवधारणा के साथ में प्रतियोगिता भी जुड़ा होता है। सम्पूर्ण उत्पादन की प्रक्रिया बाजार से बंधी होती है। बाजार में वस्तुओं के भाव पर कोई नियन्त्रण नहीं होता। ऐसी अवस्था में प्रतियोगिता ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो वस्तुओं के दामों को मूल्य तंत्र के माध्यम से नियन्त्रण में रखती है। बाजार में विनिमय पद्धति भी तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक जटिल हो जाती है। प्रतियोगिता का बहुत बड़ा कारण शाख, बैंकिंग और वित्त होते हैं।
- संसाधनों की उपयोगिता को स्थापित करने के लिये स्वतंत्र मूल्य तंत्र का उपयोग किया जाता है।
- पूंजीवादी निवेश अर्थव्यवस्था में निर्णय, वित्तीय निवेश और बाजार में संपत्ति, या उत्पादन मात्रा को उत्पादक द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि वस्तुओं की कीमतों और सेवाओं का वितरण प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- गौरतलब है कि अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों ने पूंजीवाद के विश्लेषण में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं और व्यवहार में इसके विभिन्न रूपों को मान्यता दी है। जैसे मुक्त बाजार (laissez-faire) पूंजीवाद, कल्याणकारी पूंजीवाद और राज्य पूंजीवाद आदि।

पूंजीवाद पर बहस क्यों

वर्तमान में दुनियाभर में पूंजीवाद के भविष्य पर बहस तेज हो गई जिसके पीछे आलोचकों द्वारा निम्न तर्क दिए जा रहे हैं-

- विश्व में 2007-08 में आए वित्तीय संकट के बाद से पूंजीवाद रक्षात्मक स्थिति में है। बढ़ती असमानता, सीईओ के ऊंचे वेतन के प्रति गुस्सा और व्यापार में बढ़ते अविश्वास की वजह से पश्चिम में युवा पूंजीवादी बाजार व्यवस्था से दूर हो रहे हैं।
- स्टैंडर्स एंड पूअर्स (एस एंड पी) ग्लोबल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक संकट के बाद से दुनिया भर में कर्ज 50 फीसदी बढ़ा है और इसके साथ वैश्विक तौर पर उधार लेने वाली व्यवस्था में गिरावट की आशंका है।
- रिपोर्ट के अनुसार 2008 के बाद से देश की सरकारों पर कर्ज 77 फीसदी बढ़ा है जबकि कंपनियों पर कर्ज 51 फीसदी तक बढ़ा है।
- हार्वर्ड के एक अध्ययन के मुताबिक 2016 तक अमेरिका में 18 से 26 साल तक के आधे युवाओं ने पूंजीवाद को नकार दिया था और इनमें एक तिहाई समाजवाद का समर्थन कर रहे थे। इसके दो साल बाद गैलप के एक सर्वे में भी इसकी पुष्टि हुई, जब इस आयु वर्ग के सिर्फ 45% युवाओं ने ही पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में राय दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव और ब्रेक्जिट के लिए हुए मतदान से भी यही रुख सामने आया।
- गौरतलब है कि पूंजीवाद असफल हो रहा है, इस डर की वजह से ही अमेरिका के सबसे बड़े कॉर्पोरेशनों के 180 सीईओ को हाल में एक नया नीतिगत बयान स्टेटमेंट ऑफ परपज पेश करना पड़ा है। जो 1970 में नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा

प्रतिपादित लाभ और शेयरधारकों की प्रधानता के मौजूदा सिद्धांत का स्थान लेगा।

- फ्रीडमैन के मुताबिक 'व्यापार का सिर्फ और सिर्फ एक ही सामाजिक दायित्व होता है कि वह जहां तक हो सके अपने संसाधनों का इस्तेमाल लाभ को बढ़ाने के लिए करें।' नए स्टेटमेंट ऑफ परपज के मुताबिक कंपनी का उद्देश्य अपने शेयरधारकों के हितों के साथ ही अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, सप्लायरों, समुदाय और पर्यावरण के हितों में संतुलन बनाने के साथ ही कंपनी को सामाजिक दायित्व के प्रति जवाबदेह बनाना है। अमेरिकी कॉर्पोरेशनों के इन नए लक्ष्यों का भारत में भी असर पड़ना तय है, क्योंकि हम भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं।
- 1991 में पूंजीवादी सुधारों से भारी लाभ के बावजूद भारतीय आज भी यह मानते हैं कि बाजार मुख्य रूप से अमीरों की ही मदद करता है। वे आज भी बाजार समर्थक और व्यापार समर्थक में अंतर नहीं करते।
- 2008 में अमेरिका में आई आर्थिक मंदी के दौरान घरेलू और बाहरी कारकों की वजह से विकास में अत्यधिक अस्थिरता देखी गई साथ ही यह भी देखा गया कि आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था लोगों को बराबर अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रही है। विदित हो कि पहले मामूली शिक्षा के साथ एक मध्यम श्रेणी की नौकरी प्राप्त करना संभव था। लेकिन 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद स्थिति बदली है। इससे लोगों के रोजगार लगातार घटे हैं जो चिंताजनक है।
- पूंजीवाद के आलोचक यह भी मानते हैं कि यह व्यवस्था उन लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करती जिनके पास प्रतिस्पर्धी कौशल की कमी है जैसे कि बुजुर्ग, बच्चे, विकलांग आदि।
- पूंजीवाद अवसर की समानता को बढ़ावा नहीं देता है। बिना अच्छे पोषण, समर्थन और शिक्षा के सभी समान नही हो सकते।
- आलोचक यह भी मानते हैं कि पूंजीवाद वित्तीय बाजारों पर निर्भर रहता है- शेयर, बांड और वित्तीय बाजारों में उछाल और हलचल पैदा करने की प्रवृत्ति होती है। उछाल की अवधि में, निवेशकों का आत्मविश्वास में तो वृद्धि होती है, लेकिन, बाजार की धारणा में बदलाव आने पर यह उछाल तेजी से मंदी में भी बदल सकता है।
- पूंजीवाद प्राकृतिक लागतों को भी नजरअंदाज करता है, जैसे कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जो आज जीवन को व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहा है। इसके तहत मशीनों के प्रयोग से कम समय में उत्पाद सस्ता और अधिक प्राप्त होता है लेकिन समय के साथ, यह प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देता है, प्रभावित क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को कम करता है।
- उत्पादन के कारकों को नियोजित करने में एकाधिकार बाजार की शक्ति हावी होती है। नतीजतन एकाधिकारवाद पनपता है एवं श्रमिकों का शोषण होता है।

अन्य आलोचनाएँ

- इसमें लालच को बढ़ावा मिलता है इसलिये सदाचार पर जोर कम होता है।
- वास्तव में बाजार कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते हैं।
- समाज में असमानता बढ़ती है।
- व्यापारी वर्ग सरकार के साथ लॉबी करते हैं और सरकार अपने पसंद के पूंजीपतियों के लाभ के लिये काम करने लगती है (क्रोनी कैपिटलिज्म) आदि।

भारत की स्थिति

स्वंतत्र भारत के अनेक नेताओं और चिंतकों ने मिलकर पूँजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी रूप से बचने के लिये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। बुनियादी तौर पर उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त, किंतु कमियों से मुक्त हो।

गौरतलब है कि मिश्रित अर्थव्यवस्थायों में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है, जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है, जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। भारत द्वारा शुरूआती समय में व्यापक स्तर पर इस प्रणाली को अपनाते हुए समाजवाद की तरफ झुकाव पर बल दिया गया, लेकिन कालांतर में जाकर पूँजीवादी मॉडल को प्रोत्साहित किया जाने लगा। विदित हो कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1984 एवं 1985 की औद्योगिक नीति से ही प्रारंभ हो चुकी थी लेकिन इस दौर में इसे पूरे तरीके से नहीं अपनाया गया था। आर्थिक सुधारों की प्रथम एवं व्यापक स्तर पर अपनाई जाने वाली नीति 1991 की औद्योगिक नीति थी। इस नीति में आर्थिक सुधारों की तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।

उदारीकरण को आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम माना गया। मूलतः इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर पूंजीवाद व बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना था। वर्तमान समय में पूंजीवाद का कृषि, उद्योग तथा सेवा तीनों क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव दिख रहा है। कृषि क्षेत्र में उदारीकरण से जहाँ बाजार का विस्तार हुआ है वहीं उत्पादकों को आकर्षक मूल्य तथा उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर कृषि वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ हो सकी। कृषि क्षेत्र में तकनीकी स्तर पर वृद्धि होने से उत्पादकता के साथ अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा मिला।

ज्ञातव्य है कि उदारीकरण का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र पर दिखाई देता है। वर्तमान में जीडीपी का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। भारत पर्यटन सेवा, सॉफ्टवेयर सेवा, चिकित्सा सेवा, बी.पी.ओ. इत्यादि के क्षेत्र में आदर्श स्थल बनकर उभरा है। वावजूद इसके पूंजीवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी पेश की हैं। जैसा कि हमारे उद्योग बहुराष्ट्रीय निगमों से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तथा देशी उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगातार घट रहा है। पूरे देश में हर किसान के पास उदारीकरण का लाभ उठाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि भारत में अधिकांश किसान सीमांत हैं। सेवा क्षेत्र की जहाँ तक बात है तो पर्यटन क्षेत्र के सामने कई समस्याएँ सामने आ रही हैं, जो कि विकसित देशों की तुलना में कम सुविधायुक्त हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था बाह्य कारकों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती दिख रही है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण स्थलों में अपार संभावना होते हुए भी इनका विकास नहीं हो पाया है। कहा जा सकता है कि भारत अभी तक पूंजीवाद का उचित लाभ नहीं उठा पाया है व हाल ही में आयी मंदी, बेरोजगारी, महंगाई आदि समस्याओं ने इस पर प्रश्नचिन्ह लगाया है।

क्या है विकल्प

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था की समस्याएं उभर रही हैं। समृद्धि के बावजूद आम आदमी बदहाल है। असमानता बढ़ रही है। बड़ी कंपनियों के प्रबंधकों

को करोड़ों रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है, जबकि आम आदमी बेरोजगार है। ऐसे में प्रश्न उठता है इसका विकल्प क्या हो सकता है। इस संदर्भ में निम्न विकल्पों की चर्चा की जा सकती है-

गांधीवादी विकल्पः गांधीजी का कहना था कि श्रम-सघन उत्पादन किया जाना चाहिए। किन्हीं विशेष उत्पादों के लिए मशीनी व्यवस्था का सहारा लिया जा सकता है जैसे सिलाई मशीन बनाने के लिए स्टील का कारखाना लगाया जाए, विदित हो कि गांधी की यह विचारधारा सही दिशा में थी। लेकिन समस्या यह है कि मशीन से बना माल सस्ता होने के कारण सरकार ने मशीनी उत्पादन का दायरा बढ़ा दिया है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मशीनी उत्पादन को बाधना कठिन होता है। इसे कहां कितना और क्यों बाधाँ जाए, इस पर गांधीवादी विचारधारा खामोश है। मशीनी उत्पादन सस्ता पड़ने से जो जनहित हासिल होता है उस पर भी गांधीवादी विचारधारा अस्पष्ट है। अतः गांधीवादी व्यवस्था में जनहित हासिल करने में अंतर्द्वन्द्व देखा जा सकता है। जहां श्रम-सघन उत्पादन से व्यक्ति को रोजगार, आजीविका एवं आत्मसम्मान मिलता है, वही पूंजी-सघन मशीनी उत्पादन से उपभोक्ता को सस्ता माल मिलता है। जनहित दोनों तरह से हासिल हो सकता है। गांधीवादियों द्वारा इस अंतर्द्वन्द्व को स्पष्ट रूप से न सुलझा पाने के कारण अर्थशास्त्रीयों ने मशीनी उत्पादन को खुली छूट देने की वकालत की है।

समाजवादी और मार्क्सवादी विकल्पः समाजवादी और मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि खुले बाजार से जनहित हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस व्यवस्था में वर्चस्व पूंजीपतियों का होगा। इनका मानना है कि अर्थव्यवस्था की कमान सरकार को अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। तब जनहित की कसौटी पर तय किया जा सकेगा कि किस माल का किस मात्रा में और किस विधि से उत्पादन किया जाना चाहिए। सरकार तय करेगी कि उत्पादन में श्रम का कितना उपयोग होगा और पूंजी का कितना। तब ही सभी श्रमिकों को रोजगार देना संभव हो पाएगा। इस विचारधारा कि समस्या यह है कि सरकार का केंद्र नौकरशाही की तरफ बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था पर पूंजीपति को हटाकर नौकरशाही का वर्चस्व स्थापित करने का अर्थ होगा लालफीताशाही को बढ़ावा देना। नौकरशाही के मूल चरित्र को भारत की सार्वजनिक इकाइयों एव कल्याणकारी योजनाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वहीं बाजार के जनविरोधी चरित्र का सही विश्लेषण करने के बावजूद समाजवादी विचारधारा असफल रही है।

नियंत्रित पूँजीवादः गाँधीवादी चाहते हैं कि मूल रूप से श्रम-सघन व्यवस्था हो और किन्हीं विशेष क्षेत्रों में पूंजी सघन उत्पादन को छूट दी जाए। पूंजीवादी चाहते हैं कि मूल रूप से पूंजी सघन व्यवस्था हो और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इस पर नियंत्रण किया जाए। हल दोनों विचारधाराओं के बीच में निकल सकता है। इसके लिए जनहितकारी सरकार को लक्ष्य स्थापित करना चाहिए कि आम आदमी की दिहाड़ी कितनी हो, उतनी दिहाड़ी दिलाने को बाजार में श्रम की जितनी मांग जरूरी हो, उतना श्रम-सघन उत्पादन को प्रोत्साहन तथा पूंजी-सघन उत्पादन पर नियंत्रण करना चाहिए। इसे ही नियंत्रित पूंजीवाद कहा जाता है। इसको पूंजीवाद के विकल्प के तौर पर देखा जाता है।

कल्याणकारी राज्यः पूंजीवाद की समस्या को देखते हुए विश्व के कई देशों ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया है। भारत ने भी अपने संविधान के नीति निदेशक तत्व में इसका वर्णन किया है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार जब सरकार अपने नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुरक्षा देने हेतु सामाजिक संस्थाओं का जाल इस प्रकार बिछाती है जिसमें वंचित एवं कमजोर के हित को भी सुनिश्चित किया जा सके। यह मूलतः अवसर की समानता, समान वितरण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार पर टिका है। परन्तु कछ मुद्दे इसके समक्ष भी हैं, जैसे कि यदि राज्य राजकोषीय घाटा या जनसांख्यिकी संकट का सामना कर रहा है तो बाजार को खोलना और उत्पादन को बढ़ाने में कहीं न कहीं लोकल्याण से समझौता करना पड़ता है, तब राज्य यहां असफसल ही होता है। यह अवैतनिक कार्यबल को भी बढ़ावा देता है तथा साथ ही साथ बाजार की अनदेखी एवं स्वस्थ्य प्रतियोगिता को सहायता नही देता जो अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास के लिये सही नही मानी जाती है। इसी कारण भारत ने अर्थव्यवस्था की मिश्रित प्रणाली को अपनाया जिनमें कल्याणकारी भावना के साथ पूंजीगत विकास को भी शामिल किया गया है। परन्तु वर्तमान में यह लोककल्याण की धारणा व्यक्तिगत या समूहगत कल्याण की तरफ बढ़ रही है, जिस कारण यह पूंजीवाद का बेहतर विकल्प होगा इस पर कई विद्वानों द्वारा बहस किया जा रहा है।

आगे की राह

21 वीं सदी की अनिवार्यता एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जो समाज को बेहतर लाभ पहुँचा सके इसके लिए हम यहाँ कुछ सुझावों को भी अमल में ला सकते हैं जैसे कि-

- पूंजीवाद के दो मिशन होने चाहिए। लाभ कमाना और उन लोगों का जीवन स्तर सुधारना जिन्हें बाजारवाद की व्यवस्था से पूरा लाभ नहीं मिला।
- आज व्यापार और सामाजिक क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की बढ़ती संख्या पूंजीवादी व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने के रास्ते खोज सकती है। ऐसे में आमजन के कल्याण के लिए इसके द्वारा उठाये गये कदमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. भारत में दूरसंचार क्षेत्र : पुनर्उद्धार की आवश्यकता

प्र. हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र की कई कंपनियाँ जो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई हैं, वे अब वॉयस कॉल व डेटा के लिए एक निश्चित शुल्क लेने की बात सरकार के समक्ष रखी है। दूरसंचार क्षेत्र की इस स्थिति के कारणों की चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम करने के उपाय सुझाने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को 1.42 लाख करोड़ रुपए के पुराने बकायों का भुगतान करने का आदेश देने के कुछ दिन बाद ही सरकार ने यह निर्णय लिया है।

परिचय

- ाारत में आज लगभग 80 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन है। यह काफी तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत में 4G नेटवर्क भी शुरू हो गया है और दूरसंचार क्षेत्र काफी तेजी से बढ़ रहा है। इतना कुछ पाने के लिए हमें कई वर्षों का इंतजार करना पड़ा।
- अगर भारत के दूरसंचार क्षेत्र के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि भारत में पहले संचार ही बहुत मुश्किल से हो पाता था। भारत में संचार के लिए सबसे पहले टेलीफोन आया पर इसकी पहुँच सीमित लोगों तक ही थी। उसके बाद रेडियो फिर टेलीविजन आदि आये जिसे 1993 से पहले एक विलासिता पूर्ण वस्तु माना जाता था। औद्योगीकरण और वैश्वीकरण के बाद भारत में सब कुछ बदल गया है। अब लगभग हर किसी की पहुँच दूरसंचार के माध्यमों से सभी क्षेत्रों तक हो चुकी है। दूरसंचार भारत में एक अच्छे और विकसित भविष्य की नींव रख रहा है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में भारत 1.20 बिलियन ग्राहक के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। दिसम्बर 2018 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 604.21 मिलियन थी। इस तरह इंटरनेट उपयोगकर्ता के मामले में भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।

सरकारी प्रयास

- **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018:** नई दूरसंचार नीति को मौजूदा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति -2012 के स्थान पर तैयार किया गया है। यह भारत के डिजिटल संचार क्षेत्र की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया है। नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं: सभी के लिए ब्रॉडबैंड तथा डिजिटल संचार क्षेत्र में चार मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना।

आगे की राह

- दूरसंचार क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान देता है इसलिए न सिर्फ सरकार बल्कि ट्राई (TRAI) को भी आगे बढ़कर इसके हित में फैसला लेना होगा। कंपनियाँ भले ही गलाकाट प्रतिस्पर्धा करती हों लेकिन सरकार को भी आवश्यक हस्तक्षेप करना चाहिए।
- एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को इस क्षेत्र को सेवा प्रदान करने के नजरिये से देखना चाहिए, न कि राजस्व संग्रह के रूप में। इसलिए स्पेक्ट्रम नीलामी के समय सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ■

2. रोगी अधिकार चार्टर : रोगियों की सुरक्षा एवं संरक्षण की गारण्टी

प्र. प्रश्नः वर्तमान में कुछ सामाजिक चिंतकों द्वारा 'रोगियों को अधि कार' दिये जाने की बात की जा रही है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा, 'रोगियों के अधिकार' चार्टर पर चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली के राजघाट में जन स्वास्थ्य अभियान के तहत कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा 'मरीज सत्याग्रह' के लिये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बहुत से प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में अपने मरीजों के प्रति किये जा रहे पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिये दिल्ली मेडिकल काउंसिल में शिकायत भी की।

परिचय

- पिछले दो दशकों में भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यवसायीकरण ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और रोगियों के बीच विषमता को और बढ़ा दिया है। कई लोगों को कहना है कि चिकित्सा में नैतिक आचार संहिता होने के बावजूद रोगियों को 'चिकित्सा शक्ति' (Medical Power) के दुरुपयोग से पर्याप्त रूप में संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं कारणों को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रोगियों के अधिकार संबंधी चार्टर को प्रस्तावित किया। यह चार्टर वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय चार्टर से प्रेरित और राष्ट्रीय स्तर के प्रावधानों से निर्देशित, सभी प्रासंगिक प्रावधानों को एक

ही दस्तावेज में समेकित करता है। भविष्य में उम्मीद भी है कि यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिये मार्गदर्शन का भी कार्य करेगा।

भारत में रोगियों को दिए गये अधिकार

- भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोगियों को विभिन्न प्रावधानों के तहत अधिकार दिये गए हैं जो बिखरे हुए दिखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम (व्यवसायिक नियमावली 2002), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002, औषधि एवं रसायन अधिनियम 1940, चिकित्सीय परीक्षण अधिनियम 2010 एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णयों के तहत रोगियों से संबंधित अधिकार को सुरक्षित रखा गया है।

आवश्यकता क्यों

- यह सर्वविदित है कि अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है जो रोगियों के लिये काफी समस्या उत्पन्न करता है। राज्य या अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा मरीज को चिकित्सा संबंधी सीमित जानकारी दी जाती है। चिकित्सकों द्वारा उनको दिये गए अधिकार का दुरुपयोग करना, कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि चिकित्सक इसे अपना पैतृक अधिकार समझ बैठते हैं।

आगे की राह

- रोगियों के अधिकार की रक्षा करना नीति निर्माताओं के लिये आवश्यक है, साथ ही साथ उन्हें इसके लिये जागरूक भी किया जाना चाहिए क्योंकि जो अशिक्षित हैं वे अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते जबकि शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा एवं मांग कर सकता है।
- देश में मरीजों के हित को सुरक्षित रखने के लिये इस चार्टर को लागू किया जाना चाहिए तथा देश के प्रत्येक राज्य को क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 को मानना चाहिए। कुछ अन्य राज्य जो कि नर्सिंग होम एक्ट का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ■

3. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड रिपोर्ट 2017 : एक अवलोकन

प्र. हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने अपनी वार्षिक अपराध रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में भारत में अपराध की स्थिति का उल्लेख करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने वर्ष 2017 के लिए अपनी वार्षिक 'अपराध' रिपोर्ट जारी की, जिसमें राज्य में अपराध के रूप में दर्ज मामलों में 30% की उछाल देखी गई।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- **अपराध पंजीकरण दर और हत्या:** नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में, 2016 से अधिक मामलों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि 3.6% की रही।
- **महिला और बाल अपराध:** भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा देश में लंबे समय से चली आ रही है। यह लैंगिक असमानताओं का ही परिणाम है कि महिलाओं के शारीरिक एवं यौन शोषण संबंधी मामले बढ़े हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सामान्य रूपों में घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और हत्या जैसे कार्य शामिल हैं। मौजूदा समय में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पहले की तुलना में अधिक देखा जा रहा है, दरअसल इसकी वजह है कि हिंसा की कई अभिव्यक्तियों को आज भी अपराध नहीं माना जाता है, वहीं भारतीय संस्कृति के भीतर लिंगवाद और पितृसत्ता की कई प्रणालियों को आज भी प्रश्रय प्राप्त है।
- गौरतलब है कि रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित करीब 27.9 प्रतिशत मामले पति या उसके परिजनों की क्रूरता के खिलाफ दर्ज किये गये थे।
- **जाति आधारित अत्याचार:** उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जाति आधारित अपराध दर्ज किए गए। इसके बाद बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश रहे। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति (एससी) के खिलाफ भी ज्यादातर राज्यों में 2017 में अपराध और उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। विदित हो कि देश में कुल 43203 केस दर्ज किए गए।
- **भ्रष्टाचार:** आंकड़ों के अनुसार, साल 2017 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और संबंधित धाराओं में कुल 4062 मामले दर्ज हुए। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किये गये। हालांकि सबसे ज्यादा वृद्धि कर्नाटक में हुई। वहीं सिक्किम अकेला ऐसा राज्य रहा जहां एक भी ऐसा केस दर्ज नहीं हुआ।
- **साइबर अपराध:** वर्तमान समय में बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ, साइबर हमलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2015-17 के आंकड़े जारी किए। इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों की बात करें तो साल 2015-17 के बीच देशभर में 45,705 साइबर क्राइम हुए हैं।

आगे की राह

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि NCRB की रिपोर्ट सांसदों, नीति निर्माताओं, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य विभिन्न हितधारकों के लिए काफी अधिक महत्व रखता है। हालिया रिपोर्ट के साथ एक खास बात यह भी है कि रिपोर्ट के दायरे और कवरेज में काफी सुधार हुआ है क्योंकि NCRB ने अपराध के उभरते रुझानों और पैटर्न को पकड़ने का प्रयास किया है। ■

4. नयी ऊँचाइयों को छूता भारत-सऊदी अरब संबंध

प्र. भारत-सऊदी अरब के हालिया संबंधों में आयी प्रगाढ़ता के कारणों को बताते हुए इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों की चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत और सऊदी अरब के मध्य उच्चस्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

परिचय

- सऊदी अरब में संपन्न इस तीन दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम को 'दावोस

इन द डेजर्ट' नाम दिया गया है। इसे भारत-सऊदी अरब के रिश्तों में एक नई मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। बीते तीन वर्षों में पीएम मोदी की यह दूसरी सऊदी अरब यात्रा थी। वर्ष 2016 में जब पीएम पहली बार सऊदी अरब गए थे तभी वहां के बादशाह ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है सऊदी अरब

- अपनी भू-स्थानिक स्थिति के मद्देनजर भारत के लिये सऊदी अरब काफी महत्व रखता है, जिसके साथ हमारे हजारों साल से पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। उल्लेखनीय है कि अपने-अपने भौगोलिक क्षेत्रों में शक्ति केंद्र के रूप में भारत और सऊदी अरब की भूमिकाओं का अर्थ यह है कि वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, गरीबी से लड़ने, शैक्षिक आदान-प्रदान और निवेश सहित कई अन्य हितों को साझा करते हैं।
- खाड़ी देशों में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी के मद्देनजर भी सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध रखना भारत के हित में है। विदित हो कि सऊदी अरब में तीन मिलियन से अधिक भारतीय रहते हैं जिन्हें वह सालाना लगभग 10 बिलियन डॉलर का भुगतान करता है।

भारत-सऊदी अरब संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ

- सऊदी अरब और भारत की व्यवस्था में अंतर देखने को मिलता है। भारत लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास रखता है। वहीं सऊदी अरब में राजतंत्र है। वहां एक कट्टरपंथी शासन की भी मौजूदगी है जो अप्रत्यक्ष तौर पर कट्टरपंथी ताकतों को प्रोत्साहित भी करती है।
- पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच धार्मिक संबंध भी काफी मजबूत रहे हैं। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में ईरान और फारस के प्रभाव को नियंत्रित करने का काम करता है और उसके चलते सऊदी अरब ने पाकिस्तान में हजारों मदरसे खोलने के लिए फंडिग किया है।

आगे की राह

- सऊदी अरब और पाकिस्तान के मजबूत रणनीतिक तथा आर्थिक गठजोड़ में आई हालिया दूरी के मद्देनजर भारत के लिये यह मानना नासमझी होगी कि वह सऊदी अरब को पाकिस्तान से दूर कर पाएगा।
- इसके बजाय भारत को सऊदी अरब के साथ आर्थिक संबंधों से होने वाले किसी भी अवसर का लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिये। वहीं राजनीतिक-रणनीतिक क्षेत्र में सऊदी अरब से बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिये। ■

5. संसद की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम

प्र. उपराष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए यह बतलाएं कि यह किस प्रकार संसदीय प्रणाली को कुशल बनाने एवं लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक हो सकता है?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली विश्वविद्यालय में श्री अरूण जेटली की स्मृति में आयोजित व्याख्यान में पुरातनपंथी राजनीति से हटकर विकासवादी रणनीति के लिये नवजनचेतना की आवश्यकता को बतलाया है तथा उन्होंने कहा कि 'प्रबुद्धजनमत' स्वास्थ्य लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है।

परिचय

- भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, धीरे-धीरे ब्रिटिश अधिनियमों के तहत जिन संवैधानिक प्रावधानों का विकास हो रहा था, लोग उसे अपना भी चुके थे। अतएव संविधान निर्माताओं ने भारत के वृहद भौगोलिक स्थिति, उसकी जटिलता एवं विविधता को देखते हुए लोकतंत्र को अपनाया जाना ही उचित समझा। इसके साथ ही शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। हालांकि वे यह समझते थे कि लोकतंत्र भी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है फिर भी इससे बेहतर विकल्प भारत के लिये नहीं था। वर्तमान में सामाजिक एवं राजनैतिक चुनौतियों को देखते हुए शासन प्रणाली में सुधार के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को उत्कृष्ट किये जाने की ओर विचार-विमर्श चल रहा है।

उपराष्ट्रपति द्वारा दिये गए सुझाव के मुख्य बिन्दु

- संसदीय समितियों का कार्यकाल वर्तमान में एक साल से बढ़ाकर दीर्घकालीन करना।
- महिला आरक्षण विधेयक पर उचित प्रावधान करना, जिससे कि उनकी उपस्थिति को वर्तमान में 13% से अधिक किया जा सके।
- सदन में न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करने के लिये रोस्टर प्रणाली लागू करना।
- दल-बदल कानून का पुनरावलोकन किया जाना ताकि पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत समय में इसका निपटारा किया जा सके।

संसदीय समितियाँ

- ऐसा देखा गया है कि 14वीं व 15वीं लोकसभा में 60% और 71% बिल पेश किये गए थे। परन्तु 16वीं लोकसभा में यह घटकर 27% तक रह गया, जो कि एक चिंता का विषय है।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व

- वर्तमान में विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति मात्र 13% है, जो यह दर्शाता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। बावजूद इसके कि वे चाहे घरेलू स्तर पर हो या बाह्य स्तर पर, अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करती है।

संसदीय भूमिका

- संसदीय भूमिका को मजबूत करने वाले सुझाव जैसे- संसद सदस्यों पर कड़ी कार्यवाही, न्यूनतम संख्या प्रणाली बनाना, दल-बदल कानून के तहत आए मामलों का निपटारा, सदन के नियमों का पालन करना, सदन में नए प्रवेशकों को चर्चा में शामिल करना आदि इस व्यवस्था को मजबूत करते हैं।

एक चुनाव

- वर्तमान में भारत में चुनाव पर किया जाने वाला खर्च काफी अधिक है, वर्ष 1984-85 में लोकसभा का सरकारी खर्च 100 करोड़ रुपया था,

2004 में यह 1000 करोड़ रुपये हो गया। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिपोर्ट में 2014 के आम चुनाव भाजपा द्वारा 700 करोड़ रुपये खर्च किये गए। चुनाव आयोग द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट के मुताबिक 22 राज्यों के चुनाव में भाजपा द्वारा 17.60 बिलियन खर्च किया गया।

सदन में गणपूर्ति

- सदन में आवश्यक गणपूर्ति न होना, सदन की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। 17वीं लोकसभा चुनाव में 260 से ज्यादा सांसद चुनकर आए, परन्तु नए सांसदों का सदन में गैर मौजूद होना संसदीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

आगे की राह

- हालांकि शासन प्रणाली में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिये उपराष्ट्रपति द्वारा सुझाये गए बिन्दुओं पर सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ताकि शासन को साफ-सुथरा एवं उत्तरदायी एवं सक्षम बनाया जा सके और लोगों में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय को स्थापित किया जा सके। ■

6. ग्रीन बॉण्ड : जलवायु परिवर्तन से निपटने का बेहतर उपाय

प्र. ग्रीन बॉण्ड क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने में यह किस प्रकार सहायक है? चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने घोषणा की है कि इसकी सहायक कंपनियों अडानी पुनर्नवीकरणीय एनर्जी लिमिटेड, वर्धा सोलर (महाराष्ट्र) और कोडंगल सोलर पार्थव प्राइवेट लिमिटेड ने 362.5 मिलियन डॉलर की राशि वाले 20 वर्षीय सीनियर सिक्योर ग्रीन बॉण्ड को जारी करने की मंजूरी दे दी है।

ग्रीन बॉण्ड क्या है

- ग्रीन बॉण्ड मूल रूप से ग्रीन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, स्मॉल हाइड्रो ऊर्जा, अपशिष्ट ऊर्जा आदि जैसी हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का एक साधन है। यह सामान्य बॉण्ड से अलग है क्योंकि इस बॉण्ड से उठाए गए धन केवल हरित परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाए जाएंगे।

महत्वपूर्ण क्यों है

- COP-21 के अंतर्गत निर्धारित राष्ट्रीय योगदान के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में ग्रीन बॉण्ड बाजार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु बाजार के माध्यम से आवंटित धन अपर्याप्त रहा है। वितीय संस्थाओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश किया जा सकता है। अतः उर्जा के नवीकरणीय क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत में ग्रीन बॉण्ड बाजार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत में ग्रीन बॉण्ड की आवश्यकता

- **नवीकरणीय ऊर्जा:** भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को महत्वपूर्ण वित्तपोषण की आवश्यकता है, जो ग्रीन बॉण्ड के लिए सबसे बड़े अवसरों में से एक को प्रस्तुत करता है।
- **आपदा प्रबंधनः** आपदा प्रबंधन एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां ग्रीन बॉण्ड निवेश का उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से तटीय राज्यों उष्णकटिबंधीय तूफान और चक्रवातों से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, चक्रवात फाणी के बाद, यह अनुमान है कि ओडिशा राज्य को अपने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए कुल 14 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।
- **कृषि:** कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने और इन-सीटू रोजगार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 2015-16 के बाद से सकल मूल्य में 14.4 प्रतिशत की दर से लगातार घटा है।
- **वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट:** देश में पानी की कमी की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए आवश्यक तात्कालिक उपायों के कारण उच्च पूंजी की आवश्यकताओं वाला एक अन्य क्षेत्र जल संरचना और प्रबंधन है।
- **वानिकी:** भारतीय वानिकी क्षेत्र को अभी तक फंड जुटाने के लिए पर्याप्त रूप से ग्रीन बॉण्ड के साथ जोड़ना बाकी है। ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से कॉर्पोरेट और सरकारी फंडिंग दोनों को वानिकी क्षेत्र में सुव्यवस्थित किया जा सकता है।

आगे की राह

- भारत सरकार द्वारा जलवायु परितर्वन से निपटने के लिए ग्रीन बॉण्ड को जारी करना एक सराहनीय कार्य है। सरकार इस क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रही है। चूंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर पड़ रहा है इसलिए सरकार स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक दोनों स्तरों पर प्रभावी कार्य करना चाह रही है जिससे कि इस समस्या से निपटा जा सके। ग्रीन बॉण्ड इसी के लिए किया गया एक बेहतर प्रयास है।
- चूंकि ग्रीन बॉण्ड मूल रूप से ग्रीन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, वेस्ट टू-ऊर्जा आदि जैसे हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का एक बेहतर साधन है। बशर्ते सरकार इस पर खुलकर ध्यान दे। हालांकि वर्तमान चुनौतियों और भारत सरकार की स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जवाबदेही ने एक आशा जगाई है कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व ग्रीन बॉण्ड को माध्यम बनाकर अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। ■

7. पूँजीवाद की अब तक की यात्रा : एक विश्लेषण

प्र. पूँजीवाद से आप क्या समझते हैं? इस व्यवस्था में मौजूद खामियों का जिक्र करते हुए इस संदर्भ में उचित विकल्प क्या हो सकते हैं? बताइए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम

राजन ने कहा कि लोगों में असंतोष के चलते पूँजीवाद की प्रासंगिकता पर गंभीर बहस शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि 2008 की वैश्विक मंदी के बाद आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था लोगों को बराबर अवसर उपलब्ध नहीं करा पाई है।

पूंजीवाद क्या है

- पूंजीवाद (Capitalism) सामान्यतः उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। इसे कभी-कभी 'व्यक्तिगत स्वामित्व' के पर्यायवाची के तौर पर भी प्रयुक्त किया जाता है।

पूंजीवाद पर बहस क्यों

- विश्व में 2007-08 में आए वित्तीय संकट के बाद से पूंजीवाद रक्षात्मक स्थिति में है। बढ़ती असमानता, सीईओ के ऊंचे वेतन के प्रति गुस्सा और व्यापार में बढ़ते अविश्वास की वजह से पश्चिम में युवा पूंजीवादी बाजार व्यवस्था से दूर हो रहे हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार 2008 के बाद से देश की सरकारों पर कर्ज 77 फीसदी बढ़ा है जबकि कंपनियों पर कर्ज 51 फीसदी तक बढ़ा है।

भारत की स्थिति

- स्वंतत्र भारत के अनेक नेताओं और चिंतकों ने मिलकर पूँजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी रूप से बचने के लिये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। बुनियादी तौर पर उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त, किंतु कमियों से मुक्त हो।
- मिश्रित अर्थव्यवस्थायों में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है, जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है, जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। भारत द्वारा शुरूआती समय में व्यापक स्तर पर इस प्रणाली को अपनाते हुए समाजवाद की तरफ झुकाव पर बल दिया गया, लेकिन कालांतर में जाकर पूँजीवादी मॉडल को प्रोत्साहित किया जाने लगा।
- विदित हो कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1984 एवं 1985 की औद्योगिक नीति से ही प्रारंभ हो चुकी थी लेकिन इस दौर में इसे पूरे तरीके से नहीं अपनाया गया था। आर्थिक सुधारों की प्रथम एवं व्यापक स्तर पर अपनाई जाने वाली नीति 1991 की औद्योगिक नीति थी। इस नीति में आर्थिक सुधारों की तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।

क्या है विकल्प

- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था की समस्याएं उभर रही हैं। समृद्धि के बावजूद आम आदमी बदहाल है। असमानता बढ़ रही है। बड़ी कंपनियों के प्रबंधकों को करोड़ों रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है, जबकि आम आदमी बेरोजगार है। ऐसे में प्रश्न उठता है इसका विकल्प क्या हो सकता है। इस संदर्भ में निम्न विकल्पों की चर्चा की जा सकती है- गांधीवादी विकल्प, समाजवादी और मार्क्सवादी विकल्प, नियंत्रित पूँजीवाद, कल्याणकारी राज्य आदि।

आगे की राह

- 21 वीं सदी की अनिवार्यता एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जो समाज को बेहतर लाभ पहुँचा सके इसके लिए हम यहाँ कुछ सुझावों को भी अमल में ला सकते हैं जैसे कि-
    - पूंजीवाद के दो मिशन होने चाहिए। लाभ कमाना और उन लोगों का जीवन स्तर सुधारना जिन्हें बाजारवाद की व्यवस्था से पूरा लाभ नहीं मिला।
    - आज व्यापार और सामाजिक क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की बढ़ती संख्या पूंजीवादी व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने के रास्ते खोज सकती है। ऐसे में आमजन के कल्याण के लिए इसके द्वारा उठाये गये कदमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2019

चर्चा का कारण

1.1 वर्ल्ड बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2019 के लिए रैंकिंग जारी कर दी गई है। टाइम्स नाउ के मुताबिक इसमें भारत को 77वां स्थान मिला है।

1.2 पिछले साल भारत को इस रैंकिंग में 100वां स्थान मिला था। इस रैंकिंग में 190 देश शामिल हैं।

रैंकिंग की गणना कैसे की जाती है

2.1 **बिजनेस की शुरुआत:** इस मानक के अंदर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी देश में नया बिजनेस शुरू करने के लिए कितना समय, कागजी कार्यवाही, और कितने विभागों की अनुमति लेनी पड़ती है। इन मानकों के आधार पर ही विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है।

2.2 **बिजली कनेक्शन:** किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजली कनेक्शन अति आवश्यक है। इस अध्ययन में बिजली कनेक्शन में लगने वाला समय, पैसा और डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े आंकड़े जुटाये जाते हैं।

2.3 **निर्माण कार्य के लिए परमिट:** इस मानकों के अंतर्गत इन तथ्यों का भी अध्ययन किया जाता है कि कोई गोदाम बनाने के लिए कितना समय और पैसा लगता है। इसके अलावा इसमें बिल्डिंग गुणवत्ता नियंत्रण सूचकांक, बिल्डिंग के लिए बीमा और प्रमाणपत्र के लिए कितना समय, पैसा इत्यादि लगता है।

2.4 **संपत्ति पंजीकरण:** इसके अंतर्गत किसी उद्योग घराने के द्वारा किसी संपत्ति को खरीदने, बेचने या किसी और व्यक्ति को लीज पर देने या इस प्रॉपर्टी पर ऋण लेने मे कितना समय, कागजी कार्यवाही और पैसा लगता है।

2.5 **ऋण प्राप्त करना:** डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंतर्गत इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि किसी उद्यमी को कितनी आसानी से व्यापार बढ़ाने के लिए कितनी सरल या कठिन शर्तों पर ऋण मिलता है, व कितनी मात्रा में तथा इसके लिये, कितनी कोलैटरल सिक्यूरिटी जमा करनी पड़ती है और दिवालियापन का कानून कैसा है।

2.6 **छोटे निवेशकों की रक्षा:** देश में निवेश करने वाले कारोबारियों के पैसे की सुरक्षा गारंटी कितनी है। इस बात के आंकड़े जुटाये जाते हैं। साथ ही इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि यदि एक निवेशक के साथ कुछ गैर कानूनी घटित होता है तो उसको किस प्रकार की सहायता सरकार से मिलती है और उसको मिलने वाली कानूनी सहायता और क्षतिपूर्ति कितनी होगी।

2.7 **करों का भुगतान:** टैक्स की संरचना, उनके प्रकार, टैक्स की दर हैं और उसे भरने में कारोबारियों द्वारा लगने वाले समय आदि का भी अध्ययन किया जाता है।

2.8 **सीमा पार व्यापार:** इसके अंतर्गत सामानों के निर्यात और आयात की लॉजिस्टिक प्रक्रिया से जुड़े समय, भुगतान, दस्तावेज और लागत का अध्ययन किया जाता है। कुछ अधिकारकों का भी अध्ययन किया जाता है: 1. डाक्यूमेंट्स, 2. बॉर्डर नियम 3. घरेलू परिवहन में लगी लागत और समय।

2.9 **कॉन्ट्रैक्ट के नियम:** दो कंपनियों व कारोबार में आमतौर पर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या नियम है। इन अनुबंधों में होने वाली प्रक्रिया और खर्च होने वाले रकम को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आधार बनाया जाता है। इसके अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि देश में कानूनी प्रक्रिया कितनी जटिल और खर्चीली है।

विशेष

3.1 वर्ल्ड बैंक की ताजा रैंकिंग की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले नंबर पर पिछले साल की तरह न्यूजीलैंड बना हुआ है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, तीसरे पर डेनमार्क, चौथे पर हांगकांग और पांचवें पर दक्षिण कोरिया है।

3.2 भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 46वें स्थान पर है जबकि बांग्लादेश 176वें स्थान पर, पाकिस्तान 136वें स्थान पर, नेपाल 110वें स्थान पर, भूटान 81वें पर और श्रीलंका 100वें स्थान पर आ गया है।

3.3 भारत ने अपने बेस्ट प्रैक्टिस स्कोर को बढ़ाकर 67.23 कर लिया है, जो पिछले साल 60.76 था। यह लगातार दूसरा साल है जब भारत को शीर्ष सुधारकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। साउथ एशिया में भारत अकेला ऐसा देश है, जिसने लगातार दो साल यह उपलब्धि हासिल की है।

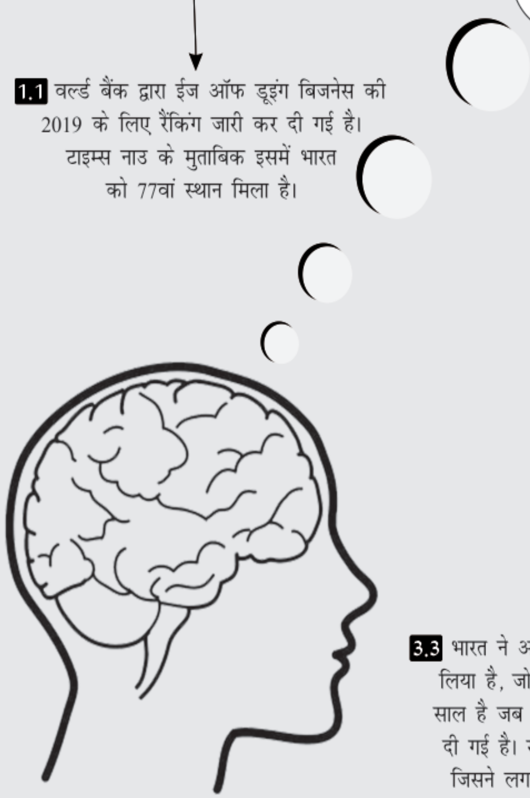

भारतीय जेल सांख्यिकी रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में जारी हुई 'भारतीय जेल सांख्यिकी 2017' की रिपोर्ट से पता चलता है कि 31 दिसंबर, 2017 तक भारत में कुल 1,361 जेल हैं, जिनकी कुल क्षमता 3,91,574 कैदियों की है।

1.2 लेकिन इन जेलों में क्षमता से कहीं ज्यादा 4,50,696 कैदी (115.1%) रह रहे हैं। यह आंकड़ा खुद में यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय जेलों का हाल बुरा है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

2.1 2015 से लेकर 2017 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की कुल संख्या में 2.85% की कमी आई है। 2015 में जेलों की संख्या 1,401 थी, जो कि 2017 में 1,361 रह गई।

2.2 एक ओर जहां जेलों की संख्या सीमित है, वहीं इन जेलों में रहने वाले कैदियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 2015 से 2017 के बीच ही कैदियों की संख्या में 7.4% की वृद्धि हुई है।

2.3 2015 में जहां 4,19,623 कैदी जेल में रह रहे थे, वहीं 2017 में यह संख्या बढ़कर 4,50,696 हो गई। ऐसे में साफ है कि जेलों पर कैदियों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और जेल कम होती जा रही हैं।

2.4 देश की 1,400 जेलों में बंद 4.33 लाख कैदियों में से 67 प्रतिशत कैदी विचाराधीन हैं। इसके अलावा 1,942 बच्चे भी हैं जो अपनी माताओं के साथ जेल में रह रहे हैं।

2.5 आंकड़ों के अनुसार, कुल कैदियों में 67.7 प्रतिशत कैदी विचाराधीन, 31 प्रतिशत दोषी और 0.7 प्रतिशत निरुद्ध किए हुए हैं। नियमों के मुताबिक छह साल तक के बच्चों को मां के साथ जेल में रहने की इजाजत है।

2.6 रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 में विचाराधीन कैदियों की संख्या 2,82,879 थी जो 2016 में बढ़कर 2,93,058 हो गई। 2014 से 2016 के बीच इन कैदियों की संख्या में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जेल सुधार हेतु प्रयास

3.1 जेल आधुनिकीकरण योजना: जेल आधुनिकीकरण योजना की शुरुआत वर्ष 2002-03 में जेलों, कैदियों और जेलकर्मियों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना में नई जेलों का निर्माण, मौजूदा जेलों की मरम्मत और नवीनीकरण, स्वच्छता और जल आपूर्ति में सुधार आदि शामिल थे।

3.2 ई-जेल परियोजना: ई-जेल परियोजना का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है। ई-जेल परियोजना जेल प्रबंधन में कैदी सूचना प्रबंधन प्रणाली (Prisoner Information Management system-PIMS) को जोड़ती है जो कैदियों की जानकारी को रिकॉर्ड करने, प्रबंधित करने तथा विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट बनाने के लिये सहायक है।

3.3 मॉडल जेल मैनुअल, 2016: यह मैनुअल जेल कैदियों के लिये उपलब्ध कानूनी सेवाओं (मुफ्त सेवाओं सहित) के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

3.4 राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority-NALSA): NALSA ने विचाराधीन कैदियों को मुफ्त कानूनी सेवाओं सहित कई अन्य सेवाएँ देने के लिये एक वेब आधारित एप्लीकेशन की शुरुआत की थी। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कानूनी सेवा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उपयोगी बनाना था।

3.5 जेल सुधारों और सुधारात्मक प्रशासन पर राष्ट्रीय नीति मसौदा: इस मसौदे के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- **3.5.1** जेलों को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करना।
- **3.5.2** जेलों से संबंधित मामलों पर एक समान और व्यापक कानून का निर्माण।
- **3.5.3** प्रत्येक राज्य में जेल और सुधार सेवाओं संबंधी एक विभाग का निर्माण।
- **3.5.4** सभी राज्य प्रत्येक जेल और संबंधित संस्थान में रहने की स्थिति में सुधार करेंगे।

चुनौतियाँ

4.1 जेलों में जरूरत से ज्यादा कैदियों को रखा जाना, विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या।

4.2 जेलों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ तथा आपराधिक गतिविधियाँ एवं कट्टरता।

4.3 महिला कैदियों एवं उनके बच्चो की सुरक्षा, समुचित जेल प्रशासन के लिये धन एवं स्टाफ की कमी।

सुझाव

5.1 2017 में, भारत के विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि सात साल तक की जेल की सजा काट रहे अपराधियों के लिए अधिकतम सजा पूरी करने वाले को जमानत पर रिहा किया जाय।

5.2 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया, ये देश भर में जेल सुधारों की जाँच करेगी और उनसे निपटने के उपाय सुझाएगी।

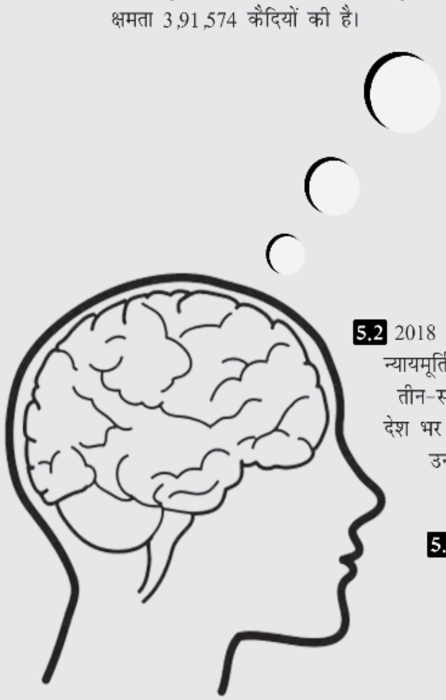

एज कम्प्यूटिंग

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्लाउड कम्प्यूटिंग के बाद एज कम्प्यूटिंग का विस्तार तेज गति से हो रहा है।

1.2 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बाजार में एज कम्प्यूटिंग का विस्तार 2025 तक लगभग 8 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2019 से लगभग 35 प्रतिशत अधिक होगा।

एज कम्प्यूटिंग क्या है

2.1 एज कम्प्यूटिंग क्लाउड कम्प्यूटिंग का उन्नत रूप है जिसे डेटा का विश्लेषण करने तथा उसको संसाधित (Processed) करने में प्रयोग किया जाता है।

2.2 दूसरे रूप में एज कम्प्यूटिंग वह तकनीक है जो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में एक निश्चित समय में बेहतर तरीके से भेजता है।

2.3 यह डेटा को तेजी से और कम समय में संप्रेषित करता है।

क्लाउड कम्प्यूटिंग क्या है

3.1 अमेरिका के वाणिज्य विभाग के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एण्ड टेक्नोलॉजी (एनआईएसटी) के अनुसार क्लाउड कम्प्यूटिंग विन्यास (Configarable) किए जाने योग्य कम्प्यूटिंग संसाधनों के साझा पूल के लिए सर्वव्यापी, सुविधाजनक, मांग के अनुसार, नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम मॉडल है।

3.2 संसाधनों के साझा पूल में नेटवर्क्स, सर्वर, स्टोरेज और सर्विस शामिल होते हैं जिसे न्यूनतम प्रबंधन, प्रयास, या सेवा प्रदाता के साथ समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

3.3 इस तकनीकी की चार विशेषताएं है। जैसे- डाटा इंटेन्सिव (संगठन से अधिक आंकड़ों पर फोकस करता है) रिसोर्स पूलिंग (संसाधन पूलिंग), स्केलेबिलिटी (मापनीयता) और रैपिड इलैस्टिसिटी (तेज लोच) एवं ऑन डिमांड एक्सेस।

एज कम्प्यूटिंग बनाम क्लाउड कम्प्यूटिंग

4.1 एज कम्प्यूटिंग और क्लाउड कम्प्यूटिंग के बीच बुनियादी अंतर डेटा प्रोसेसिंग को लेकर है।

4.2 वर्तमान में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) सिस्टम डेटा का उपयोग करके क्लाउड कम्प्यूटिंग में अपनी सभी संगणनाएँ करते हैं।

4.3 दूसरी ओर एज कम्प्यूटिंग अनिवार्य रूप से IOT उपकरणों द्वारा स्थानीय स्तर पर डेटा को संग्रहीत और प्रसंस्करण करके डेटा का सही उपयोग करता है।

प्रयोग

5.1 विशेषज्ञों का मानना है कि एज कम्प्यूटिंग का बेहतर इस्तेमाल तब हो पाएगा जब 5जी नेवटवर्क का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होगा।

5.2 चूंकि एज कम्प्यूटिंग त्वरित गति से डेटा का संग्रहण करता है इसलिए उपयोगकर्ता बिना किसी बाधा के ही उसके नेटवर्क से जुड़े रहते हैं।

5.3 एनवीडिया (NVidia), ग्राफिक्स (Graphics) और एआई (AI) एक्सलेरेशन हार्डवेयर के निर्माण के जरिये एज कम्प्यूटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है जो टेलिकॉम ऑपरेटरों को 5जी नेटवर्क को अपनाने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल-2019

चर्चा का कारण

1.1 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 30 अक्टूबर, 2019 को 14 वाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (NHP), 2019 जारी किया।

1.2 **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को,** केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो (CBHI) द्वारा तैयार किया गया है, इसमें देश की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य वित्त संकेतक, स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे एवं मानव संसाधनों के स्वास्थ्य पर व्यापक जानकारी शामिल है।

मुख्य बिंदु

2.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, सरकार को देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और मुद्दों को समझने और क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रम रणनीतियों को विकसित करने में मदद करती है।

2.2 ये आंकड़े नीति-निर्माताओं को साक्ष्य-आधारित नीतियाँ बनाने एवं विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता कर सकते हैं।

2.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल-2019 प्रमुख संकेतकों जैसे जनसांख्यिकीय संकेतक, सामाजिक-आर्थिक संकेतक एवं स्वास्थ्य स्थिति संकेतक के तहत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी पर प्रकाश डालता है।

2.4 जनसांख्यिकीय संकेतकों में जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण आँकड़े शामिल हैं, सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में रोजगार, शिक्षा, आवास और सुविधाएँ और स्वच्छता शामिल हैं, इसमें पेयजल भी शामिल है।

2.5 स्वास्थ्य स्थिति संकेतक में सामान्य संचारी और गैर-संचारी रोगों की व्यापकता शामिल है, हालांकि यह डेटा न केवल राष्ट्र में स्वास्थ्य संकेतकों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थिति पर नजर रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

2.6 NHP 2019 देश में विभिन्न स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण प्रगति को इंगित करता है, इसके अलावा, प्रोफाइल का स्वास्थ्य वित्त खंड स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य पर व्यय का अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें सार्वजनिक और आउट ऑफ पॉकेट व्यय (OOP) दोनों शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएँ

3.1 NHP के अनुसार 51 करोड़ लोगों में से जो गैर-संचारी रोग क्लीनिक में शामिल हुए थे, 4.75% मधुमेह से पीड़ित थे, 0.3% लोगों में हृदय रोग, 6.19% उच्च तनाव एवं 0.26% सामान्य कैंसर से पीड़ित थे।

3.2 **अभी तक** प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1970-75 में 49.7 वर्ष से बढ़कर 2012-16 में 68.7 वर्ष हो गई है, जिसमे महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.2 वर्ष और पुरुषों की 67.4 वर्ष है।

3.3 स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है, यह 2016 में 33 प्रति 1000 जीवित जन्म पर था। यह आंकड़ा अब ग्रामीण में 37 और शहरी में 23 है। 2016 में कुल प्रजनन दर 2.4 थी, ग्रामीण क्षेत्र में यह 3 एवं शहरी में 2.5 हो गई है।

3.4 डेंगू और चिकनगुनिया सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता का एक बड़ा कारण है।1991 से 2017 तक देश में जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक विकास दर में लगातार कमी आई है, 2017 में भारत ने प्रति 1000 जनसंख्या पर 20.2 जन्म दर दर्ज की, मृत्यु दर 63 और प्राकृतिक विकास दर 13.9 प्रति 1000 जनसंख्या थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो (CBHI) क्या है

4.1 केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो (CBHI), 1961 में स्थापित, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की स्वास्थ्य बौद्धिक शाखा है। यह पूरे देश में एक मजबूत स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली हेतु एक दृष्टि है।

4.2 यह राष्ट्रीय संस्थान एक वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर (Senior Administrative Grade) के चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं (CHS) के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में विशेषज्ञता प्राप्त है।

4.3 CBHI का मिशन है "स्वास्थ्य क्षेत्र में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए सुविधा स्तर तक देश के प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को मजबूत करना"।

4.4 यह साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णयों, योजना व अनुसंधान गतिविधियों हेतु देश के स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण व प्रसार करता है।

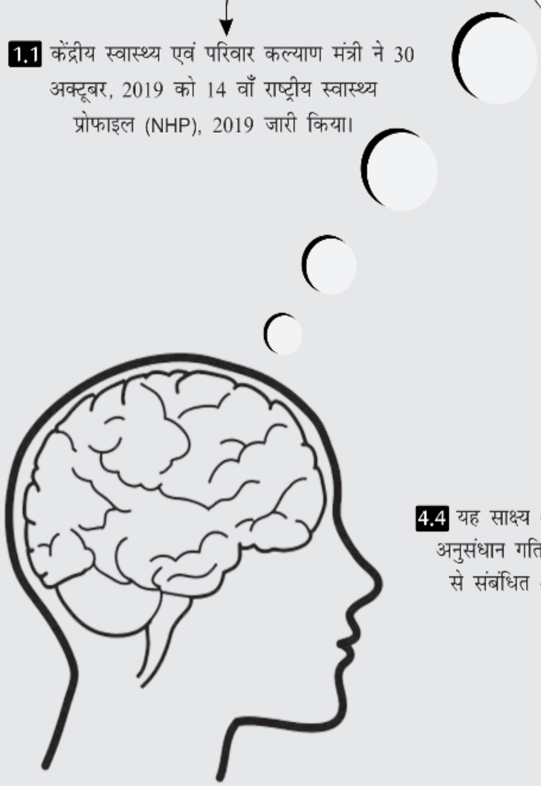

फाइलेरिया

चर्चा का कारण

1.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 65 करोड़ भारतीयों पर फाइलेरिया रोग का खतरा मंडरा रहा है। 21 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के 256 जिले फाइलेरिया से प्रभावित हैं।

1.2 फाइलेरिया दुनिया की दूसरे नंबर की ऐसी बीमारी है जो बड़े पैमाने पर लोगों को विकलांग बना रही है।

1.3 दुनिया के 52 देशों में करीब 85.6 करोड़ लोग फाइलेरिया के खतरे की जद में हैं।

फाइलेरिया क्या है

2.1 फाइलेरिया (Filariasis या Philariasis) परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागा के समान दिखने वाले 'फाइलेरिओडी' (Filarioidea) नामक निमेटोड के कारण होता है। यह एक संक्रामक उष्णकटिबन्धीय रोग है। लिंफेटिक फाइलेरियासिस को ही आम बोलचाल की भाषा में फाइलेरिया कहा जाता है।

2.2 फाइलेरिया के आठ प्रकार के नेमाटोड ज्ञात हैं जो मानवों को अपना निशाना बनाते हैं। फाइलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है, खासकर परजीवी क्यूलैक्स फैंटीगंस मादा मच्छर के जरिए।

2.3 जब यह मच्छर किसी फाइलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को काटता है तो वह संक्रमित हो जाता है। फिर जब यह मच्छर किसी स्वस्थ्य व्यक्ति को काटता है तो फाइलेरिया के विषाणु रक्त के जरिए उसके शरीर में प्रवेश कर उसे भी फाइलेरिया से ग्रसित कर देते हैं।

2.4 लेकिन ज्यादातर संक्रमण अज्ञात या मौन रहते हैं और लंबे समय बाद इनका पता चल पाता है। इस बीमारी का कारगर इलाज नहीं है। इसकी रोकथाम ही इसका समाधान है।

भारत में फाइलेरिया

3.1 फाइलेरिया भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। यह संक्रामक बीमारी देश के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात, केरल एवं केन्द्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में व्यापक पैमाने पर देखी जाती है।

3.2 भारत में मुख्य तौर पर फाइलेरिया दो प्रकार के संक्रमण से फैलता हैं, एक वुचिरेरिया बैंक्राफ्टाई से और दूसरा ब्रुजिया मलाई से। वुचिरेरिया बैंक्राफ्टाई के संक्रमण से होने वाला बैंक्रोफ्टियन फाइलेरिया (Bancroftian filaria); भारत में फाइलेरिया के कुल मामलों का लगभग 98% तक आच्छदित करता है।

फाइलेरिया के लक्षण

4.1 आमतौर पर फाइलेरिया के कोई लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन बुखार, बदन में खुजली और पुरुषों के जननांग और उसके आस-पास दर्द व सूजन की समस्या दिखाई देती है।

4.2 इसके अलावा पैरों और हाथों में सूजन, हाथी पांव और हाइड्रोसिल (अंडकोषों की सूजन) भी फाइलेरिया के लक्षण हैं।

4.3 चूंकि इस बीमारी में हाथ और पैर हाथी के पांव जितने सूज जाते हैं इसलिए इस बीमारी को हाथीपांव कहा जाता है।

4.4 वैसे तो फाइलेरिया का संक्रमण बचपन में ही आ जाता है, लेकिन कई सालों तक इसके लक्षण नजर नहीं आते।

4.5 फाइलेरिया न सिर्फ व्यक्ति को विकलांग बना देती है बल्कि इससे मरीज की मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

फाइलेरिया से बचाव

5.1 फाइलेरिया चूंकि मच्छर के काटने से फैलता है, इसलिए बेहतर है कि मच्छरों से बचाव किया जाए। इसके लिए घर के आस-पास व अंदर साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए।

5.2 पानी जमा न होने दिया जाय और समय-समय पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाय।

5.3 सोते वक्त हाथों और पैरों पर व अन्य खुले भागों पर सरसों या नीम का तेल लगाने की सलाह भी डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है।

5.4 हाथ या पैर में कहीं चोट लगी हो या घाव हो तो फिर उसे साफ रखना चाहिए।

नैनोफार्मास्युटिकल्स

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही मे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने एक कार्यक्रम में 'भारत में नैनोफार्मास्युटिकल्स के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश' जारी किए।

नैनोफार्मास्युटिकल्स क्या है

2.1 नैनोफार्मास्युटिकल्स शुरुवाती चरणों में ही बीमारियों का पता लगाने की क्षमता रखता है और नैदानिक अनुप्रयोग नैनोकणों का उपयोग करके पारंपरिक प्रक्रियाओं का निर्माण कर सकता है।

2.2 ये उपचारात्मक-युक्त नैनोमैटेरियल्स का एक अपेक्षाकृत नया वर्ग हैं जो अकसर अपने छोटे आकार के कारण एक उच्च अनुपात भौतिक-रासायनिक गुण युक्त है।

2.3 नैनोफार्मास्युटिकल्स सक्रिय एजेंटों (उदाहरण के लिए, एकल अणु दवाओं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, आदि) के लिए विन्यास सुधार के अवसर पेश करते हैं जो पहले अघुलनशील थे या शरीर की एक विशिष्ट साइट को लक्षित नहीं करते थे जहां उनकी आवश्यकता थी।

2.4 नैनोफार्मास्युटिकल्स इम्युनोजेनसिटी को कम करके और ड्रग मेटाबॉलिज्म को कम करके दवा की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं।

लाभ

3.1 बाजार में नैनोफार्मास्युटिकल्स की शुरुआत के साथ ही नैनोकैरियर आधारित ड्रग डिलीवरी एक उभरता क्षेत्र है। इन नैनो फॉर्म्यूलैशन्स में प्रभावकारिता अधिक और विषाक्तता कम है तथा ये परंपरागत औषधियों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है।

3.2 भारतीय शोधकर्ताओं को इन नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुसंधान करने से सुविधा होगी और ऐसी अपेक्षा है कि वे उद्योग उत्पादों के विकास और व्यावसायीकरण से पहले उसके अनुसंधान की अवस्था से ही भागीदार बनने के इच्छुक होंगे।

3.3 इसके अलावा इन दिशानिर्देशों से नियामक प्रणाली के मजबूत बनने के कारण निजी निवेश भी इस दिशा में आकर्षित होंगे।

3.4 भारत में नैनोफार्मास्युटिकल्स के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश नवीन नैनो फॉर्म्यूलैशन्स की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के आकलन को निरुपित करने के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है।

3.5 इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य भारत में नैनोफार्मास्युटिकल्स के लिए पारदर्शी, सुसंगत और अनुमानित विनियामक मार्ग उपलब्ध कराना है।

3.6 ये दिशानिर्देश नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप बदलावकारी अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेंगे। दिशानिर्देश नैनो टैक्नोलॉजी पर आधारित नए उत्पादों की मंजूरी के दौरान नियामक द्वारा निर्णय लेने और इसी तरह शोधकर्ताओं द्वारा अपने उत्पादों को बाजार में उतारने की मंजूरी लेने को भी सुगम बनाएंगे।

3.7 इस दस्तावेज से नैनो-टैक्नोलॉजी के हस्तक्षेप के माध्यम से कृषि-इनपुट्स और कृषि-उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधनों, प्रत्यारोपण उपकरणों जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश विकसित करने की गतिविधियों को आरंभ करने पर बल मिलेगा।

3.8 इन दिशा-निर्देशों से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा और 'सबके लिए किफायती रखरखाव सेवा' के मिशन में योगदान प्राप्त होगा।

3.9 ये दिशानिर्देश जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए हैं और डीबीटी द्वारा सभी संबद्ध मंत्रालयों के प्रयासों के समन्वय का निष्कर्ष हैं।

विकासकर्त्ता

4.1 इन दिशानिर्देशों का विकास जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology-DBT) के समन्वय से निम्नलिखित मंत्रालयों के अंतर-मंत्रालयी प्रयासों के परिणाम हैं।

4.2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology-DBT)।

4.3 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) एवं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization-CDSCO)

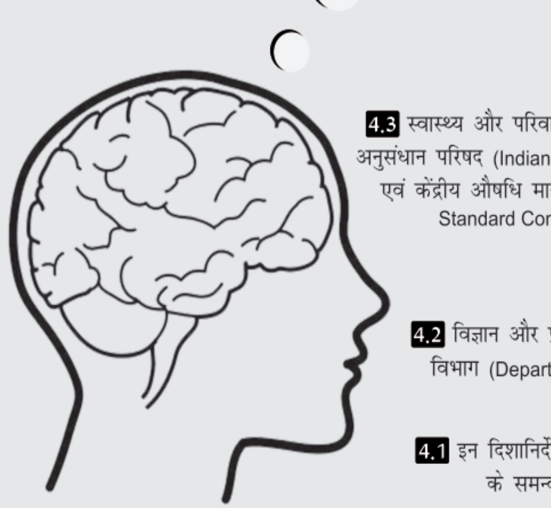

वॉट्सऐप से जासूसी

चर्चा का कारण

1.1 केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 'वॉट्सऐप' को यह जानकारी देने के लिए कहा है कि वह इजरायल के स्पाइवेयर 'पेगासस' द्वारा प्रभावित फोन की समीक्षा प्रस्तुत करे इससे कई भारतीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों को निशाना बनाया गया और फोन के जरिए उनकी 'जासूसी' की गई।

1.2 साथ ही केंद्र सरकार ने पूछा कि कंपनी भारतीयों की निजता की सुरक्षा किस तरह तय करेगी। आईटी मंत्रालय के अनुसार इससे भारत सहित दुनिया भर में 1400 लोगों को लक्ष्य बनाया गया।

पृष्ठभूमि

2.1 वॉट्सऐप प्रमुख विल कैथकार्ट ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा कि उनकी कंपनी ने पहली बार मई 2019 में साइबर हमले के इस नए रूप का पता लगाया था। इसने ऐप के विडियो-कॉल ऑप्शन के जरिए फायदा उठाया।

2.2 कैथकार्ट ने कहा कि वे एनएसओ की भागीदारी के बारे में 'निश्चित' थे क्योंकि जानकारी मिली कि साइबर हमलावरों ने सर्वर और इंटरनेट-होस्टिंग सेवाओं का उपयोग किया था जो पहले एनएसओ से जुड़े थे।

2.3 वॉट्सऐप की जांच में सहायता करने वाली टोरंटो यूनिवर्सिटी की सिटिजन लैब ने कहा कि साइबर हमलावरों ने 'ऑपरेटरों' का इस्तेमाल किया और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील और हॉन्गकॉन्ग के लिए इसका नाम 'गंगेज' दिया गया।

क्या है पूरा मामला

3.1 व्हाट्सऐप ने इजरायल की एनएसओ ग्रुप के खिलाफ फेडरल कोर्ट, सैन फ्रांसिस्को में मुकदमा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि एनएसओ ग्रुप ने जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारत समेत कई देशों के करीब 1,400 पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के चैट की जासूसी की है।

3.2 जासूसी के लिए इन सभी लोगों के फोन पर मैलवेयर (वायरस) भेजे गए। यह जासूसी अप्रैल-मई, 2019 के बीच हुई है जिसमें दुनियाभर के 20 देशों के लोगों को शिकार बनाया गया।

क्या है पेगासस (Pegasus)

4.1 NSO ग्रुप/Q साइबर टेक्नोलॉजी ने इस स्पाइवेयर (जासूसी वाले सॉफ्टवेयर) को तैयार किया है। पेगासस का दूसरा नाम Q Suite भी है। पेगासस दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर्स में से एक है जो एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस की जासूसी कर सकता है।

4.2 पेगासस सॉफ्टवेयर यूजर की इजाजत और जानकारी के बिना भी फोन में इंस्टॉल हो सकता है। एक बार फोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता है।

4.3 पेगासस सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के निजी जानकारियों पर बारिकी से नजर रख सकता है। यह सॉफ्टवेयर पासवर्ड, कॉन्टेक्ट लिस्ट, कैलेंडर, मैसेज, माइक्रोफोन, कैमरा और विभिन्न मैसेजिंग एप्स के कॉलिंग फीचर पर पल-पल नजर रखने में माहिर है। पेगासस यूजर का जीपीएस लोकेशन भी ट्रैक करता है।

4.4 बता दें कि जिस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल व्हाट्सएप की जासूसी करने में हुई है। उसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के चर्चित हनीट्रैप कांड में हुआ था।

4.5 रिपोर्ट के मुताबिक बंगलुरू की एक कंपनी नेताओं और अफसर के फोन टैपिंग के लिए पेगासस (Pegasus) सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती थी। यह सॉफ्टवेयर फोन में छिपकर कॉल रिकॉर्डिंग, वॉट्सएप चैटिंग, एसएमएस के साथ अन्य चीजों की सर्विलांस आसानी से कर लेता था।

जीरो-डे एक्सप्लॉइट

5.1 जब कोई सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो इसकी सुरक्षा का पुख्ता ख्याल रखती है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है, जिसे सॉफ्टवेयर कंपनी भी नहीं जान पाती है जिसका फायदा हैकर उठाते हैं।

5.2 जब तक इस कमी को जानकर उसे दूर किया जाता है तथा जब तक यह कंपनी के जानकारी में नहीं रहता है। इस समयावधि को जीरो-डे एक्सप्लॉइट कहते है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. ईज आफॅ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2019

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है।
2. इस वर्ष 190 देशों की जारी रैंकिंग में भारत का स्थान 100वां है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2019 के लिए रैंकिंग जारी कर दी है। टाइम्स नाउ के मुताबिक इसमें 190 देशों को शामिल किया गया था जिसमें भारत का स्थान 77वां रहा। भारत ने अपने बेस्ट प्रैक्टिस स्कोर को बढ़ाकर 67.23 कर लिया है, जो पिछले साल 60.76 था। यह लगातार दूसरा साल है जब भारत को शीर्ष सुधारकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

2. भारतीय जेल सांख्यिकी रिपोर्ट

प्र. भारतीय जेल सांख्यिकी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?

1. भारत की जेलों में क्षमता से कहीं अधिक लगभग 115% ज्यादा कैदी रह रहे हैं।
2. इस रिपोर्ट के अनुसार कैदियों में से 67.7% कैदी विचारधीन हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में जारी हुई 'भारतीय जेल सांख्यिकी रिपोर्ट 2017' की रिपोर्ट में पता चला है कि दिसंबर, 2017 तक भारत में कुल 1361 जेल हैं। जिनकी कुल क्षमता 3,91,574 कैदियों की है लेकिन इन जेलों में क्षमता से कहीं ज्यादा 4,50,696 कैदी रह रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, कुल कैदियों में 67.7 प्रतिशत कैदी विचाराधीन, 31 प्रतिशत दोषी और 0.7 प्रतिशत निरूद्ध किए गए हैं। इस प्रकार दोनों कथन सही है। ■

3. एज कम्प्यूटिंग

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एज कम्प्यूटिंग, क्लाउड कम्प्यूटिंग का उन्नत संस्करण है।
2. एनवीडिया, ग्राफिक्स और एआई एक्सलेरेशन हार्डवेयर के निर्माण के जरिये एज कम्प्यूटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्लाउड कम्प्यूटिंग के बाद एज कम्प्यूटिंग का विस्तार तेज गति से हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बाजार में एज कम्प्यूटिंग का विस्तार 2025 तक लगभग 8 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो 2019 से लगभग 35 प्रतिशत अधिक है। यह क्लाउड कम्प्यूटिंग का उन्नत रूप है जिसे डेटा का विश्लेषण करने तथा उसको संसाधित करने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल–2019

प्र. "राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल-2019" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल-2019 को स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) द्वारा तैयार किया गया है।
2. स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, के अनुसार, शिशु मृत्यु दर में 2016 से 2019 के बीच गिरावट दर्ज की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 30 अक्टूबर 2019, को 14वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (NHP) 2019, जारी किया है। NHP को केन्द्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो (CBHI) द्वारा तैयरा किया गया है। इसमें देश की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य वित्त संकेतक, स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे एवं मानव संसाधनों के स्वास्थ्य पर व्यापक जानकारी शामिल है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

5. फाइलेरिया

प्र. "फाइलेरिया" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. फाइलेरिया, जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है।
2. फाइलेरिया दुनिया की पहले नंबर की ऐसी बीमारी है जो बड़े पैमाने पर लोगों को विकलांग बना रही है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या: विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 65 करोड़ भारतीयों पर फाइलेरिया रोग का खतरा मंडरा रहा है। 21 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 256 जिले फाइलेरिया से प्रभावित है। फाइलेरिया, परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागे के समान दिखने वाले 'फाइलेरिओडी' नामक निमेटोड के कारण होता है। यह एक संक्रामक उष्णकटिबंधीय रोग है। फाइलेरिया दुनिया की दूसरे नंबर की ऐसी बीमारी है जो बड़े पैमाने पर लोगों को विकलांग बना रही है। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

6. नैनोफार्मास्युटिकल्स

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नैनोफार्मास्युटिकल्स अंतिम चरण में ही सिर्फ बीमारियों का पता लगाने में सक्षम है।
2. नैनोफार्मास्युटिकल्स इक्यूनोजेनसिटी को बढ़ा कर और ड्रग मेटाबॉलिज्म को बढ़ा कर दवा की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने एक कार्यक्रम में 'भारत में नैनोफार्मास्युटिकल्स के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। नैनोफार्मास्युटिकल्स शुरूआती चरणों में ही बीमारियों का पता लगाने की क्षमता रखता है और नैदानिक अनुप्रयोग नैनोकणों का उपयोग करके पारंपरिक प्रक्रियाओं का निर्माण कर सकता है। नैनोफार्मास्युटिकल्स इम्युनोजेनसिटी को कम करने और ड्रग मेटाबॉलिज्म को कम करके दवा की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

7. वॉट्सऐप से जासूसी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. स्पाई वेयर पेगासस (Pegasus) एक प्रकार का मालवेयर है जिसे फोनों की जासूसी के लिए उपयोग किया जाता है।
2. पेगासस सॉफ्टवेयर यूजर की इजाजत और जानकारी के साथ ही फोन में इंस्टॉल हो सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: हाल ही में स्पाईवेयर पेगासस जिसका कि इजराइल की एक फर्म (NSO) द्वारा इसका इस्तेमाल करके कई लोगों की व्हाट्सऐप के जरिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। इसमें कई भारतीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों को निशाना बनाया गया और जासूसी की गई। पेगासस सॉटवेयर यूजर की इजाजत और जानकारी के बिना भी फोन में इंस्टॉल हो सकता है। एक बार फोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार केवल कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI), 2019 के 50 वें संस्करण में 'आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड' से किसे सम्मानित किया गया है?

   - रजनीकांत

2. हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पक्षकारों (COP 25) की बैठक का आयोजन किस देश में हुआ?

   - स्पेन

3. हाल ही में किस देश ने 'डस्टलिक 2019' नामक संयुक्त अभ्यास की मेजबानी की?

   - उज्बेकिस्तान

4. हाल ही में किस शहर ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (आसियान) के 35 वें संघ की मेजबानी की?

   - बैंकाक (थाईलैंड)

5. हाल ही में भारत के 47 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े

6. हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल (एलजी) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - गिरीश चंद्र मुर्मू

7. हाल ही में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल (एलजी) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - राधा कृष्णा माथुर

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में पुलिस व सशस्त्र बलों में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा कीजिए।

2. क्वांटम कम्प्यूटिंग क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को बतायें।

3. हाल ही में जारी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' के आलोक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्रक की प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए इसके निवारण के उपाय को सुझाएं।

4. ''नेवरहुड एक्शन प्लान'' क्या है? कचरा प्रबंधन में जनसहयोग की भूमिका के रूप में इसकी चर्चा करें।

5. मनोभाव (Moral Emotions) से आप क्या समझते हैं? यह बुनियादी भावनाओं (Basic) से कैसे अलग है?

6. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि 'मेक इन इंडिया' जिससे से भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई थी अपने उद्देश्य को पूरा करने में अपेक्षानुरूप सफल रहा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

7. नागा आंदोलन को बताते हुए सरकार द्वारा इस मुद्दे को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करें।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. एससीओ की बैठक

हाल ही में रक्षामंत्री ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में एससीओ के शासनाध्यक्षों (सीएचजी) की 18वीं बैठक को संबोधित किया। उन्होंने एससीओ से विकास के साथ-साथ आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, असमानता और स्थानिक गरीबी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ कार्य करने का आग्रह किया।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों से उन्होंने दोहरे मानदण्डों को अपनाए बिना आंतकवाद से निपटने के लिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानूनों और तंत्रों को मजबूत करने एवं उन्हें लागू करने का आह्वान किया। आतंकवाद निरंतर हमारे समाजों को बाधित करने के साथ-साथ हमारे विकास के प्रयासों को कमजोर कर रहा है।

उन्होंने एफडीआई सुधारों में ढील, कोयला खनन और अनुबंध निर्माण में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति, एकल ब्रांड खुदरा विक्रेताओं के लिए सोर्सिंग मानदंडों में ढील और डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी देने सहित इस संदर्भ में सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया।सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए, रक्षामंत्री ने एससीओ देशों को भारत में सहयोगी संयुक्त उद्यमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

शंघाई सहयोग संगठन

- शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसकी स्थापना चीन, कजाखस्तिान, किर्गिजस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा 15 जून, 2001 को शंघाई (चीन) में की गई थी।
- उज्बेकिस्तान को छोड़कर बाकी देश 26 अप्रैल, 1996 में गठित 'शंघाई पाँच' समूह के सदस्य हैं।
- वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे।
- भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया।

क्यों अहम है एससीओ

- इसे NATO को काउंटर करने वाले संगठन के तौर पर देखा जाता है।
- सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाता है।
- आतंकवाद से निपटने खासकर IS आतंकियों से निपटने में मदद करता है।
- क्षेत्र में आर्थिक सहयोग बढ़ाना। ■

2. राष्ट्रीय एकता दिवस 2019

राष्ट्रीय एकता दिवस या National Unity Day हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्हें 'भारत के लौह पुरुष' के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 2019 की शुरुआत वल्लभभाई पटेल की 144वीं जयंती से की गई है।

राष्ट्रीय एकता दिवस 2019 थीम

राष्ट्रीय एकता दिवस-2019 का मुख्य विषय राष्ट्र को संघर्ष और बढ़ते चरमपंथ के समय में एकजुट करना है। इस दिन सरदार वल्लभभाई पटेल का सम्मान किया जाता है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और बाद में सभी रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

सरदार वल्लभभाई पटेल की 143वीं जयंती पर 31 अक्टूबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया था। दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी वल्लभभाई पटेल को दर्शाने वाली मूर्ति को प्रमुख भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया है। गुजरात के केवडिया जिले में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया गया है। यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में भी जानी जाती है।

सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में

- सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के पहले उप-प्रधान मंत्री थे। उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्र भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
- पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि वे कई बाधाओं के बावजूद सभी रियासतों को नए स्वतंत्र भारत में सफलतापूर्वक एकीकृत करने में सफल रहे थे। सरदार वल्लभभाई पटेल को भारतीय गणराज्य के संस्थापकों में से एक माना जाता है।
- सरदार वल्लभभाई पटेल ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और खादी आंदोलन का भी समर्थन किया था और केवल खादी के कपड़े पहनने का विकल्प चुना था।

- उन्हें 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ावा देने में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी।
- पहले गृह मंत्री के रूप में, उन्होंने विभाजन के दौरान भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में काम किया और 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में देश का संचालन भी किया।
- सरदार पटेल को हृदयघात होने के कारण 15 दिसंबर 1950 को उनका बॉम्बे में निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ■

3. केंद्र जम्मू-कश्मीर के किसी भी क्षेत्र में लगा सकती है अफस्पा

हाल ही में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद केंद्र सरकार को अधिकार मिला गया है कि वह किसी भी क्षेत्र को अफस्पा (AFSPA) के तहत अशांत घोषित कर सकती है। इसके तहत सुरक्षाबलों को किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होता है।

जम्मू और कश्मीर राज्य विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इस बदलाव से पहले जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से राज्य सरकार को अफस्पा के तहत किसी विशेष जिले या थाना क्षेत्र को 'अशांत' घोषित करने का अधिकार दिया गया था, जिसमें सुरक्षा बल किसी को भी रोक सकते हैं, उनकी तलाशी ले सकते हैं और यहां तक कि सुरक्षाबलों को गोली चलाने का भी अधिकार है।

एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1990 का प्रशासन अब गृह मंत्रालय के तहत जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामलों के विभाग के साथ निहित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अफस्पा उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां सिविल अधिकारियों को सहायता के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता होती है। अफस्पा लागू करने के लिए किसी भी क्षेत्र को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अशांत घोषित किए जाने की आवश्यकता होती है। अफस्पा एक्ट लागू होने की वजह से सुरक्षाबलों को किसी भी तरह की कार्रवाई से बचाव मिलता है।

बता दें कि 1990 में जम्मू-कश्मीर राज्य में अफस्पा कानून लागू किया गया था। हालांकि, नए केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख के लेह और कारगिल क्षेत्रों को कभी भी अशांत घोषित नहीं किया गया। राज्य के द्विभाजन के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था दोनों को गृह मंत्रालय उपराज्यपालों के माध्यम से देखेगा।

सुरक्षाबलों को मिलने वाला अधिकार

- संदिग्ध के खिलाफ बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार।
- बिना वारंट घर की तलाशी लेने का अधिकार।
- जरूरत के समय गोली चलाने तक का अधिकार।
- अफस्पा की वजह से सैनिक को कार्रवाई से बचाव का अधिकार।

■

4. इपीसीए ने दिल्ली-एनसीआर में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। यह घोषणा दिल्ली-एनसीआर में बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण के स्तर को देखते हुए की गई है। EPCA ने घोषणा करते हुए कहा है कि आगामी कुछ दिनों तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, और ग्रेटर नोएडा में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कई स्थानों पर 500 पॉइंट से भी ऊपर पहुंच गया है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित EPCA पैनल ने दिल्ली-एनसीआर में जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है।

एयर क्वालिटी इंडेक्स

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में पीएम-2.5 और पीएम-10 के स्तर को मापा जाता है। इसमें 0-50 के बीच 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'हल्का नुकसानदायक', 201-300 'खराब', 301-400 'बेहद खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है। यदि AQI 500 से ऊपर हो तो उसे 'बेहद गंभीर-आपातकालीन' श्रेणी में माना जाता है।

मामले से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिंदु

- EPCA ने निर्देश दिया है कि सभी कोयला और अन्य ईंधन आधारित उद्योग, जो प्राकृतिक गैस या कृषि-अवशेषों में स्थानांतरित नहीं हुए हैं, वे नवंबर तक बंद रहेंगे।
- इन औद्योगिक इकाइयों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, पानीपत आदि के क्षेत्र शामिल हैं।
- प्राधिकरण द्वारा सर्दियों के मौसम में पटाखों पर पाबंदी की घोषणा भी की गई है।
- प्लास्टिक और कचरा जलाने से लेकर धूल प्रदूषण तक, सभी मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए भी कहा गया है।

पीएम-10 लेवल क्या होता है

पर्टिकुलेट मैटर अथवा पीएम उन बेहद छोटे धूल और गैसीय कणों को कहा जाता है जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। पीएम-10 उन कणों को कहा जाता है जो 10 माइक्रोमीटर व्यास के आकार के होते हैं। इन कणों में धूल, गैस, प्रदूषित कण और कई प्रकार के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। राजधानी दिल्ली में पीएम-10 के स्तर के बढ़ने का मुख्य कारण- धूल, पराली और कूड़ा जलाए जाने का धुआँ, पटाखे और वाहनों का प्रदूषण है। इन कणों के सांस द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करने पर विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं जैसे आँख-नाक में जलन, सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना, खांसी, श्वसन संबंधित गंभीर रोग आदि।

■

5. अनुबंध कृषि

हाल ही में तमिलनाडु अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु ने ये कानून कृषि उपज और पशुधन संविदा खेती तथा सेवा अधिनियम को मंजूरी मिलने के बाद बनाया है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव होने के हालात में भी ये कानून किसानों के हितों की रक्षा करेगा। इसके अलावा अनुबंध कृषि के तहत खरीदारों और किसानों के बीच हुए पहले से तय मूल्य के तहत भुगतान किया जाएगा। हालाँकि इस प्रकार के समझौतों को कृषि विपणन एवं कृषि व्यावसाय विभाग के नामित अधिकारियों के साथ पंजीकृत कराना जरूरी होगा। साथ ही केंद्र या राज्य सरकार या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिबंधित किसी भी उपज को अनुबंध खेती के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

क्या है अनुबंध कृषि

दरअसल अनुबंध कृषि खरीदार और किसानों के बीच होने वाला एक समझौता है। इस समझौते के तहत कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है। इसमें कृषि उत्पादों के उत्पादन और उनके विपणन के लिये कुछ मानक तय किये जाते हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी अनुबंध खेती का मकसद है। अनुबंध कृषि के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह भी आसानी से मुहैया कराई जाती है।

तमिलनाडु राज्य अनुबंध खेती तथा सेवा (संवर्द्धन और सुविधा) प्राधिकरण : यह एक छः सदस्यीय निकाय है जिसका गठन अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, राज्य सरकार को प्रोत्साहन देने तथा अनुबंध खेती के बेहतर प्रदर्शन हेतु सुझाव देने के लिये किया जाएगा। इसके अंतर्गत अनुबंधों को पूर्व-उत्पादन (Pre-Production) से अंतिम उत्पादन (Post-Production) के समग्र रूप तक विस्तृत किया जा सकेगा। इसके आलावा किसान उत्पादकता में सुधार हेतु चारा तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से खरीदारों से समर्थन भी प्राप्त कर सकेंगे। उत्पादन तथा उसके बाद की गतिविधियों तथा पशुपालन में लगे किसानों को भी कवर किया जा सकेगा। ■

6. जम्मू और कश्मीर में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल

हाल ही में, यूरोपीय संसद के 23 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में मूल रूप से 27 नेता शामिल थे। यह पहली बार है जब सरकार ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत अपनी विशेष राज्य की स्थिति को छीनने के बाद एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल को जम्मू-कश्मीर का दौरा करने की अनुमति दी है।

स्मरणीय हो कि यूरोपीय संघ के सांसदों ने घाटी में आतंक को खत्म करने और शांति स्थापित करने के भारत के प्रयासों का समर्थन किया है। कश्मीर में आतंकवाद केवल भारत का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी मामला है। ऐसे में सरकार नही चाहती कि कश्मीर एक और अफगानिस्तान बने।

सरकारी अधिकारी ने इस संदर्भ में यूरोपीय संघ (ईयू) के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को जम्मू-कश्मीर का दौरा करने की अनुमति देने के सरकार के कदम की 'आलोचना' को खारिज कर दिया, कहा कि यह कदम पश्चिम, विशेष रूप से यूरोप में पाकिस्तान के प्रचार का एक कारगर जबाव है।

विवाद

इससे पहले, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी सहित विपक्षी राजनेताओं ने इस क्षेत्र का दौरा करने की कोशिश की थी, लेकिन हवाई अड्डे पर इसे वापस कर दिया गया था। जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की तरह अनुमति दी गई थी, वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद ही ऐसा कर सकते थे।

इसलिए, कई विशेषज्ञों ने यूरोपीय संघ के सांसदों के कश्मीर दौरे को भारत के इतिहास में 'सबसे बड़ी कूटनीतिक गड़बड़ी' करार दिया और कहा कि सरकार ने जानबूझकर इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया है क्योंकि देश के नागरिकों को ही वहाँ जाने की अनुमति नही है तो विदेशियों को क्यों है। ■

7. भारत-उज्बेकिस्तान के बीच तीन समझौतों पर हस्ताक्षर

हाल ही में भारत ने सैन्य संबंधों में सहयोग बढ़ाने के लिए उज्बेकिस्तान के साथ तीन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए। भारत के रक्षा मंत्री उज्बेकिस्तान में ताशकंद की अपनी यात्रा के दौरान उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री मेजर जनरल बखोदिर निजामोविच कुर्बानोव के साथ द्विपक्षीय परामर्श किया। यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा करीब 15 वर्षों में उज्बेकिस्तान का पहला दौरा था।

भारत और उज्बेकिस्तान ने निम्न तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए:

- दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सैन्य चिकित्सा में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए दोनों देशों के उच्च सैन्य शिक्षण संस्थानों के बीच दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए।

दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास एवं सम्मान के उच्च स्तर और क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विषयों पर उनके साझा विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होगा। इसमें क्षेत्रीय स्थिरता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा अतिवाद एवं आतंकवाद का मुकाबला करना शामिल है।

उल्लेखनीय है कि भारत ने उज्बेकिस्तान द्वारा भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद हेतु चार करोड़ अमरीकी डॉलर की रियायती ऋण सुविधा की पेशकश की है। दोनों पक्षों के बीच सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं शिक्षा से संबंधित प्रत्यक्ष आदान-प्रदान में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. जलवायु परिवर्तन पर 29वीं बेसिक बैठक

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 25-26 अक्टूबर, 2019 को चीन के बीजिंग में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर बेसिक (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) देशों की 29वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। जलवायु परिवर्तन पर 29वीं बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठक में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जो निम्न हैं-

- उसमें जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों की वैश्विक चुनौती के बारे में अपनी चिंता व्यक्त किया गया है। इस मुद्दे को हल करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने, कम-कार्बन और सतत विकास के साथ बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया गया।
- 2005 की तुलना में 2018 तक चीन ने सकल घरेलू उत्पाद के प्रति यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 45.8% तक कम कर दिया है तथा प्राथमिक ऊर्जा खपत में गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 14.3% तक बढ़ा दी है।
- उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में कार्बन टैक्स लागू किया है और अपनी नवीनतम बिजली योजना में बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम की घोषणा की है।
- भारत पहले ही 2005 की तुलना में 2014 तक जीडीपी के प्रति यूनिट उत्सर्जन तीव्रता को 21% कमी कर चुका है, जिससे 2020 के पूर्व स्वैच्छिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। 2015 में, ब्राजील ने पहले ही अपने एनएएमए के लिए सामान्य रूप से कारोबार में 58% उत्सर्जन में कमी हासिल की थी, जिससे ब्राजील 2020 के लिए तय लक्ष्य 36%-39% की कटौती को प्राप्त कर चुका है।
- इन देशों ने विकसित देशों से यह आग्रह किया है कि वे विकासशील देशों को 100 बिलियन डॉलर की वार्षिक अनुदान सहायता प्रदान करें, साथ ही जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करने का प्रयास करें।

2. आंध्रप्रदेश में ऐतिहासिक बस्ती की खोज

- आंध्रप्रदेश के नेल्लोर (अब श्रीरामुलू के रूप में नाम रखा गया है) में नायडूपेटा के निकट गोट्टीप्रोलू में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम ने खुदाई के पहले चरण में व्यापक तौर पर ईंटों वाली संरचना से घिरी एक विशाल बस्ती के अवशेष प्राप्त किये हैं।
- गोट्टीप्रोलू (13° 56' 48" उत्तरी अक्षांश; 79° 59' 14" पूरब देशांतर) नायडूपेट से लगभग 17 किलोमीटर पूरब और तिरूपति तथा नेल्लोपर से 80 किलोमीटर दूर स्वर्णमुखी की सहायक नदी के दायें किनारे पर स्थित है।
- इस खुदाई में पक्की ईंटों से निर्मित संरचना मिली है, जो 75 मीटर से अधिक लम्बी, लगभग 3.40 मीटर चौड़ी और लगभग 2 मीटर ऊंची है। खुदाई में ईंटों से बना आयताकार टैंक भी मिला है। ईंटों का आकार 43-40 सेमी पाया गया है, जिसकी तुलना कृष्णा घाटी यानी अमरावती और नागार्जुनकोंडा की सातवाहन/इक्ष्वाकु काल की संरचनाओं से की जा रही है।
- ईंटों के आकार और अन्य खोजों के आधार पर इन्हें पहली-दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व अथवा उसके कुछ समय बाद (लगभग 2000 वर्ष पुराने) के समय का माना जा रहा है।
- खुदाई में मिले अवशेषों के अलावा, गांव के पश्चिमी हिस्से से जमीन के नीचे विष्णु की मूर्ति भी मिली है।
- इस क्षेत्र के लोगों ने, प्राचीनकाल में व्यापार में आसानी के लिए समुद्र, नदी और झील (पुलिकट) से निकटता को ध्यान में रखते हुए, 15 किलोमीटर की दूरी पर किलाबंदी की थी। इन्होंने दो प्रमुख व्यापारिक केन्द्र अमरावती और नागार्जुनकोण्डा को बसाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई।

3. एआईआईए और जर्मनी की जीएमबीएच के बीच समझौता

- आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और जर्मनी की फ्रैंकफर्टर इनोवेशन्स जेन्ट्र बायोटेक्नोआलॉजी, जीएमबीएच (एफआईजेड) के बीच नई दिल्ली में एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- इस गठबंधन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य जीनोमिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों के सहयोग से प्राप्त साक्ष्य-आधारित दिशा-निर्देश तैयार करना है, ताकि आम जनता तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेद से जुड़े सिद्धांतों एवं व्यवहार को आधुनिक चिकित्सा से एकीकृत किया जा सके।
- जैव प्रौद्योगिकी की पारम्परिक अवधारणाओं के साथ परम्परागत आयुर्वेद चिकित्सा का उपयोग पूरक के तौर पर करने पर ऐसे साक्ष्य सृजित हो सकते हैं, जिनसे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा को कुशल बनाने में सहायता मिल सकेगी।
- अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान भारत में आयुर्वेद की सर्वोच्च संस्था है। यह संस्थान आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 10 अक्टूबर, 2017 को की गयी थी। यह संस्थान दिल्ली में स्थित है।
- भारत में घरेलू कंपनियाँ डाबर, इमामी और हिमालय ग्रुप हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने के मामले में आगे हैं। कंपनियाँ अत्याधुनिक तकनीक के साथ प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा को मिलाकर गोलियाँ, क्रीम और तेल बना रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत की 65 फीसदी आबादी आयुर्वेदिक उपचारों का इस्तेमाल करती है।
- जैव प्रौद्योगिकी नवाचार संगठन (BIO) दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार संगठन है जो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। जनवरी 2016 में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन ने अपना नाम बदलकर जैव प्रौद्योगिकी नवोन्मेष संगठन कर लिया।

4. ग्लोबल बायो-इंडिया, 2019 शिखर सम्मेलन

- ग्लोबल बायो-इंडिया 2019, का देश में पहली बार 21 से 23 नवंबर, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निवेश को आकर्षित करने, स्वदेशी शक्तियों का प्रदर्शन करने और स्वदेशी प्रतिभाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, पहली बार बायोटेक समुदाय के लिए इस विशाल आयोजन की मेजबानी की जाएगी।
- डीबीटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
- इस आयोजन में 30 देशों के हितधारकों, 250 स्टार्ट-अप, 200 प्रदर्शकों को एक साथ लाया जाएगा। इसमें केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, नियामक निकायों, निवेशकों सहित कुल 3500 प्रतिभागी भाग ले सकते हैं।
- जैव प्रौद्योगिकी भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य में योगदान दे सकती है। साथ ही इसे हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पर बल देने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। भारत वर्तमान में 51 बिलियन डॉलर की अर्थव्यववस्था है और 150 बिलियन डॉलर की ओर अग्रसर है।
- भारत 1986 में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और मानव संसाधनों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्थापित करने वाले पहले देशों में शामिल है।
- एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज- एबीएलई (ABLE) एक गैर-लाभकारी अखिल भारतीय मंच है जो भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अप्रैल 2003 में इसे शुरू किया गया था, जब उद्योग के नेताओं को भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेष मंच बनाने की आवश्यकता महसूस हुई।
- ABLE में भारत भर से 400 से अधिक सदस्य हैं, जो की एग्रोबायोटेक, बायो-फार्मा, इंडस्ट्रियल बायोटेक, बायोइनफॉरमैटिक्स, इनवेस्टमेंट बैंक और वेंचर कैपिटल फर्म और इक्विपमेंट सप्लायर्स जैसे सेक्टर के सभी वर्टिकल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ABLE का प्राथमिक ध्यान भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास की गति को तेज करना है, ताकि इष्टतम नीतियों को वितरित करने और सकारात्मक बनाने के लिए उनकी जैव प्रौद्योगिकी पहल में सरकार के साथ भागीदारी की जा सके।

5. यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क

- यूनेस्को ने फिल्म के क्षेत्र में मुम्बई और पाक-कला के क्षेत्र में हैदराबाद को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (यूसीसीएन) के सदस्य के रूप में नामित किया है।

- यूसीसीएन (UCCN) का गठन 2004 में हुआ था और इसमें उन शहरों के नाम शामिल हैं जो अपने-अपने देशों में सांस्कृतिक गतिविधियों के सक्रिय केन्द्र हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अब कुल 246 शहर शामिल हैं।
- इस नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले सदस्य शहर सभी महाद्वीपों और क्षेत्रों से अलग-अलग आय स्तर और आबादी के साथ आते हैं। वे एक समान मिशन की दिशा में एक साथ काम करते हैं। इसके अंतर्गत सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडे के अनुसार, शहरों को सुरक्षित, लचीला, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए उनकी शहरी विकास योजनाओं के मूल में रचनात्मक अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाना है।
- यूसीसीएन के अतंर्गत 7 श्रेणियां को शामिल किया गया हैं-
  - शिल्प और लोक कला
  - डिजाइन
  - फिल्म
  - पाक-कला
  - संगीत
  - मीडिया आर्ट्स
  - साहित्य
- संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति से संबंधित यूनेस्को में सभी मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है।
- भारत के तीन शहरों को यूसीसीएन के सदस्यों के रूप में मान्यता मिली हुई है-
  - जयपुर- शिल्प और लोक कला (2015)
  - वाराणसी- संगीत के लिए रचनात्मक शहर (2015)
  - चेन्नई- संगीत के लिए रचनात्मक शहर (2017)

6. ब्रह्मपुत्र पर पहले कंटेनर कार्गो की आवाजाही

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के साथ संपर्क में सुधार पर सरकार के प्रयासों के अनुरूप, एक ऐतिहासिक कंटेनर कार्गो की खेप हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) से अंतर्देशीय जलमार्ग पर, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) टर्मिनल के द्वारा 4 नवंबर, 2019 को गुवाहाटी के पांडु से रवाना हो गई।
- अंतर्देशीय पोत एमवी माहेश्वरी को भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग व राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) के रास्ते एक एकीकृत अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन के तहत भेजा जा रहा है। यह 1425 किलोमीटर लंबी दूरी को विविध जलमार्गों का उपयोग करके अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को स्थापित करने में मदद करेगा।
- भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन मार्ग का (पीआईडब्ल्यूटीटी) दोनों देशों के पोतों द्वारा माल की आवाजाही हेतु उपयोग किये जाएंगे।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 गंगा-भागीरथी-हुगली नदी पर फैला हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग-2 ब्रह्मपुत्र नदी पर फैला है तथा राष्ट्रीय जलमार्ग-16 बराक नदी पर फैला है।
- बांग्लादेश के अंतर्देशीय जलमार्गों के तहत भारत-बांग्लादेश प्रोटोकाल मार्ग पर दो भू-भागों सिराजगंज-दाइखवा और आशूगंज-जाकिगंज मार्ग का विकास कुल 305.84 करोड़ रुपये की लागत से 80:20 के साझाकरण अनुपात के आधार पर किया जा रहा है।
- उपरोक्त के अलावा, भारत और बांग्लादेश ने हाल के दिनों में जलमार्गों के उपयोग को बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इनमें भारत के कोलाघाट में पीआईडब्ल्यूटी एंड टी, धुलियान, माया, सोनमुरा और बांग्लादेश के चिलमारी, राजशाही, सुल्तानगंज, दौखंडी में अतिरिक्त पोर्ट ऑफ कॉल की घोषणा की है।
- दोनों देशों द्वारा निम्न मार्गो पर सहमति जताई है-
  - करीमगंज (असम, भारत) के विस्तारित पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में बदरपुर और बांग्लादेश का घोरासल (आशूगंज) तक विस्तार किया जाएगा।
  - भारत के विस्तारित पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में ट्रिबेनी और बांग्लादेश में मुक्तारपुर (पनगाँव) तक विस्तारित किया जाएगा।
  - प्रोटोकॉल रूट नंबर 5 और 6 यानी राजशाही-गोडागरी-धुलियान को अरिचा (बांग्लादेश) तक विस्तारित किया जाएगा।
  - नये रूट नम्बर 9 और 10 के रूप में गेलती नदी पर दाउदखंडी-सोनमुरा खंड का समावेश किया जाएगा।

7. बंजरभूमि एटलस- 2019

- भू-संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से भारत की बंजरभूमि एटलस-2000, 2005, 2010 और 2011 संस्करणों का प्रकाशन किया

था। एनआरएससी द्वारा भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए बंजरभूमि का मानचित्रण 'बंजरभूमि एटलस-2019' के पांचवें संस्करण का प्रकाशन किया गया।

- भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है, जो विश्वे की 18 प्रतिशत आबादी को सहारा देता है। भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.12 हेक्टेयर है, जबकि विश्व में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.29 हैक्टेयर है।
- देश में भूमि पर उसकी वहन करने की क्षमता से ज्यादा पड़ रहे निरन्तर दबाव के परिणामस्वरूप भूमि का अवकर्षण हो रहा है। इसलिए, बंजरभूमि के बारे में सुदृढ़ भूस्थानिक सूचना महत्वपूर्ण समझी जा रही है और विविध भू विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बंजरभूमि को उत्पादन संबंधी उपयोग में परिवर्तित करने में प्रभावी रूप से सहायता प्रदान करती है।
- 'बंजरभूमि एटलस- 2019' में जम्मू और कश्मीर के सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं। फिलहाल 12.08 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के मानचित्रण सहित बंजर भूमि की विभिन्न श्रेणियों के जिले और राज्यवार वर्गीकरण किया गया है। 2008-09 और 2015-16 के बीच बंजर भूमि में आए परिवर्तन एटलस में प्रस्तुत किए गए हैं।
- इस प्रयास के परिणामस्वरूप पूरे देश में बंजर भूमि की स्थानिक सीमा का आकलन संभव हो सका, जो वर्ष 2015-16 में 55.76 मिलियन हेक्टेयर (देश के भौगोलिक क्षेत्र का 16.96% अर्थात 328.72 मिलियन हैक्टेयर) है, जो कि वर्ष 2008-09 में 56.60 मिलियन हेक्टेयर (17.21%) था। इस अवधि के दौरान 1.45 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि के गैरबंजर भूमि की श्रेणियों में परिवर्तित किया गया है। देश में 2008-09 से 2015-16 के दौरान विभिन्न श्रेणीगत बंजर भूमि का शुद्ध रूपांतरण 0.84 मिलियन हेक्टेयर (0.26%) तक रहा है।
- बंजर भूमि को विभिन्न श्रेणियों में देखा गया जिनमें कम झाड़ियों वाली भूमि, कम जलभराव और दलदली भूमि, रेतीले क्षेत्र, अवकर्षित चरागाह भूमि तथा कम उपजाऊ भूमि आदि शामिल हैं।
- राज्यवार विवरण के तहत राजस्थान (0.48 मिलियन हेक्टेयर), बिहार (0.11 मिलियन हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (0.10 मिलियन हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (0.08 मिलियन हैक्टेयर), मिजोरम (0.057 मिलियन हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.039 मिलियन हेक्टेयर), जम्मू-कश्मीर (0.038 मिलियन हैक्टेयर) और पश्चिम बंगाल (0.032 मिलियन हेक्टेयर) में बंजर भूमि में सकारात्मक बदलाव आया है।
- अधिकतर बंजर भूमि को 'फसल' (0.64 मिलियन हेक्टेयर), 'वन-घना/खुला' (0.28 मिलियन हेक्टेयर), 'वन वृक्षारोपण' (0.029 मिलियन हैक्टेयर), 'वृक्षारोपण' (0.057 मिलियन हेक्टेयर) और 'औद्योगिक क्षेत्र' (0.035 मिलियन हैक्टेयर) आदि में बदल दिया गया है।

ooo

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. दक्षिण चीन सागर विवादित द्वीप

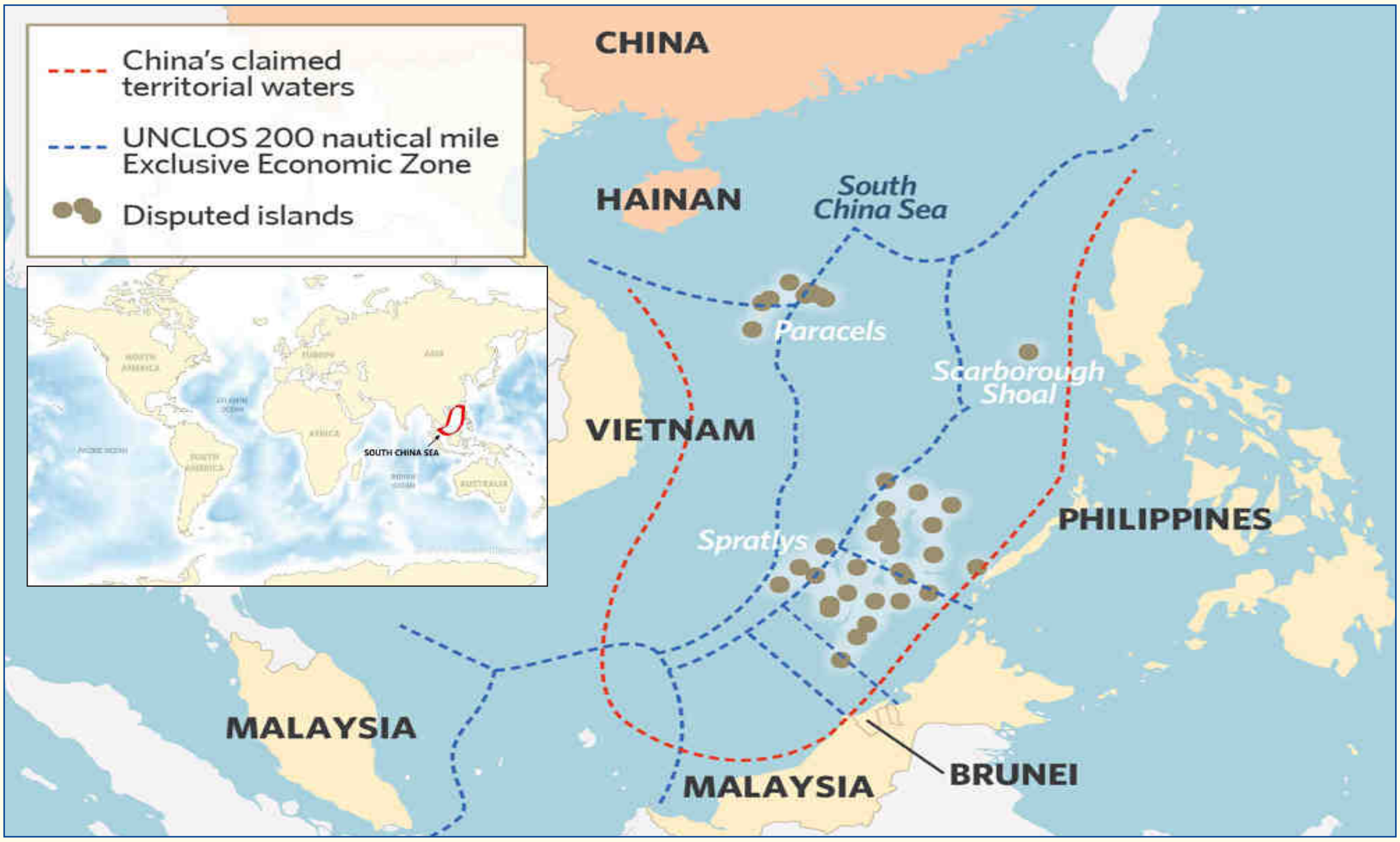

महत्वपूर्ण तथ्य

- पारासेल द्वीप समूह, जिसे चीनी भाषा में झिसा (XISHA) और वियतनामी भाषा में होंग्सा (HoangSa) के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण चीन सागर में द्वीपों, भित्तियों और अन्य समुद्री विशेषताओं का एक समूह है।
- पारासेल द्वीप समूह पर 1974 तक चीन और वियतनाम का कब्जा था।
- 1974 में दक्षिण वियतनाम और चीन के बीच झड़प के बाद वियतनाम के 14 सैनिक मारे गये और चीन ने इस पूरे द्वीपसमूह पर अपना कब्जा जमा लिया।
- इस समुद्री इलाके में पड़ने वाले सैकड़ों द्वीपों को लेकर तटीय देशों के बीच लम्बे अर्से से विवाद चल रहा है।
- इस द्वीपसमूह में लगभग 130 छोटे प्रवाल द्वीप शामिल हैं जिनका वर्गीकरण उत्तर-पूर्व एम्फाइट्राइट समूह या पश्चिमी क्रिसेंट समूह में किया जाता है।
- इन्हें लगभग 7.75 वर्ग किलोमीटर (2.99 वर्ग मील) के भू-क्षेत्र के साथ लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर (5,800 वर्ग मील) के समुद्री क्षेत्र में विभाजित किया गया है।
- स्प्रातली द्वीप समूह भी दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीप समूह है।
- इसको लेकर चीन, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई के बीच विवाद चल रहा है।
- ये द्वीप आर्थिक और रणनीतिक कारणों से बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं।
- ये द्वीप मछली उत्पादन के एक लिए विशाल क्षेत्र हैं।

2. अगलेगा द्वीप

महत्वपूर्ण तथ्य

- अगलेगा मॉरीशस के दो बाहरी द्वीपों का समूह है, जो हिंद महासागर में मॉरीशस द्वीप के उत्तर में लगभग 1,000 किलोमीटर (620 मील) पर स्थित है।
- इन द्वीपों का कुल क्षेत्रफल 2600 हेक्टेयर (6400 एकड़) है।
- इस द्वीप समूह को सामरिक रूप से विकसित करने के लिए भारतीय सेना को पट्टे पर दिया गया है।
- इसके लिए भारत ने मॉरीशस से 'समुद्री और हवाई परिवहन सुविधाओं में सुधार' के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- यह समझौता मॉरीशस के बाहरी द्वीप पर समुद्री और हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के बुनियादी ढाँचे का विकास करने के लिए किया गया है।
- भारत सरकार ने इस समझौते के तहत अपना निवेश 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1100 करोड़ रुपये कर दी है।
- अगलेगा परियोजना के तहत एक जलबंधक या सेतु (Jelty) का निर्माण, रनवे का पुनर्निर्माण और विस्तार तथा मॉरीशस के मुख्य भू-भाग के उत्तर में स्थित अगलेगा द्वीप पर एक एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण किया जाना शामिल है।

3. तुलागी द्वीप

महत्वपूर्ण तथ्य

- तुलागी द्वीप, सोलोमन द्वीपसमूह का हिस्सा है। सोलोमन एक संप्रभु देश है जिसमें 6 बड़े द्वीप हैं। यह प्रशांत महासागर में आस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में स्थित है जिसमें कि लगभग 900 छोटे द्वीप भी है।
- यह द्वीप अपने गहरे पानी वाले प्राकृतिक बंदरगाह के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- इसकी महत्ता के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में तुलागी द्वीप का मित्र देशों की सेना के लिए प्रशांत महासागर में मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोलोमन द्वीप पर पश्चिमी देशों क प्रभुत्व बना रहा लेकिन 1980 के दशक में आर्थिक और सैन्यशक्ति के रूप में चीन के उदय से यह समीकरण बदलना शुरू हो गया।
- सोलोमन द्वीपसमूह द्वारा तुलागी द्वीप को चाइना सैम एंटरप्राइज ग्रुप जो चीनी कम्युनिष्ट पार्टी की करीबी मानी जाती है, को 75 वर्षों के लिए लीज (पट्टे) पर दिया गया है।
- इस समझौते के प्रावधानों में एक हवाई अड्डे का निर्माण, एक मत्स्य उत्पादन केन्द्र, तेल और गैस टर्मिनल बनाने का उल्लेख है।
- इस द्वीप पर चीन के निवेश ने अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया की चिंताएं बढ़ा दी है। अब बीजिंग यहां समुद्री जहाजों से लेकर प्लेन तक अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ सकता है।

4. एजम्पशन द्वीप

महत्वपूर्ण तथ्य

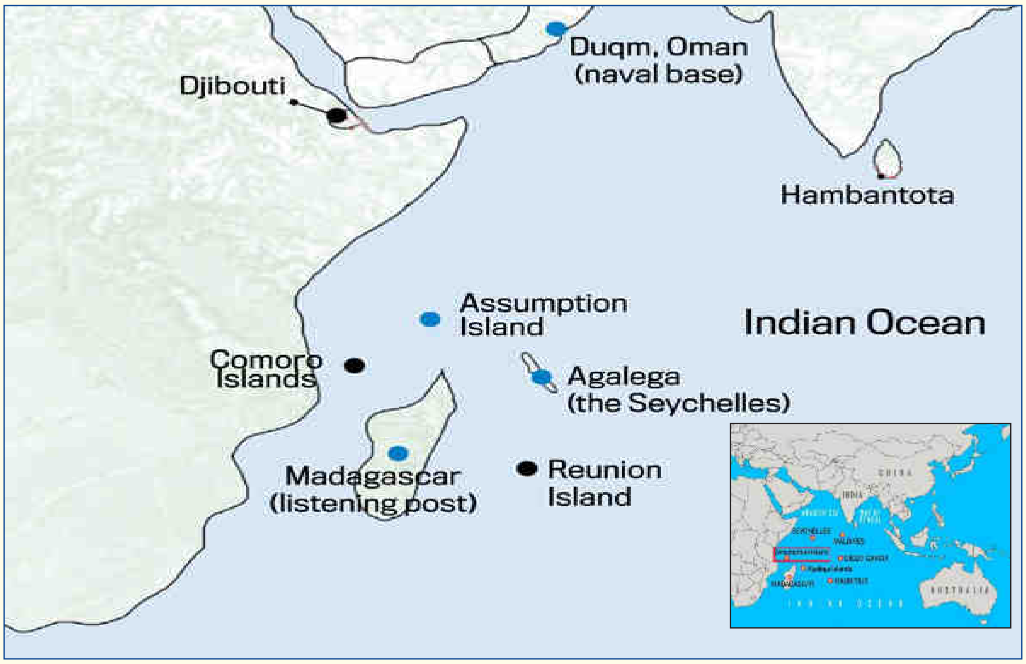

- एजम्पशन द्वीप (Assumption Island) मेडागास्कर के उत्तर में स्थित सेशेल्स के द्वीपसमूहों में से एक छोटा सा द्वीप है।
- यह द्वीप मोजाम्बिक चैनल के बहुत करीब है और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी क्षेत्र से होता है।
- इसी द्वीप के निकट युनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कोरल द्वीप 'एल्डब्रा एटोल' (Aldabra atole) अवस्थित है।
- उल्लेखनीय है कि एल्डब्रा एटोल कोरल द्वीप पर विशालकाय कछुओं (Giant Tortoise) की सर्वाधिक आबादी वास करती है।
- यह एकल प्रवाल द्वीप 11.6 किमी (4.5 वर्ग मील) क्षेत्र में स्थित है। वर्ष 2018 में सेशेल्स और भारत ने द्वीप के एक हिस्से पर संयुक्त सैन्य अड्डा बनाने और संचालित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- इस सैन्य अड्डे से भारतीय नौसेना को मोजाम्बिक चैनल की निगरानी करने और किसी भी तरह की समुद्री डकैती के प्रयासों को विफल करने की सुविधा मिलेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र के माध्यम से संचालित होता है।
- हालांकि इस योजना के विरुद्ध स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि इन द्वीपों को भारत चीन के क्षेत्रीय संघर्ष से बाहर रहना चाहिए।

5. कुरील द्वीप

महत्वपूर्ण तथ्य

- कुरील द्वीप समूह रूस के साखालिन ओब्लास्त प्रांत में स्थित एक ज्वालामुखीय द्वीपसमूह है।
- यह जापान के होफ्काइडो द्वीप से रूस के कमचातका प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक लगभग 1300 किमी (810 मील) तक फैला हुआ है।
- कुरील द्वीपों की पूर्वी तरफ उत्तरी प्रशांत महासागर और पश्चिमी तरफ ओखोत्स्क सागर है।
- इस द्वीप में 56 द्वीप और कई अन्य छोटे-छोटे समूह के पत्थर की चट्टानें हैं।
- ये सभी द्वीप रूसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं। हालांकि इसके चार द्वीपों पर जापान अपना दावा करता है तथा वह इसे अपने उत्तरी क्षेत्र के रूप में इंगित करता है। ये चार द्वीप है- कुनासीर, इतुरूप, शिकोतान तथा हबोभाए।
- वर्ष 2018 में रूस तथा जापान के मध्य इन द्वीपों के एकीकरण पर वार्ता की गई थी। साल 2015 के बाद मेदवेदेव पहली बार इस द्वीप पर पहुंचे थे।

6. रियूनियन द्वीप

महत्वपूर्ण तथ्य

- रियूनियन अफ्रीका में स्थित एक द्वीप है। यह हिन्द महासागर में मेडागास्कार के पूर्व में 200 किमी और मॉरीशस के दक्षिण में स्थित है।
- रियूनियन द्वीप 63 किलोमीटर लंबा और 45 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 2150 वर्ग किलोमीटर है।
- इस द्वीप की राजधानी सेण्ट डेनिस है तथा प्रशासनिक रूप से यह द्वीप फ्रांस के विदेशी विभागों में से एक है।
- यह अपने ज्वालामुखीय विशेषताएँ, वर्षावन, प्रवाल भित्तियों तथा समुद्री तटों के लिए जाना जाता है।
- यह द्वीप हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा की दृष्टिकोण से सामरिक महत्व रखता है।
- भारत 2020 तक इस द्वीप पर फ्रांसीसी समझौते के तहत अपना एक नौसैनिक विमान तैनात करेगा।
- भारत-फ्रांस संयुक्त समझौते के तहत दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रसद सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ एक दूसरे को सैन्य सुविधाओं तक पहुँच की अनुमति का प्रावधान भी किया गया है।

7. मारवाह द्वीप

महत्वपूर्ण तथ्य

- मारवाह द्वीप संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के अमीरात तट से कुछ दूरी पर स्थित एक द्वीप है।
- यह द्वीप पुरातत्व का एक प्रमुख केन्द्र है। इस द्वीप पर पुरातत्वविदों ने नवपाषाण काल से इस्लामिक काल (12-13 ईस्वी) तक के विभिन्न स्थलों की पहचान की है।
- हाल ही में इस द्वीप से 8000 साल पुराना मोती मिला है। पुरातत्वविदों का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पुराना मोती है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन समय में मेसोपोटामिया से व्यापार के दौरान चीनी मिट्टी की चीजें और इस तरह के मोती का आदान-प्रदान होता होगा।
- इस द्वीप के लोग एक अच्छे नाविक के साथ कलाकारी में उत्कृष्ट थे क्योंकि भेड़-बकरियों, मछलियों तथा सजावटी आभूषणों का साक्ष्य व्यापक पैमाने पर मिला है, जो पूर्व ऐतिहासिक युग का लगता है।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

सिविल सेवा परीक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड
करेंट अफेयर्स के लिए ध्येय आईएएस आपके समक्ष प्रस्तुत करता है

परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी करेंट अफेयर्स से जुड़ी तमाम
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ध्येय आईएएस यूट्यूब चैनल को

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

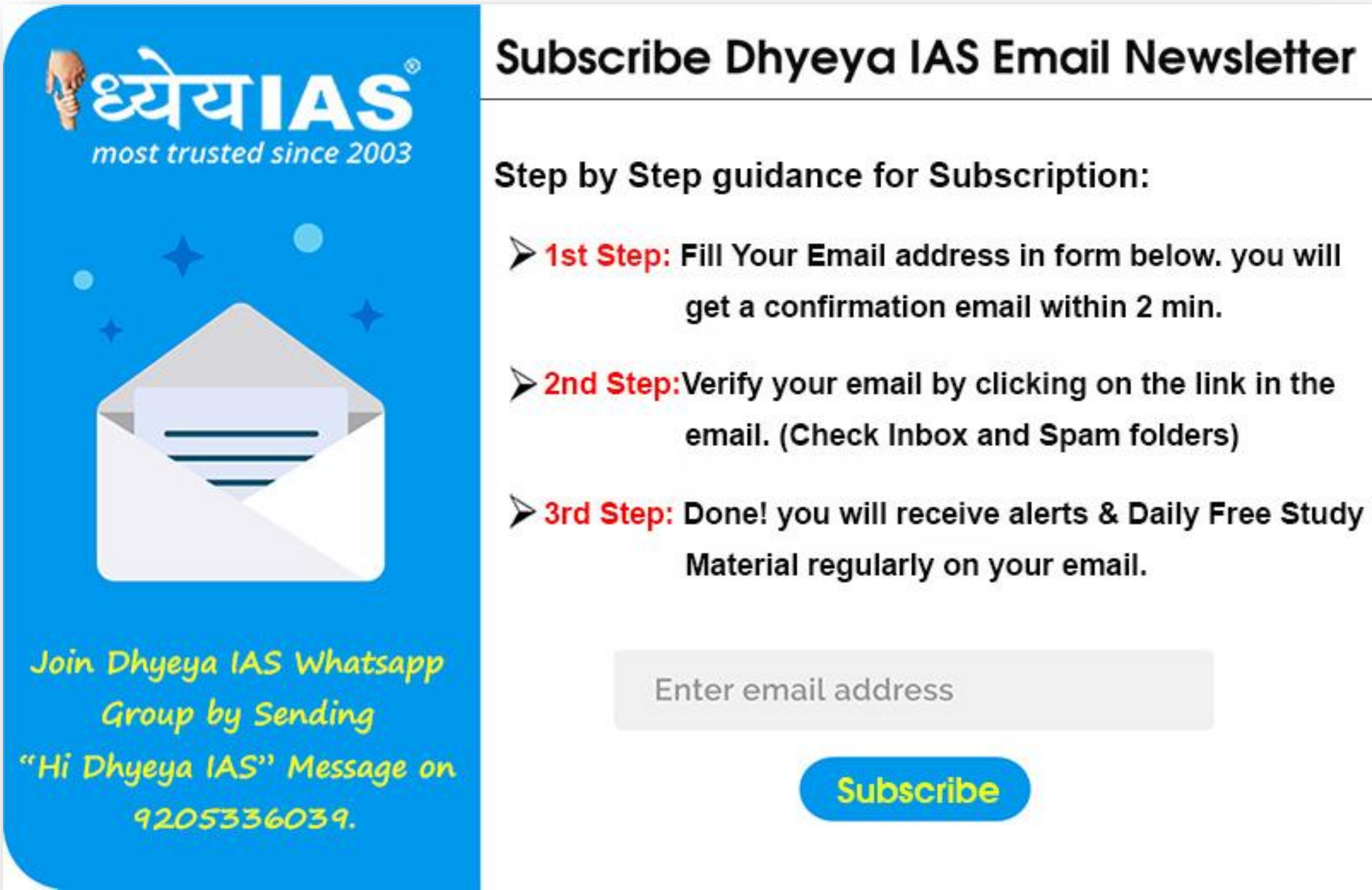

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400